मध्यप्रदेश पंचायिका

फरवरी 2012

संपादकीय परिवार

विश्वमोहन उपाध्याय

राकेश गौतम

समन्वय

सुरेश तिवारी

आकल्पन

आशा रोमन

हेमंत वायंगणकर

वेबसाइट

आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग

अल्पना राठौर

एक प्रति : बीस रुपये

वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क

मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में

विगत दिनों सागर जिले के गढ़ाकोटा में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ई-पंचायत का शुभारंभ किया।

विगत दिनों पचमढ़ी में ई-पंचायत कार्यशाला सम्पन्न हुई।

खास खबरें : मुख्यमंत्री ने किया ई-पंचायत का शुभारम्भ 03

महत्वपूर्ण खबरें : मनरेगा के लिए छप्पन करोड़ आवंटित 14

पुस्तक चर्चा : योजना बनाने की तरकीब सिखाती किताब 16

आवरण कथा : सुशासन की पहल हैं प्रदेश की ई-पंचायतें 17

दृश्य-परिदृश्य : मुख्यमंत्री से मिलीं नीदरलैंड की काउंसिल जनरल 21

विभागीय गतिविधियाँ : मनरेगा में ऑडिट एवं वित्तीय प्रबंधन पर कार्यशाला सम्पन्न 23

विशेष : आजीविका परियोजना ने बदली किसानों की तकदीर 25

उपलब्धि : सामूहिक प्रयास से हरी-भरी हुई बंजर पहाड़ी 29

प्रशिक्षण : जनपद पंचायत की स्थाई समितियाँ 33

पंचायत गजट : पंचायत समन्वय अधिकारी के दायित्व निर्धारित 35

योजना : मुख्यमंत्री पेयजल योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा पानी 41

कानून-चर्चा : ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाजारों तथा मेलों का आयोजन 43

खेती-किसानी : समय पर करें कीटनाशकों का प्रयोग 45

आपकी बात : मनरेगा की उपलब्धियाँ व उपयोजनाएं भी छापें 47

आयुक्त की कलम से

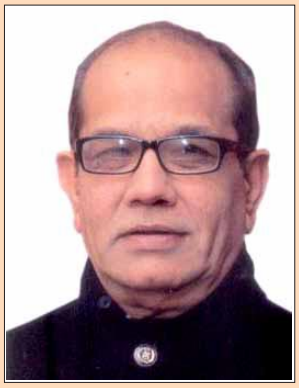

प्रिय पाठकों,

जैसा कि विदित है कि विगत दिनों मध्यप्रदेश में पंच-परमेश्वर योजना का शुभारम्भ किया गया था जिससे पंचायतों को विकास कार्यों के लिए एकमुश्त राशि मिल सकेगी। पंचायतों को सशक्त बनाने एवं उनके कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश की सभी पंचायतों को कम्प्यूटर द्वारा जोड़ा जा रहा है। पहले चरण में2636 ग्राम पंचायतों को ई-कनेक्टिविटी से जोड़ा जायेगा। इससे प्रत्येक ई-पंचायत में पंचायत मुख्यालय पर ब्राड बैण्ड कनेक्टिविटी के माध्यम से जनसुविधा केन्द्र सभी शासकीय सूचनाएं और सहायता निःशुल्क अथवा न्यूनतम मूल्य पर आमजन को मिल सकेंगी। ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के माध्यम से अब ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे कार्यों की पारदर्शिता, सक्षमता तथा विश्वसनीयता बन सकेगी जिससे ग्रामीणजन की समस्याओं का निराकरण त्वरित हो सकेगा। विगत दिनों प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सागर जिले के गढ़ाकोटा में ई-पंचायत कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की दस विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों से ऑनलाइन बातचीत भी की। इसी जानकारी को हमने इस माह 'आवरण कथा' में प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

प्रदेश के विभिन्न अंचलों में गत दिनों सम्पन्न विभिन्न जानकारियों को 'दृश्य-परिदृश्य' स्तम्भ में प्रकाशित किया जा रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जनहित में चलाई जा रही हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी और उनके क्रियान्वयन की जानकारी को 'विभागीय गतिविधियाँ' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया जा रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलने वाली विभिन्न योजनाओं को एवं उनसे लाभान्वित लोगों की तथाकथा को 'उपलब्धि' स्तम्भ में शामिल किया गया है। ग्रामीण आजीविका परियोजना प्रदेश के दस अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में कार्यरत थी जिसका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है। इस परियोजना से किसानों की बदलती हुई तकदीर की जानकारी को 'विशेष' स्तम्भ में प्रकाशित किया जा रहा है। इस माह 'प्रशिक्षण' स्तम्भ के अंतर्गत जनपद पंचायत की स्थायी समितियों की जानकारी एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी को प्रकाशित किया जा रहा है।

ग्राम पंचायतों के कार्यों और दायित्वों में कसावट लाने के लिये पंचायत समन्वय अधिकारियों को कुछ अतिरिक्त कार्य सौंपे गये हैं। इस दिशा-निर्देश को 'पंचायत गजट' स्तम्भ में प्रकाशित किया जा रहा है। इस माह 'योजना' स्तम्भ के अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल योजना से संबंधित जानकारी को संकलित किया गया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में समय-समय पर मेलों एवं हाट बाजारों का आयोजन किया जाता है जिसका दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का होता है। 'कानून चर्चा' स्तम्भ में इसी आयोजन संबंधी जानकारी प्रकाशित की जा रही है। फरवरी माह में होने वाले कृषि कार्यों की जानकारी को हमने किसान भाईयों के लिये इस माह 'खेती किसानी' स्तम्भ के अंतर्गत शामिल किया है। और अंत में आपके पत्रों को 'आपकी बात' स्तम्भ में शामिल किया गया है जो आपकी प्रतिक्रिया बताते हैं। यदि आप भी पत्रिका के माध्यम से कोई सुझाव या जानकारी देना चाहते हैं तो आपके सुझावों का स्वागत है। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा।

(विश्वमोहन उपाध्याय)

मुख्यमंत्री ने किया ई-पंचायत का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले में ई-पंचायत का शुभारम्भ करते हुए दस पंचायतों के सरपंचों और सचिवों से ऑनलाइन चर्चा कर उनसे गांव में बनने वाली सड़कों और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बन रही कुटीरों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों को ई-कनेक्टिविटी से जोड़ने से गांवों का विकास होगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने सागर जिले की रहली क्षेत्र के गढ़ाकोटा नगर पंचायत क्षेत्र में शुक्रवार को रहस मेले में ई-पंचायत का शुभारंभ कर 10 पंचायतों के सरपंचों एवं सचिवों से ऑनलाइन चर्चा की। उन्होंने ग्रामोदय मार्गदर्शिका कैलेण्डर का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सरपंचों से चर्चा में ग्राम पंचायतों को मिली राशि की जानकारी ली। उन्होंने ग्राम में बनने वाली सड़कों तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास के तहत बन रही कुटीरों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी की ऑनलाइन सुविधा मुहैया होने से सीधे संवाद स्थापित करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी दो-तीन वर्षों में ढाई सौ तक की आबादी वाले गाँव को सड़क विहीन नहीं रहने दिया जायेगा। इस दिशा में तेजी से अमल शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के गांवों को सुखी एवं समृद्ध बनाने और पंच-परमेश्वर योजना में पारदर्शी व्यवस्था के लिए ई-पंचायत शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋण और अन्य मदद प्राप्त करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति आर्थिक रूप से इतने मजबूत बनें कि कल वे समाज के अन्य कमजोर लोगों की मदद कर सकें। कृषकों को एक फीसदी ब्याज दर पर सहकारिता ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में 110 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की पैदावार होने का अनुमान है। राज्य सरकार प्रति क्विंटल 1385 रुपये की दर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पिछले 55 वर्षों में तत्कालीन सरकार द्वारा आम लोगों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों के मामलों में समुचित ध्यान नहीं दिये जाने से प्रदेश 100 वर्ष पीछे चला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दो-तीन वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक साज-सज्जा युक्त पंचायत भवनों, ग्रामीण सड़कों के निर्माण, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग फीडर सुविधा मुहैया होने तथा हैण्डपंप के स्थान पर नल-जल योजना का विस्तार करने सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का अभूतपूर्व विकास होगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को पारदर्शी व्यवस्था देने के लिए महत्वाकांक्षी ई-पंचायत व्यवस्था शुरू की गयी है। इस व्यवस्था से ग्राम पंचायतों के सचिवों को कम्प्यूटर संचालन में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्वयं कम्प्यूटर क्रय कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की समस्त 22 हजार 13 ग्राम पंचायतें सीधे-सीधे कम्प्यूटर से जुड़ेंगी, जिससे आम ग्रामीणजन भी सीधे-सीधे मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर सकेंगे। कार्यक्रम में किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, पंचायत राज मंत्री श्री देवसिंह सैयाम, सांसद श्री ठाकुर भूपेन्द्र सिंह, विधायक श्री भानू राणा, श्री प्रदीप लारिया, बुन्देलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री उमेश शुक्ला, वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

प्रतिभागियों द्वारा पंच-परमेश्वर योजना की सराहना

ग्राम-पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी के संबंध में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 15 फरवरी को पचमढ़ी में शुरू हुई। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव तथा दादरा नगर हवेली और मध्यप्रदेश के 100 से अधिक विषय-विशेषज्ञ कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में राज्य के विकास विभागों के अधिकारी तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र एनआईसी के वरिष्ठ अधिकारी भी भागीदारी कर रहे हैं।

कार्यशाला का शुभारंभ पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री सुशील कुमार और आयुक्त पंचायत राज मध्यप्रदेश श्री विश्वमोहन उपाध्याय ने किया। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र भारत सरकार के श्री बी.सी. मिश्रा और श्रीमती हरिहरन ने ई-पंचायतों के लेखा संधारण के संबंध में उपयोग किये जा रहे प्रिया सॉफ्ट के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि इसके साथ अब 6 और नई एप्लीकेशंस को जोड़ा जा रहा है। इसमें स्थानीय निकायों के माध्यम से आम लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही सहायता, सुविधा और व्यय की जानकारी भी दर्ज हो सकेगी। ई-पंचायत शुरू होने पर इस व्यवस्था से नागरिक कॉमन सर्विस सेंटर और ई-पंचायत काउंटर से आवश्यक जानकारियाँ आसानी से हासिल कर सकेंगे। मध्यप्रदेश में प्रथम चरण में करीब 3 हजार ग्राम-पंचायतों में ई-पंचायत कक्ष इस वर्ष आरंभ होंगे। श्री विश्वमोहन उपाध्याय ने विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के समक्ष पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के मकसद से शुरू की गई पंच-परमेश्वर योजना की विशेषताओं पर आधारित वीडियो प्रजेंटेशन दिया। प्रतिभागियों ने पंच-परमेश्वर योजना की विशेषताओं को जाना और सराहना की।

कार्यशाला के पहले दिन प्रतिभागियों को प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से बताया गया। राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी प्रदेशों में ई-पंचायत के क्रियान्वयन के संबंध में अवगत कराया।

एक पंचायत ऐसी भी जिसकी कोई माँग नहीं

कोई व्यक्ति, उसका पूरा गाँव या समूची पंचायत अगर सार्वजनिक तौर पर कहे कि हमारी कोई माँग नहीं है और हम सब खुश हैं तो यकीनन आज के दौर में यह अजूबे की बात है। पर यह सच्चाई सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के वासुदेव ग्राम में सामने आई। विकास यात्रा के एक पड़ाव पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अपने दिल की यह बात कहते हुए ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान ही नहीं, गर्व भी साफ झलका। विकास की वास्तविकता और लोगों की दिक्कतें जानने के लिये ही पूरे प्रदेश में विकास यात्रा शुरू की गई है। इसलिए मुख्यमंत्री श्री चौहान भी सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में अपनी पदयात्रा के दौरान लोगों के हाल जानने निकले थे। ग्राम मगरिया से सेमलपानी के आठ किलोमीटर के फासले में प्रमुख गाँवों के अलावा एक दर्जन अन्य स्थानों पर भी मंच बना कर लोगों ने उनका स्वागत किया।

आश्चर्यजनक वाक्या मुख्यमंत्री की पदयात्रा के छठवें पड़ाव वासुदेव गाँव में सामने आया। मंच पर मुख्यमंत्री के पहुँचते ही ग्राम-प्रधान ने माइक सम्हाला और मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए सीधे-सीधे सिर्फ एक वाक्य कहा "भैया हमारे गाँव और पंचायत में सब सुखी हैं और हमारी आपसे कोई माँग नहीं है। आपने तो खुद ही पहले कई काम यहाँ करवाये हुए हैं" अब बारी मुख्यमंत्री के बोलने की थी। संतोष उनके चेहरे पर भी इसलिये झलका था कि एक पंचायत के सारे लोगों ने आज खुलकर अपने सुखी होने की बात कही भी। इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने गाँव के समीप की नदी के घाट की स्थिति पूछ ली। प्रधान का जवाब था कि उस काम की अभी बहुत जल्दी नहीं है, धीरे-धीरे करवा लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। इस घाट का उन्नयन भी जल्दी कर रहेगा।

शहरों की तर्ज पर होगा गाँव का विकास

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पंच-परमेश्वर योजना से गाँव में शहरों जैसी सुविधाएँ मुहैया कराई जायेंगी। वर्ष 2013-14 तक हर गाँव की गलियाँ सीमेंट-कांक्रीट की होंगी। गाँव का सम्पूर्ण विकास शहरों की तर्ज पर किया जायेगा। सभी गाँवों में पेयजल के लिये नल-जल योजना की सुविधा मुहैया कराई जायेगी। गाँवों के प्रत्येक घर में शौचालय सुविधा मुहैया कराने के लिये 'मर्यादा अभियान' चलाया जायेगा, जिसे जन-आंदोलन का रूप दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिनों सागर जिले के रहली में 3 अरब 65 करोड़ की लागत से बनने वाली4 सड़कों के निर्माण कार्य का भूमि-पूजन कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने रहली में आईटीआई खोलने, अस्पताल का उन्नयन कर उसे 30 बिस्तर का बनाने तथा रहली के शासकीय महाविद्यालय में कामर्स की कक्षाएँ शुरू करने की घोषणा की।

श्री चौहान ने कहा कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण ही सरकार का ध्येय है। प्रदेश का विकास तभी हो सकेगा जब तक कि समाज के सभी वर्ग विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ जाते हैं। इसलिये विभिन्न वर्गों की पंचायत बुलाकर सभी से सुझाव लिये गये और उन सुझावों पर सरकार ने पूरी ईमानदारी से अमल शुरू किया है। श्री चौहान ने कहा कि सिर्फ बेटी वालों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुढ़ापे में उन्हें सरकार पेंशन देगी।

श्री चौहान ने कहा कि कृषि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसके तहत समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिये सरकार ने किसानों के पंजीयन की व्यवस्था की है। जिन किसानों ने पंजीयन करा लिया है उन्हें एसएमएस के जरिये सूचित किया जायेगा कि किसान को कब समर्थन मूल्य केन्द्र पर गेहूँ बेचने लाना है। किसानों से सरकार 1385 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ खरीदेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का ऐसा इकलौता प्रदेश है जो किसानों को सहकारी बैंक के माध्यम से एक प्रतिशत ब्याज दर पर कर्जा दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने किसानों को खरीफ फसल के लिये पहले से खाद की व्यवस्था बनाने की समझाइश देते हुए कहा कि पिछले अनुभवों को देखते हुए सरकार ने किसानों को आगामी खरीफ फसल के लिये खाद की पर्याप्त व्यवस्था के तहत खाद के अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था बनाई गयी है। किसान अभी से खाद खरीद लें। उन्हें ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ब्याज सरकार देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जहाँ हर गाँव के समग्र विकास के लिये गाँव के आंतरिक मार्गों को सीमेंट-कांक्रीट का बनवा रही है, पेयजल की सुविधा के लिये नल-जल योजना बना रही है, मुक्तिधाम बना रही है और अब घर-घर में शौचालय बनाने के लिये मर्यादा अभियान चलायेगी, जिसे जन-आंदोलन का रूप दिया जाएगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि विकास की खबर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ली है। इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस क्षेत्र में पौने चार सौ करोड़ लागत की सड़कों का भूमि पूजन किया है।

लोक निर्माण मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा है कि प्रदेश के सभी गाँव सड़कों से जुड़ें। सरकार ने इसके लिये कदम आगे बढ़ा दिये हैं। सागर जिले में 1580 करोड़ के कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ववर्ती सरकार से खस्ता-हाल सड़कें मिली थीं और राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य अभी भी बंद पड़े हैं। यदि केन्द्र सरकार प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करवा देती तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में राशि देती तो सड़कों की दशा और अच्छी होती। कार्यक्रम में किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, सांसद ठाकुर श्री भूपेन्द्र सिंह, विधायक श्री भानू राणा एवं श्री प्रदीप लारिया, अपर मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक तथा बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे।

शाहगढ़ में पांच करोड़ की सहायता वितरित

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने गत दिनों सागर जिले के शाहगढ़ विकासखंड मुख्यालय पर अंत्योदय मेले में 5 हजार से अधिक हितग्राहियों को करीब 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की। उन्होंने 2.75 करोड़ लागत के विकास कार्यों की आधारशिला रखी एवं विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत शाहगढ़ में बुनियादी सुविधाओं के लिए 55 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने शाहगढ़ में कॉलेज खोलने तथा स्टापडेम निर्माण के लिए तकनीकी परीक्षण कराने तथा शाहगढ़ में मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की। इस अवसर पर जलसंसाधन मंत्री श्री जयंत मलैया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव तथा आदिम जाति कल्याण राज्यमंत्री श्री हरिशंकर खटीक, दमोह सांसद श्री शिवराज भैया तथा अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

1385 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर होगी गेहूँ की खरीदी - मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर 1385 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूँ खरीदी की जायेगी । उन्होंने कहा कि देश में मध्यप्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जो कृषकों को प्रति क्विंटल 100 रुपये की बोनस राशि दे रहा है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर गेहूं बिक्री के लिए पंजीयन कराने वाले कृषकों को एसएमएस के जरिये गेहूं बिक्री के लिये बुलाया जायेगा।

पंजीबद्ध कृषकों को गेहूँ बिक्री का पहला अवसर मिलेगा और उन्हें गेहूँ बिक्री के लिये लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। श्री चौहान ने दो टूक शब्दों में कहा कि गेहूँ बिक्री में गड़बड़ी करने वाले बिचौलियों की हालत पस्ता होगी।

प्रदेश की समृद्धि और विकास का बजट

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश का बजट समृद्धि और विकास का बजट है। उन्होंने कहा है कि बजट में समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर ध्यान दिया गया है। कुल मिलाकर यह बजट रोजगार बढ़ाने वाला, निवेश लाने वाला और गरीब आम जनता के कल्याण वाला होगा। बजट विकासोन्मुखी, ग्रामोन्मुखी और रोजगारोन्मुखी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश सरकार के वर्ष 2012-13 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कृषि और उससे सम्बद्ध विकास कार्यों पर बजट का करीब 40 प्रतिशत व्यय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, गरीबों, माताओं-बहनों और उन सभी वर्गों के कल्याण का है जिनके लिए विभिन्न पंचायतों का आयोजन किया गया है। इसमें कर्मचारी कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर केन्द्र के समान कर दिया गया है। राज्य में कृषि के विकास के साथ ही निवेश को आकर्षित करने के प्रावधान किए गए हैं। उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास इस बजट में शामिल हैं। अधोसंरचना के विकास के लिए बिजली, सड़क और पानी के लिए बजट की उपलब्धता में काफी बढ़ोत्तरी करते हुए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहरों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के माध्यम से पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई है। पेयजल और स्वच्छता मिशन के लिये भी समुचित राशि उपलब्ध करवाई गई है। ग्रामीण और शहरी बेघरों को आवास उपलब्ध करवाने के प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पेट्रोल पर वैट 28.75 प्रतिशत से घटाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है। राज्य सरकार की सीमाओं में जितनी राहत दी जा सकती थी, उतनी दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण, शिक्षा और रोजगार के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। घुमक्कड़ और अर्ध-घुमक्कड़ जैसी घुमन्तू जातियों के कल्याण पर भी ध्यान दिया गया है।

वृद्धजनों की पंचायत मार्च के तीसरे सप्ताह होगी

वृद्धजनों की पंचायत आगामी मार्च माह के तीसरे सप्ताह में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों वृद्धजनों की पंचायत की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि वृद्धजनों के लिये स्वास्थ्य सुविधाएँ और उनकी देखरेख की समुचित व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में विचार कर सुझाव दें। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों को लोक सुविधाओं में प्राथमिकता देने तथा ग्राम पंचायतों में बुजुर्गों के लिये अशासकीय समाजसेवी संगठनों के सहयोग से केयर सेन्टर बनाये जा सकते हैं। वृद्धजनों को वरिष्ठ नागरिक की तरह सम्मान मिले। प्रत्येक जिले में सभी सुविधाओं वाले वृद्धाश्रम रहें। अभी प्रदेश के 40 जिलों में 52 वृद्धाश्रम हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, प्रमुख सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा और मुख्यमंत्री के सचिव श्री आकाश त्रिपाठी मौजूद थे।

मध्यप्रदेश का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस के लिये चयन

मध्यप्रदेश सरकार के ई-गवर्नेंस की दिशा में किये जा रहे सर्वोत्कृष्ट कार्यों को भी भारत सरकार ने स्वीकार किया है। इस मान्यता की शक्ल में प्रदेश को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा जायेगा। भुवनेश्वर (उड़ीसा) में दो दिनी 15वें ई-गवर्नेंस विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदेश को यह अवार्ड दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के संबंधित अधिकारियों को बधाई दी है।

साल 2011-12 के लिये इस राष्ट्रीय अवार्ड के तहत सात विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं की घोषणा की गई है। इनमें से एक अवार्ड हासिल करने का गौरव मध्यप्रदेश को मिला है। इसके लिये स्थानीय शासन पर केन्द्रित क्षेत्र विशिष्ट सेक्टर पुरस्कार के तहत मध्यप्रदेश का चयन किया गया है। इस उद्देश्य से जिला प्रशासन ग्वालियर द्वारा संचालित जनमित्र समाधान केन्द्र को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड विजेता घोषित किया गया है।

मध्यप्रदेश के लिये यह अवार्ड अत्यंत सुखद और अहम इसलिये भी है कि ई-गवर्नेंस के लिये विशेष पहल को इस प्रतिष्ठित अवार्ड के जरिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसीलिये इस पुरस्कार को केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संयुक्त रूप से दे रहे हैं। यह पुरस्कार ग्वालियर जिले के तत्कालीन कलेक्टर और मुख्यमंत्री के अपर सचिव श्री आकाश त्रिपाठी को प्रदान किया जायेगा। इस मौके पर केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री सचिन पायलट, संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री व्ही. नारायण सामी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक भी खासतौर पर मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को हासिल करने के लिये संबंधित प्रशासनिक अफसरों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ई-गवर्नेंस और मोबाइल गवर्नेंस के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों को और अधिक प्रभावी तथा जन-हितैषी बनाया जायेगा।

यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हर साल भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके लिये ग्वालियर जिले का चयन वहाँ जिला प्रशासन द्वारा संचालित 48 जनमित्र समाधान केन्द्रों और राज्य सरकार के 13 विभागों की लोक सेवाओं समेत कुल 75 सेवाएँ आम नागरिकों को सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाने के लिये किया गया है। यह सेवाएँ ग्वालियर जिले के घाटीगाँव, डबरा, भितरवार और मुरार विकासखण्डों के नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जनमित्र समाधान केन्द्र साल 2009 से संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों से अब तक 3 लाख 86 हजार आवेदकों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध करवाया जा चुका है।

मछुआरों को भी एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण सुविधा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मछली पालन विभाग के नाम बदलने के साथ ही एक माह के भीतर मछली बोर्ड के गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि किसानों की तरह ही प्रदेश के मछुआरों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। श्री चौहान गत दिनों लाल परेड मैदान पर मछली पालन विभाग के तीन दिवसीय मत्स्य उत्सव के अंतर्गत हुई मछुआ पंचायत में बड़ी संख्या में शामिल हुए मछुआरों को संबोधित कर रहे थे। अध्यक्षता सांसद श्री प्रभात झा ने की। जल संसाधन मंत्री श्री जयंत मलैया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, मछली पालन मंत्री श्री अजय विश्नोई, पूर्व मंत्री व विधायक श्री मोती कश्यप और राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड हैदराबाद के वरिष्ठ कार्यपालन निदेशक श्री वासुदेव अप्पा भी विशेष रूप से इस अवसर पर मौजूद थे।

मछुआरों के हित में घोषणाएँ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पालन विभाग का नाम अब बदलकर मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास-विभाग किया जायेगा। मछुआरों के हित में निर्णय लेने के लिये मछुआ कल्याण बोर्ड गठित होगा जिसका अध्यक्ष मछुआ समाज का ही व्यक्ति होगा। बोर्ड के दायरे में जलाशयों के नजदीक खरबूज, कलिंदा, सिंघाड़ा आदि की खेती के मामले भी शामिल होंगे।

श्री चौहान ने कहा कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के मछुआरों को मछली पालन के लिये 15 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है उसी प्रकार अब अन्य वर्ग के मछुआरों को भी 15 हजार की सहायता मिलेगी। इसी तरह अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की पंजीकृत मत्स्य सहकारी विकास समितियों को मिलने वाली डेढ़ लाख की सहायता की तरह ही अन्य वर्ग की समितियों को भी यह सहायता दी जायेगी। उन्होंने कहा कि मछली पालन विभाग के अंतर्गत पंजीकृत लगभग दो हजार समितियों के लगभग 80 हजार मछुआरा सदस्यों को भी किसानों की ही तरह एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण की सुविधा राज्य सरकार मुहैया करायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मत्स्य विकास के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय खोलने के लिये केन्द्र से अनुरोध करेगी। जब तक यह कॉलेज नहीं खुलता तब तक पशु चिकित्सा महाविद्यालय में मत्स्य विज्ञान संकाय प्रारंभ कराया जायेगा।

श्री चौहान ने घोषणा की कि मछुआरों के बच्चों को मेडिकल-इंजीनियरिंग आदि की बेहतर शिक्षा दिलाने के लिये मिलने वाले शैक्षिक ऋण की गारंटी राज्य सरकार स्वयं लेगी। सात लाख तक के ऋण पर लगने वाला आधा ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। मछुआरों के बच्चे शहर में पढ़ने के लिये यदि 4-5 की संख्या में मिलकर किराये का कमरा लेते हैं तो उसका खर्च भी सरकार वहन करेगी। उन्होंने बताया कि इस साल एक हजार मछुआ आवास बनाये जा रहे हैं, अगले वर्ष दो हजार मछुआ आवास बनेंगे। मछुआरों को आवास के लिये राज्य सरकार की ओर से 30 हजार का अनुदान दिया जायेगा, 30 हजार रुपये के ऋण के अलावा 10 हजार मछुआरे को स्वयं लगाने होंगे। इस प्रकार 70 हजार रुपये की लागत का आवास वह बना सकेगा, ऋण की अदायगी आसान किश्तों में होगी।

श्री चौहान ने कहा कि उन्नत किस्म के मत्स्य-बीज के उत्पादन के लिये बड़े जलाशयों के नजदीक पैरीफेरी जल-संवर्धन क्षेत्रों का निर्माण करवाया जायेगा। उन्होंने मछुआरों की माँग पर घोषणा की कि शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों में मछली बेचने वालों के स्थान तय होंगे, जहाँ से उन्हें कोई नहीं हटा सकेगा। मत्स्य-उत्पादकता बढ़ाने के लिये मछलियों के पूरक आहार की योजना भी बनाई जायेगी। मछलियों को जलाशय से निकालने के बाद उन्हें सुरक्षित रखने के लिये जलाशय किनारे लेण्डिंग सेन्टर बनाये जायेंगे। स्थानीय निकाय व नगरीय निकाय यदि 30 दिन के भीतर पट्टों का निराकरण नहीं करते हैं तो मछली पालन विभाग 15 दिन के भीतर पट्टों का

निराकरण करवायेगा।

श्री चौहान ने अनेक मछुआरों की माँग पर कहा कि छानबीन समितियों के माध्यम से पंजीकृत समितियों में अपात्र सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाया जायेगा। समितियों के माध्यम से ही अवैध रूप से मछली पकड़ने पर रोक लगाई जायेगी। डंगरा, कलिंदे लगाने के लिये जलाशयों के नजदीक अस्थाई पट्टे के रूप में रेत के स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। मत्स्य महासंघ के मछुआरों द्वारा विक्रय की जाने वाली बड़ी मछली की वर्तमान दर 19 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति किलो किये जाने की भी उन्होंने घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने मछुआरों की माँग पर कहा कि उनके बच्चों को नौका चलाने एवं तैराकी प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा। श्री चौहान ने मछुआरों को आश्वस्त किया कि माझी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि अब मछुआरों की बस्ती के समीप शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलवाने दी जायेगी।

इसके पूर्व श्री अजय विश्नोई ने बताया कि मछुआरों की अधिक संख्या को देखते हुए मछुआ पंचायत का स्थान मुख्यमंत्री निवास की जगह लाल परेड मैदान रखा गया है। पंचायत का उद्देश्य मत्स्योद्योग के क्षेत्र में नई तकनीक को अपनाकर मत्स्योद्योग को बढ़ाना है। उन्होंने वंशानुगत मछुआरों को सुविधाएँ दिलाने, एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण, छात्र गृह योजना, मछुआ आवास की सुविधा, मौसमी तालाब में बीज संचय का कार्यक्रम, नई जाति-प्रजाति की मछलियों के खाद्य आहार की योजना आदि की ओर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। मछुआ पंचायत को श्री मोती कश्यप, माझी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री कैलाश विनय आदि ने भी संबोधित किया। विभिन्न जिलों से आये मत्स्य सहकारी समितियों के मछुआरा सदस्यों ने मुख्यमंत्री का ध्यान विभिन्न माँगों की ओर आकर्षित किया। श्री विश्नोई ने मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों को स्मृति-चिन्ह भेंट किये। श्री चौहान ने सेन्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज रिसर्च इंस्टीटयूट कोलकाता (सिफरी) द्वारा मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तैयार की गई सीडी का लोकार्पण भी किया। अंत में आभार प्रमुख सचिव मछली पालन श्रीमती अजिता वाजपेयी पाण्डे ने किया।

प्रदर्शनी और फिश गैलरी का अवलोकन - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मत्स्य-उत्सव के अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी, फिश गैलरी आदि का भी अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शनी में विभिन्न संस्थानों द्वारा लगाई गई स्टालों पर जाकर मत्स्य-विकास के लिये अपनाई जा रही आधुनिक तकनीक की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने श्री अजय विश्नोई के साथ 110 फुट लंबाई की फिश गैलरी का अवलोकन कर उसकी सराहना की। आयोजन स्थल पर पहुँचने पर मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्यों ने ढोल-ढमाकों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मत्स्य-उत्सव में सबेरे से ही मछुआरों और जिलों के बाहर से आये नागरिकों तथा स्कूली बच्चों का पहुँचना शुरू हो गया, जो दोपहर तक बड़ी भीड़ में तब्दील हो गया। उत्सव का संयोजन मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा किया गया।

मछुआ पंचायत में हुईं घोषणाएँ

- मछली पालन विभाग का नाम बदलकर मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग होगा।
- मछुआ कल्याण बोर्ड गठित होगा।
- सिंघाड़ा, खरबूज और कलिंदा का उत्पादन भी बोर्ड के दायरे में।
- अजा-अजजा के मछुआरों की तर्ज पर अन्य मछुआरों को भी मिलेगी आर्थिक सहायता।
- अजा-अजजा मत्स्य सहकारी समितियों की तरह अन्य समितियों को भी मिलेगी वित्तीय सहायता।
- पंजीकृत 80 हजार मछुआरों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण।
- मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के लिये केन्द्र से होगा अनुरोध।
- फिलहाल पशु चिकित्सालयों में मत्स्य विज्ञान संकाय की सुविधा।
- मेडिकल, इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिये मछुआरों के बच्चों को ऋण की गारण्टी देगी सरकार।
- मछुआरों के शहरों में पढ़ने वाले बच्चों को मकान किराये का भुगतान सरकार द्वारा।
- अगले साल 2 हजार मछुआ आवास बनेंगे।
- मछुआ आवास के लिये 30 हजार का शासकीय अनुदान दिया जायेगा।
- मत्स्य बीज उत्पादन के लिये पैरीफेरी जल संवर्धन क्षेत्रों का निर्माण होगा।
- मछली बेचने के स्थान तय होंगे।
- मछलियों के पूरक आहार की योजना बनेगी।
- सिंचाई जलाशय के नजदीक लेण्डिंग सेन्टर बनेंगे।
- पट्टों का निराकरण निश्चित समय अवधि में।
- अपात्र सदस्य मत्स्य सहकारी समितियों से बाहर होंगे।
- डंगरवाड़ियों के लिये रेत के स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे।
- बड़ी मछलियों की शासकीय दर 19 से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति किलो होगी।
- मछुआरों के बच्चों को तैराकी, नाव चलाने का प्रशिक्षण मिलेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन सम्पन्न

भोपाल में विधानसभा परिसर में प्रारंभ हुए दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में आये सहकारी प्रतिनिधियों के आकर्षण का केन्द्र रही सहकारी संस्थाओं की प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में24 से अधिक सहकारी संस्थाओं के स्टॉल लगाये गये हैं। सहकारिता मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने उद्घाटन सत्र के बाद देशी-विदेशी विभिन्न स्टॉलों पर जाकर जानकारी ली।

मध्यप्रदेश दुग्ध सहकारी संघ ने मिल्क टेस्टिंग की आधुनिक मशीन का प्रदर्शन किया है। इस मशीन के जरिये ग्रामीण क्षेत्र की दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले दूध की क्वालिटी एवं फेट की स्थिति तत्काल पता लग जाती है। इसमें उनके दूध की मात्रा एवं कीमत का हिसाब भी तत्काल बन जाता है। इस स्टॉल में भारतीय अर्थ-व्यवस्था में गाय के महत्व को प्रदर्शित करता हुआ एक मॉडल भी दिखाया गया है। इस मॉडल को विदेशी एवं अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी सराहा। लघु वनोपज संघ के स्टॉल में औषधि एवं जैविक उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें मुख्य रूप से हर्बल तुलसी चाय, मधु-मुक्ति चूर्ण त्रिफला, अश्वगंध चूर्ण आदि प्रदर्शित किये गये हैं। इन उत्पादों की बिक्री भी की जा रही है। प्रदर्शनी में सहकारी बैंकों में चेक की प्रिंटिंग मशीन को भी प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ ने अपने स्टॉल में संघ की गतिविधियों को दर्शाया है। प्रदर्शनी में गुजरात की सहकारी संस्था 'अमूल' के उत्पाद, मध्यप्रदेश की सहकारी संस्था 'साँची' के उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया है। केरला एवं कर्नाटक राज्यों की सहकारी समिति 'केम्पको' के चाकलेट एवं अन्य उत्पाद भी प्रदर्शनी में रखे गये हैं।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु, सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश मराठे एवं गौरीशंकर बिसेन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन पर केन्द्रित कृषि-मंथन के विशेषांक का विमोचन किया। प्रधान संपादक श्री सुनील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस विशेषांक में मध्यप्रदेश में सहकारिता आंदोलन का इतिहास एवं सहकारिता के जरिये कृषि, ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्रों में किये जा रहे उल्लेखनीय कार्यों का समावेश किया गया है।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने एवं पर्यटन में सहकारिता की भागीदारी पर हुई चर्चा - नेशनल डेयरी डेव्हलपमेंट बोर्ड के एम.डी. श्री दिलीप रथ ने अपने संबोधन में कहा कि 73 प्रतिशत दुधारु पशुओं का पालन हमारे देश में छोटे किसान करते हैं, जो भूमिहीन भी हैं। उन्नत तकनीकों को उन तक पहुँचाना एक चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्र में डेयरी सेक्टर छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटा हुआ है। इनको एक श्रृंखला में बाँधने का काम केवल सहकारिता के माध्यम से ही किया जा सकता है। भारत में विश्व बैंक के सहयोग से 1970 से 1996 के बीच क्रियान्वित आपरेशन फ्लड सहकारिता के जरिये ही सफल किया जा सका था और इसी दौरान देशभर में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आनंद पेटर्न उभरकर सामने आया।

उन्होंने बताया कि उदारीकरण के दौर में 1990-91 के बाद देश के डेयरी उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बाजार में अनेक बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करना पड़ रही है। इस प्रतिस्पर्धा में सहकारिता को जो गति मिलना चाहिये थी, वह अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल सकी है। आज भी देश में केवल 20 प्रतिशत गाँव ही सहकारिता के दायरे में हैं।

दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करते हुए श्री रथ ने कहा कि इसके लिये हमें महिलाओं को जागरूकता के साथ शिक्षित करना होगा। स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिकाओं की चर्चा करते हुए श्री रथ ने कहा कि दुग्ध एवं पशु-पालन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को गाँव में पहुँचाने के काम में यह अहम रोल अदा कर सकती हैं। इस सत्र में विभिन्न दुग्ध संघों के अध्यक्षों ने अपनी जिज्ञासाएँ भी रखीं।

पर्यटन के क्षेत्र में सहकारिता की भागीदारी पर भारत परिक्रमा के श्री उमेश लोहांडे ने उनकी संस्था द्वारा इस क्षेत्र में अब तक किये गये प्रयासों की जानकारी दी। संस्था के श्री उमेश ने बताया कि क्षेत्र विशेष के पर्यटक-स्थलों के परम्परागत मूल्यों को बरकरार रखने में स्थानीय व्यक्तियों को सहकारिता के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटक पारम्परिक व्यंजनों, परिवहन एवं आवास व्यवस्था को पसंद करते हैं। उन्होंने ग्रामीण पर्यटन के विकास पर जोर दिया।

गढ़ाकोटा में पारम्परिक रहस लोकोत्सव आयोजित

सागर जिले के गढ़ाकोटा में अपनी 208 साल पुरानी परम्परा के सतत निर्वाह में रहस मेला फिर आयोजित हुआ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने मेले का विधिवत शुभारंभ किया। मेले में जहाँ लोक संस्कृति के विविध रंगों की छटा बिखरी, वहीं इसकी बहुआयामी छवि के चलते निःशक्तजन को कृत्रिम अंग भी बाँटे गये।

स्पर्श अभियान भी शुरू - पाँच दिनी इस आयोजन के तहत ही स्पर्श मेले की शुरुआत भी हुई। श्री गोपाल भार्गव ने गढ़ाकोटा में एक मार्च को कहा कि अपने पुरखों की विरासत को संजोकर रखना बड़ी जिम्मेदारी है। इसी परिप्रेक्ष्य में राजा मर्दन सिंह जुदेव के राज्यारोहण की याद की ताजा रखने के लिये यह मेला लगता है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से इस मेले के जरिये लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश भी की जाती रही है। इनमें निःशक्त, गरीब, मुफलिस, मजदूर और किसानों को उनकी पात्रता के अनुरूप मेले में ही विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र भरवाकर मौके पर ही लाभान्वित करने की कोशिश की जा रही है। श्री भार्गव ने बताया कि मेले में आने वाले दूरदराज के लोगों के लिये मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई है। इन कार्यक्रमों में जिले और बाहर के लोक कलाकारों को बुलाया गया है। वहां राजस्थानी, गुजराती और महाराष्ट्रियन स्वादिष्ट व्यंजनों को परोसा जा रहा है। बच्चों और महिलाओं के लिये झूला, झाँकी, हिण्डोले आदि का प्रबंध किया गया है।

शुभारंभ समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण निकायों के प्रतिनिधियों ने भी लोगों को संबोधित किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में उज्जैन के नटराज सांस्कृतिक संगठन का कान्हा ग्वाला नृत्य, कर्रापुर का ढिमरयाई नृत्य और भोपाल के कोरका ग्रुप की कव्वाली प्रस्तुतियाँ को लोगों ने खूब पसंद किया। रहस लोकोत्सव के साथ निःशक्तों के समग्र पुनर्वास के लिये उनके स्वास्थ्य की जाँच का शिविर भी लगाया गया था। इसमें जिला पुनर्वास बोर्ड ने 137 निःशक्तों को प्रमाण-पत्र दिये और 219 निःशक्तों का नया पंजीयन किया। स्वास्थ्य जाँच के बाद 100 पात्र निःशक्तों को विभिन्न सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग प्रदान किये गये।

एक अप्रैल से शुरू होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

मध्यप्रदेश में एक अप्रैल 2012 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत होगी। मिशन प्रथम चरण में राज्य के दस जिलों के 40 विकास खण्डों में शुरू होगा। इसके बाद चरणबद्ध रूप से शेष सभी जिलों में क्रियान्वित होगा। एक अप्रैल से जिन जिलों में मिशन की शुरुआत होने जा रही है वे हैं धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, श्योपुर, मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट। इनमें से बालाघाट जिले के दो विकासखण्डों में मिशन प्रथम चरण में लागू होगा।

इन 10 जिलों में से बालाघाट को छोड़कर शेष 9 जिलों में वर्तमान में ब्रिटिश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण आजीविका परियोजना संचालित है जिसकी अवधि 30 जून, 2012 को समाप्त हो जायेगी। परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी अनुभवों और प्रयोगों के जरिये मिली सफलताओं का लाभ प्रदेश में इस मिशन के क्रियान्वयन में भी मिलेगा। इससे मिशन में शामिल जिलों के ग्रामीणों को आजीविका के नये साधन सुलभ कराकर उनके आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। विश्व बैंक और भारत सरकार के संयुक्त दल ने विगत दिनों प्रदेश प्रवास के दौरान मिशन की प्रारंभिक तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा के साथ बैठक में प्रदेश में मिशन के क्रियान्वयन के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की। दल ने मिशन के परियोजना समन्वयक श्री एल.एम. बेलवाल तथा प्रदेश में संचालित ग्रामीण आजीविका परियोजना तथा जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के विषय-विशेषज्ञों और सलाहकारों के साथ बातचीत कर इन कार्यक्रमों की उपलब्धियों और अनुभवों को भी साझा किया।

बाघों को बचाने के लिए मनुष्य संघर्षरत - वनमंत्री

वन मंत्री श्री सरताज सिंह ने 26 फरवरी को भोपाल में दो दिवसीय 'सेन्ट्रल इंडियन हाइलैण्ड्स वाइल्ड लाइफ फिल्म महोत्सव-2012' का उद्घाटन करते हुए कहा कि पहले बाघ खुद की मनुष्य से रक्षा के लिए संघर्ष करता था। आज मनुष्य बाघ के अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। यह फिल्मोत्सव ऐसे ही प्रयासों का एक अंग है। वनों से सृष्टि का संतुलन कायम रहता है। छोटे लाभ के लिए वनों को नुकसान पहुँचाने के दूरगामी विनाशकारी परिणाम होंगे। वनों के शोषण, कटाई आदि से वन्य-प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ भी खतरे में पड़ गई हैं। वैश्विक मौसम पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसीलिए आज कार्बन ट्रेडिंग जैसी अवधारणाएँ सामने आ रही हैं।

वन मंत्री ने कहा कि वन संरक्षण से न केवल प्राकृतिक असंतुलन रोका जा सकता है बल्कि वनों के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार भी दिलाया जा सकता है। एक तरफ कल-कारखाने जहाँ वातावरण को प्रदूषित करते हैं वहीं वन कार्बन डाइआक्साइड अवशोषित कर वातावरण की शुद्धि करते हैं। श्री सिंह ने क्रियु क्रूसेड फॉर रिवाइवल ऑफ एनवायरन्मेन्ट एण्ड वाइल्ड लाइफ द्वारा बाघों के संरक्षण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों में वन और वन्य-प्राणियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी।

प्रमुख मुख्य वन संरक्षक श्री रमेश दवे ने फिल्म फेस्टिवल को बहुत अच्छी शुरुआत बताते हुए कहा कि इससे न केवल आम लोग बाघ, वन्य-प्राणी, वन आदि के संरक्षण के प्रति शिक्षित होंगे वरन् आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष, क्रूसेड फॉर रिवाइवल ऑफ एन्वायरन्मेन्ट एण्ड वाइल्ड लाइफ, श्री ललित शास्त्री और प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, वन्य-प्राणी श्री एच.एस. पाबला ने भी विचार व्यक्त किए। वन मंत्री श्री सरताज सिंह ने इस अवसर पर स्मारिका 'सेन्ट्रल इंडियन हाइलैण्ड्स वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल 2012' का विमोचन भी किया।

अंत में उपाध्यक्ष, क्रूसेड फॉर रिवाइवल ऑफ इन्वायरन्मेन्ट एण्ड वाइल्ड लाइफ, श्री रामभुवन सिंह कुशवाह ने आभार व्यक्त किया।

मध्यप्रदेश को मिले पर्यटन के चार राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने नई दिल्ली में 29 फरवरी को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2010-11 समारोह में मध्यप्रदेश को चार राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कारों से सम्मानित किया। प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्री तुकोजीराव पवार, मध्यप्रदेश पर्यटन निगम अध्यक्ष डॉ. मोहन यादव एवं प्रबंध निदेशक मध्यप्रदेश पर्यटन निगम श्री पंकज राग ने यह पुरस्कार प्राप्त किए। इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय तथा केन्द्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्री सुल्तान अहमद विशेष रूप से उपस्थित थे। प्रदेश को पर्यटन के जिन चार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनमें पर्यटन के समग्र विकास हेतु प्रथम सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन प्रचार-प्रसार साहित्य, पर्यटन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म तथा भारत में पर्यटन स्थल के सर्वश्रेष्ठ नगरीय प्रबंधन का पुरस्कार शामिल है। प्रदेश में पर्यटन संरचना एवं विकास में अभिनव प्रयोग कर केन्द्रीय वित्तीय सहायता का पूर्ण उपयोग किया गया। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम का कम्प्यूटराइज्ड मानीटरिंग एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रशंसनीय है। राज्य में पर्यटकों को कारवां पर्यटन के साथ ही अंतर्राज्यीय हवाई सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है।

मध्यप्रदेश पर्यटन निगम द्वारा विशेषज्ञों, शोध एवं संग्रह के आधार पर तैयार की गयी उच्च-स्तरीय प्रचार-प्रसार सामग्री की सराहना देश एवं विदेश के पर्यटकों द्वारा वर्षों से की जा रही है। मध्यप्रदेश पर्यटन की प्रमुख इकाइयों के संबंध में जानकारी देने वाली 'द एम.पी.टी. कार्पोरेट बुकलेट' पर्यटकों ने काफी पसंद की है।

मध्यप्रदेश पर्यटन को फिल्म 'एम.पी. अजब है-सबसे गजब है' के लिए पर्यटन पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह विज्ञापन फिल्म शेडोग्राफी पर आधारित है, जिसमें प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन-स्थलों को रोचक ढंग से चित्रित किया गया है।

शासकीय योजनाओं का मैदानी क्रियान्वयन जरूरी

शासकीय योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन के लिये सीधे संभागायुक्त जिम्मेदार होंगे। किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है अधिकारी केवल कार्यालयों में न बैठे रहें, आकस्मिक निरीक्षण भी करें। कानून-व्यवस्था के लिये पुलिस महानिरीक्षक तथा संभागायुक्त क्षेत्र का संयुक्त दौरा करें। मुख्यमंत्री खुद हर15 दिन में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर प्रदेश की मैदानी हकीकत की समीक्षा करेंगे। उन्होंने संभागायुक्तों से भी कहा है कि अपने संभाग के कलेक्टरों से नियमित वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर योजनाओं की प्रगति देखें। श्री चौहान ने 25 फरवरी को भोपाल में अचानक क्षेत्र में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा हर हालत में प्रशासन में चुस्ती लायी जाये। मुख्यमंत्री अगली वीडियो कान्फ्रेंसिंग 10 मार्च को करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ दिखायी देना चाहिये। बलात्कार, हत्या जैसे अन्य जघन्य अपराधों पर त्वरित कार्रवाई हो। अपराधियों की खोज और धर-पकड़ में पूरी क्षमता तथा काबलियत दिखायी जाये। कई बार रंजिशवश तथा निहित स्वार्थ की वजह से भी प्रकरण दर्ज करवाये जाते हैं। ऐसे मामलों की सच्चाई सामने लायी जाये।

मुख्यमंत्री ने कहा है जुआ, सट्टा, शराब का गठजोड़ हर हालत में तोड़ा जाये। थानों में पदस्थ थानेदार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा गंभीर अपराध घटित होने पर थानेदारों की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि कलेक्टर और एस.पी. नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करें। महाविद्यालय तथा विद्यालयों, विशेष रूप से कन्याओं के विद्यालयों के आसपास अवांछनीय तत्वों की हरकतों पर सख्ती से रोक लगाई जाये। सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो।

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर15 मार्च से गेहूं उपार्जन शुरू होगा। इस बार किसानों का पंजीयन पहले से करा दिया गया है। पंजीयन कराने से शेष बचे किसानों को 4 मार्च तक पंजीयन का एक मौका और दिया गया है। पंजीकृत किसानों को असुविधा से बचाने के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि किसी भी किसान को भुगतान के लिये भटकना नहीं पड़े। निर्धारित समयावधि में ही भुगतान हो। गत वर्ष आयी उठाव, भण्डारण आदि की समस्याओं को पहले से हल कर लिया जाये। निर्देश दिये गये कि गेहूं उपार्जन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य ने भी कान्फ्रेंसिंग में निर्देश दिये कि आकर्षक बोनस के मद्देनजर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों से गेहूं की आवक को सख्ती से रोका जाये। बताया गया कि प्रदेश में उन्हीं किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जायेगा जिनके पास ऋण पुस्तिकाएँ होंगी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिये 2317 केन्द्र खोले जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कुपोषण मिटाने के लिये अटल बाल आरोग्य मिशन, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, फीडर सेपरेशन आदि की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि परीक्षा के समय निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से बिजली दी जाये। बिजली के बिलों की समस्याएँ भी निराकृत की जायें। उन्होंने कहा कि कहीं भी जन-समस्याओं को अनदेखा नहीं किया जाये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य, अपर मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, श्री अशोक दास, श्री एंटोनी जे.सी. डिसा, पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. राउत, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी पुलिस मुख्यालय श्री नंदन दुबे, अपर पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता श्री आर.के. शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मनरेगा के लिए छप्पन करोड़ आवंटित

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के संचालन के लिए तीन जिलों को 56 करोड़ की राशि जारी करने के निर्देश मूल्यांकन कमेटी की 15वीं बैठक में मनरेगा आयुक्त एवं मूल्यांकन कमेटी के अध्यक्ष श्री नीरज मंडलोई ने दिये। श्री मंडलोई ने कहा कि मनरेगा के तहत अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाये। यदि सृजित मानव दिवसों में कमी होती है, तो उसका सूक्ष्म परीक्षण भी करवायें। मनरेगा संचालन के लिए खरगोन को 40 करोड़, सीहोर को 10 करोड़ एवं इन्दौर को 6 करोड़ की राशि आवंटित करने की अनुशंसा बैठक में की गई। सीहोर जिले में वर्तमान में फण्ड की उपलब्धता होने से अनुशंसित राशि बाद में जारी की जाएगी। खरगोन जिले को 10 करोड़ की राशि समायोजित कर 30 करोड़ की राशि जारी की जाएगी। इन्दौर को 6 करोड़ रुपये जारी किये जा रहे हैं। मूल्यांकन कमेटी के समक्ष गत दिवस इन जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा मनरेगा संचालन संबंधी प्रजेन्टेशन दिया गया। श्री मंडलोई ने संबंधित जिला पंचायतों को मानव दिवस में गिरावट न होने एवं योजना के सफल संचालन के निर्देश देते हुए कहा है कि मानव दिवस में गिरावटों के कारणों का सूक्ष्मता से परीक्षण सुनिश्चित करें।

एक अप्रैल से अस्तित्व में आयेंगी नौ नई तहसीलें

आगामी एक अप्रैल, 2012 से प्रदेश में नौ नई तहसीलें अस्तित्व में आ जायेंगी। इन तहसीलों के गठन के बाद प्रदेश में तहसीलों की संख्या 352 हो जायेगी। ये भावी तहसीलें हैं शहडोल जिले की बुढार और गोहपारू, नीमच जिले की रामपुरा, छिन्दवाड़ा जिले की चांद, बालाघाट जिले की बिरसा, सिंगरौली जिले की सरई और माड़ा, अलीराजपुर जिले की कट्ठीवाड़ा और सोण्डवा। हाल ही में टीकमगढ़ जिले में लिधौरा तहसील भी अस्तित्व में आयी है। शहडोल जिले की नवीन तहसील बुढार में 40 पटवारी हल्के और 74 ग्राम को शामिल किया जा रहा है। तहसील का मुख्यालय बुढार होगा। तहसील गोहपारू का सृजन 58 पटवारी हल्के और 129 ग्राम को शामिल कर हो रहा है। तहसील का मुख्यालय गोहपारू होगा। नीमच जिले की रामपुरा तहसील में 27 पटवारी हल्के और 120 ग्राम शामिल किये जा रहे हैं। इनमें 73 आबाद, 25 वीरान तथा 22 वीरान डूब ग्राम शामिल हैं। तहसील का मुख्यालय रामपुरा होगा। छिन्दवाड़ा जिले की तहसील चांद का सृजन 21 पटवारी हल्के और 105 ग्राम को मिलाकर हो रहा है। तहसील का मुख्यालय चांद होगा। बालाघाट जिले की तहसील बिरसा में 20 पटवारी हल्के और 173 ग्राम शामिल किये गये हैं। इनमें 169 राजस्व एवं 4 वन ग्राम शामिल हैं। तहसील का मुख्यालय बिरसा में होगा। सिंगरौली जिले की तहसील सरई 32 पटवारी हल्कों तथा 122 ग्राम से बन रही है। तहसील का मुख्यालय सरई में होगा। सिंगरौली की ही माड़ा तहसील 20 पटवारी हल्कों और 84 ग्राम से बन रही है। तहसील का मुख्यालय माड़ा होगा। अलीराजपुर जिले की कट्ठीवाड़ा तहसील का सृजन 19 पटवारी हल्कों और 125 ग्राम से हो रहा है। इनमें 3 वीरान ग्राम भी शामिल हैं। तहसील का मुख्यालय कट्ठीवाड़ा होगा। इसी जिले की सोण्डवा तहसील में 25 पटवारी हल्कों और 134 ग्राम को शामिल किया गया है। इनमें एक वीरान और 26 डूब ग्राम भी शामिल हैं। तहसील का मुख्यालय सोण्डवा में होगा।

नर्मदा की मानिटरिंग में मुख्यमंत्री की अभिरुचि

'नर्मदा बायो हेल्थ मानिटरिंग' अवधारणा के प्रति मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गहन अभिरुचि प्रदर्शित की है। श्री सिंह ने कहा है कि उनका यह व्यक्तिगत अनुभव है कि पिछले 20-25 वर्ष पूर्व नर्मदा के जल में पाये जाने वाले अनेक जीव-जन्तु अदृश्य हो रहे हैं। नर्मदा के जल में पाये जाने वाले जीव-जन्तु ही जल के शुद्ध होने का संकेत होते हैं। मुख्यमंत्री ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को नर्मदा बायो हेल्थ मानिटरिंग परियोजना को प्राथमिकता से लागू करने के साथ ही अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक समन्वय और सहयोग लेने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य में उनकी व्यक्तिगत रुचि है और वे इसकी प्रगति से निरन्तर अवगत होना चाहेंगे।

समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन

मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर तीन फरवरी तक 8 लाख 86 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। यह इस वर्ष के निर्धारित लक्ष्य 6.84 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। किसानों को इसके ऐवज में 880 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को इस वर्ष प्रति क्विंटल धान की खरीदी पर 50 रुपये की राशि बोनस के रूप में दी गई है। प्रदेश में इस वर्ष 31 जनवरी तक धान खरीदी का कार्य किया जाना था, लेकिन प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश होने की वजह से धान खरीदी का कार्य प्रभावित हुआ था। इसको देखते हुए धान खरीदी 4 फरवरी तक की गई। प्रदेश में धान खरीदी के लिए 618 उपार्जन केन्द्र बनाये

गये। धान उत्पादक प्रमुख जिलों में बालाघाट में एक लाख 55 हजार, सिवनी में एक लाख 24 हजार एवं मण्डला में 39 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई।

डॉ. एन. राजम और सरोजा वैद्यनाथन को कालिदास सम्मान

देश की विख्यात वॉयलिन वादिका डॉ. एन. राजम और प्रतिष्ठित भरतनाट्यम नृत्यांगना, गुरु सुश्री सरोजा वैद्यनाथन को मध्यप्रदेश का वर्ष 2009-10 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्रदान किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि डॉ. एन. राजम को शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तथा सुश्री सरोजा वैद्यनाथन को शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया जायेगा। संस्कृति एवं जनसम्पर्क मंत्री श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के ये प्रतिष्ठित अवार्ड कला जगत की दो महान विभूतियों को प्रदान किए जा रहे हैं। इन सम्मानों की चयन समिति ने पिछले दिनों भोपाल में सर्वसम्मत निर्णय लेकर संगीत के क्षेत्र में डॉ. एन. राजम एवं नृत्य के क्षेत्र में गुरु सरोजा वैद्यनाथन को ये सम्मान प्रदान किए जाने की अनुशंसा की। राज्य शासन ने चयन समिति की सर्वसम्मत अनुशंसा को अपने लिए बंधनकारी माना है। कालिदास सम्मान से सम्मानित होने वाली मुम्बई निवासी डॉ. एन. राजम की ख्याति देश-दुनिया में एक प्रतिभासम्पन्न कलाकार के रूप में व्याप्त है। वहीं नई दिल्ली में अपना गुरुकुल स्थापित कर वर्षों से साधनारत गुरु सरोजा वैद्यनाथन ने भरतनाट्यम के क्षेत्र में अपनी निरन्तर सक्रियता से अनूठे और असाधारण प्रतिमान रचे हैं। दोनों ही कलाकारों की अपनी समृद्ध शिष्य परम्परा भी है। डॉ. राजम और सरोजा जी को सम्मानस्वरूप दो-दो लाख की राशि एवं सम्मान-पट्टिका प्रदान की जायेंगी। अलंकरण समारोह भोपाल में होगा।

वोटर लिस्टों में नाम जुड़ना जारी

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में वोटर लिस्टों में मतदाताओं के नाम जोड़े जाने का सिलसिला निरंतर जारी है। इस व्यवस्था का लाभ एक दिसम्बर 2012 की अर्हता तिथि में 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से छूटे मतदाताओं को मिलेगा। ऐसे मतदाता निरंतर प्रक्रिया के जरिये प्रारूप-6 में अपना आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) या तहसीलदार के कार्यालय में जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा यह मतदाता ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा के तहत भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट http://www.ceomadhyapradesh.nic.in/ पर नाम जुड़वाने का आवेदन कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि तय कार्यक्रम के मुताबिक 5 जनवरी 2012 को प्रदेश की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसके बाद निरंतर अद्यतन प्रक्रिया में इन सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने की कार्रवाई जारी है।

❑ शुभम दुबे

चार नर्मदा परियोजनाओं को जल आयोग की स्वीकृति

भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग ने नर्मदा घाटी की चार वृहद परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये परियोजनाएँ हैं चिंकी, शेर, मच्छरेवा और शक्कर। आयोग ने इन परियोजनाओं के प्राथमिक प्रतिवेदनों के अध्ययन के बाद विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को सूचित किया है। जिन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है उनमें प्रस्तावित चिंकी परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर ग्राम पिपरिया के पास नरसिंहपुर जिले में होगा। परियोजना के निर्माण से रायसेन और नरसिंहपुर जिलों में 73 हजार 979 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इसके साथ ही परियोजना से 15 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकेगा। आरम्भिक अनुमान के अनुसार परियोजना की लागत लगभग 600 करोड़ रुपये है। स्वीकृत शेर परियोजना नरसिंहपुर जिले में नर्मदा की सहायक शेर नदी पर और मच्छरेवा परियोजना इसी जिले में नर्मदा की सहायक मच्छरेवा नदी पर प्रस्तावित है। शक्कर परियोजना छिन्दवाड़ा जिले में नर्मदा की सहायक शक्कर नदी पर प्रस्तावित है। यह तीनों परियोजनाएँ एक काम्पलेक्स के रूप में निर्मित होंगी। इनके जलाशयों से सिंचाई जल कामन मुख्य नहर में प्रवाहित होकर 64 हजार 800 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित करेगा। सम्मिलित रूप से इन परियोजनाओं की लागत 650 करोड़ रुपये आँकी गई है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ओ.पी. रावत ने बताया कि इन चार परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति वृहद परियोजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम है। इन परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शीघ्र तैयार किये जायेंगे। श्री रावत ने बताया कि प्राधिकरण ने परियोजनाओं के अनुमोदन, निर्माण और परियोजना लाभ को केन्द्रित कर बहुआयामी रणनीति लागू की है। लक्ष्य है मध्यप्रदेश को आवंटित जल के उपयोग को वर्ष 2020 तक सुनिश्चित करना।

❑ प्रलय श्रीवास्तव

योजना बनाने की तरकीब सिखाती किताब

स्वयंसेवी संस्था 'समर्थन' ने ग्रामसभा के सशक्तीकरण और पंचायतों के विकास के लिए कुछ उपयोगी किताबों का प्रकाशन किया है। इसी सन्दर्भ में समर्थन ने, समर्थन की पुस्तक - 'गाँव की योजना' में ग्रामसभा में मिल बैठकर गाँव वाले कैसे योजना बना सकते हैं उसको बताया गया है। स्थानीय स्वशासन से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण मेनुअल और पाठ्यसामग्री बनाने की योजना के तहत यह तैयार किताब गाँव के विकास के लिए बनाई जाने वाली योजना को बड़ी बारीकी से समझाती है और ऐसा समझाते समय ऐसी भाषा का प्रयोग हो जो सामान्य कार्यकर्ताओं और गाँव वालों को समझ में आ जाये इस बात का भी ध्यान रखा गया है। जैसा कि इस पुस्तक को तैयार करते समय की रचनागत प्रक्रिया में उल्लेख किया गया है इस पुस्तक को तैयार करने वाले अमित खरे ने गाँव पंचायत में लोगों के साथ काम करने के अपने अनुभवों के आधार पर छोटी-छोटी लेकिन जरूरी बातों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है।

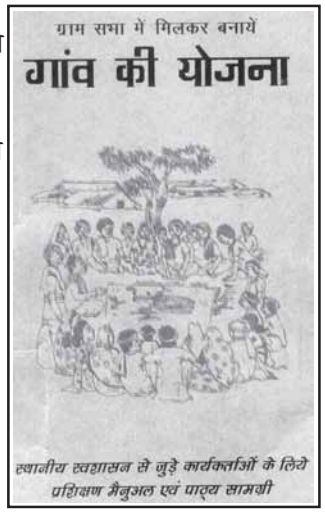

कुल जमा छः अध्यायों में बँटी इस किताब में पहले अध्याय में 'विकास क्या है' इसको समझाने की कोशिश की गई है। गाँव के विकास अर्थात गाँव के लोगों का विकास क्या होता है सबसे पहले यह जानना जरूरी है - इसी बात पर केन्द्रित है पहला अध्याय। गाँव के विकास के दायरे को भी इस किताब में समझाया गया है। जब कभी विकास की प्रक्रिया आरम्भ होती है तब-तब उस विकास को प्रभावित करने वाले कुछ मामले भी सामने आते हैं उसे समझाने की प्रयास इस अध्याय में है। अध्याय के अंत में विकास से जुड़े सवाल जवाब भी उपयोगी हैं।

दूसरे अध्याय में किताब यह समझाती है कि योजना क्या है? योजना अर्थात शास्त्रीय अर्थों में जिसे नियोजन कहा जाता है वो क्या होता है? तथा एक गाँव के विकास की योजना बनाना क्यों जरूरी है उसकी समझाईश भी किताब के इस अध्याय में की गई है। इसी अध्याय में गाँव के विकास के संदर्भ में सूक्ष्मस्तरीय नियोजन को भी समझाया गया है। गाँव में स्थानीय संसाधनों के विकास के लिये स्थानीय लोगों की सहभागिता से योजनाएं बनाई जानी चाहिए इस नियोजन प्रक्रिया को भी इस अध्याय में समझाया गया है साथ ही सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के लाभ भी इस अध्याय में दर्शाया गया है।

किताब का तीसरा अध्याय नियोजन की पूर्व तैयारी और सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया पर केन्द्रित है। नियोजन के पहले कार्यकर्ताओं और सहयोगी संस्थाओं को कौन-कौनसी तैयारी करनी होती है यह तो इस अध्याय में समझाया ही गया है साथ ही जानकारी लेने के तरीकों को भी समझाया गया है। इसी अध्याय में जानकारी लेने के तरीकों की व्यापक व्याख्या की गई है और सामाजिक मानचित्रण, संसाधन मानचित्रण, आर्थिक क्रमांकन और मौसमी चित्रण के बारे में समझाया गया है। मेट्रिक्स रैंकिंग, सेवा सुविधा चित्रण और चपाती चित्रण के बारे में बताया गया है।

इस किताब का चौथा अध्याय विषय विवेचना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में योजना कैसे बनाई जाये इसका विवेचन है। कुल जमा दस चरणों में इस समूची प्रक्रिया को समझाया गया है। समस्याओं की पहचान कर उसकी सूची बनाना, प्रमुख समस्याओं को चुनना अर्थात् प्राथमिकीकरण, प्रमुख समस्याओं और उसके मूल कारणों को पहचानना तथा समस्याओं को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो यह जानना इस विवेचना के पहले चार चरण हैं। इसके बाद नियोजन की गतिविधियाँ तय करना तथा समय निर्धारित करना, योजना बनाने के लिये बजट तैयार करना, योजना बनाने वालों के बीच जिम्मेदारियों का बँटवारा करना और देख रेख यानी 'फॉलो अप' करना बाद के दो चरण हैं। इस विवेचना के अंतिम दो चरणों में योजना की तैयारियों का विवेचन और नियोजन के कामों का दस्तावेजीकरण करना है।

गाँवों की योजना तैयार करने में प्रशिक्षक की क्या भूमिका होगी इस पर केन्द्रित है इस किताब का पाँचवाँ अध्याय। प्रशिक्षण का हमेशा तीन स्तर पर विवेचन होता है। एक प्रशिक्षक की प्रशिक्षण से पहले क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं और एक प्रशिक्षक की प्रशिक्षण के बाद क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं इन तीनों की जिम्मेदारियों को समझाने का यत्न इस अध्याय में किया गया है। इसी अध्याय में प्रशिक्षण के उद्देश्य और प्रशिक्षण के प्रारूप की बात भी कही गई है। किताब का छठवां अध्याय कार्यकर्ताओं पर केन्द्रित है जिसमें यह बताया गया है कि योजना तैयार करने के पहले, योजना के दौरान और योजना के बाद कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए। कुल मिलाकर यह एक उपयोगी किताब है और इस किताब को तैयार करने वालों की यह टिप्पणी भी गौरतलब है कि गाँव वालों के साथ रहकर यदि नियोजन का काम किया जाये तो उससे गाँव के विकास की योजना काफी प्रभावी बन पड़ती है। इस किताब में नियोजन के लिये हर स्तर पर क्या तैयारी की जानी चाहिए उसका विवरण लेखक श्री अमित खरे ने इतनी तरतीब से दिया है कि गाँव की योजना तैयार करने वाले आसानी से इस आधार पर इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं।

*ग्राम सभा में मिलकर बनायें - 'गाँव की योजना' * समर्थन - सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट भोपाल द्वारा तैयार * मुख्य लेखक - अमित खरे * सलाहकार - डॉ. योगेश कुमार

❑ राजा दुबे

सुशासन की पहल हैं प्रदेश की ई-पंचायतें

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश की सभी पंचायतों को ई-पंचायत बनाया जायेगा। ई-पंचायत कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों के कार्यों में विश्वसनीयता और पारदर्शिता लाने के लिए सभी तरह की पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। मध्यप्रदेश में पहले चरण में 2636 ग्राम पंचायतों को ई-कनेक्टीविटी से जोड़ा जायेगा।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश की भी सभी पंचायतें जल्दी ही ई-पंचायतें हो जायेंगी और तब देश के साथ-साथ प्रदेश में भी पंचायतराज संस्थाओं के लिए सूचना और सहायता के प्रदाय का स्वर्णयुग आरम्भ होगा। राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समस्त शासकीय कार्यालयों की सेवायें जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आम आदमी को उपलब्ध करवाना है। प्रत्येक ई-पंचायत में पंचायत मुख्यालय पर ब्रॉण्ड बैण्ड कनेक्टिविटी के साथ उपलब्ध जनसुविधा केन्द्र सभी शासकीय सूचनाएं और सहायता निःशुल्क अथवा न्यूनतम मूल्य पर सामान्यजन को मिलेंगी।

स्थानीय संस्थाओं और ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे कार्यों की पारदर्शिता, सक्षमता तथा विश्वसनीयता बनाये रखने के मंतव्य से समस्त निकायों और पंचायतों का कम्प्यटरीकरण किया जाकर ई-गवर्नेन्स कार्यक्रम के उद्देश्य को सफल बनाना है। इसी सन्दर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस के लिये अधोसंरचनाएं स्थापित कर जन सुविधाएं उपलब्ध करवाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। मध्यप्रदेश को भी देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाया जाकर ई-गवर्नेन्स के अंतर्गत राज्य सूचना केन्द्र, राज्यव्यापी नेटवर्क और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित जनसुविधा केन्द्रों और ई-पंचायतों द्वारा सरकारी सुविधाएं सामान्यजन तक पहुँचें यही इस व्यवस्था का लक्ष्य है।

मिशन मोड प्रोजेक्ट में शामिल हैं कई योजनाएं :

ई-गवर्नेन्स कार्यक्रम के तहत सुशासन के लिये सत्ताईस मिशन मोड प्रोजेक्ट के माध्यम के केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती रूप में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सेवाएं ई-पंचायत और जनसुविधा केन्द्रों से दी जाती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में बैंकिंग, सेन्ट्रल एक्साईज और कस्टम, इनकम टैक्स, इन्श्युरेन्स, देश के नागरिकों से जुड़े आँकड़ों, पासपोर्ट वीजा और आव्रजन सम्बन्धी दीगर सुविधाएं, पेन्शन और ई-ऑफिस तथा एम.सी.ए. ट्वन्टीवन सम्बन्धी सुविधाएं शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में कृषि, वाणिज्यिक कर, ई-डिस्ट्रीक्ट, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज, भू-अभिलेखों, स्थानीय निकायों, ई-ग्राम पंचायतों, पुलिस थानों, सड़क परिवहन और कोषालयों सम्बन्धी सूचनाएं शामिल हैं। समवर्ती सूची की केन्द्र एवं राज्य दोनों ही सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में सी.एस.सी. (जन सुविधा केन्द्र), ई-बिज़, ई-कोर्ट्स, ई-प्रोक्योरमेन्ट, ई-ट्रेड, नेशनल ई-गवर्नेन्स सर्विस डिलेवरी गेटवे (एन.एस.डी.जी.) और इण्डिया पोर्टल से सम्बन्धी सुविधाएं शामिल हैं। मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत ई-पंचायतों के लिये तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत राशि प्रावधानित की गई है। तेरहवें वित्त आयोग में आवंटित राशि प्रत्येक पंचायत तक इलेक्ट्रानिक माध्यम से पांच दिनों में पहुँचा दी जाती है।

मध्यप्रदेश में ई-पंचायत का कार्यक्रम :

मध्यप्रदेश में ई-पंचायत का मिशन मोड प्रोजेक्ट का कार्यक्रम वर्ष 2010 से आरम्भ किया गया था और ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2015 तक इस कार्यक्रम के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा। ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्यप्रदेश के पचास जिलों की तीन सौ तेरह जनपद पंचायतों और तेईस हजार बारह ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिये राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 'एम.पी. स्टेप्स' - (एम.पी.

स्टेट टेक ई पंचायत सोसायटी) नामक संस्था का गठन भी किया है। प्रदेश में इसी सोसायटी के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों में कम्प्यूटीकरण की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं सुशासन की पहल की जा रही है। इन सभी ई-पंचायतों में कम्प्यूटर कक्ष में तीन काउण्टर प्रावधानित हैं :

- पहले काउन्टर के माध्यम से जिसे - 'जन सुविधा केन्द्र' का नाम दिया गया है वहाँ से आम नागरिकों को शासन से वांछित जानकारी और सेवाएं प्रदान की जायेंगी।
- दूसरे काउण्टर से मुख्य रूप से बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस से जुड़ी सेवाएं दी जायेंगी। इस काउण्टर पर बैंक कारसपोण्डेन्ट और पोस्ट ऑफिस के एक्सटेन्शन सम्हालने वाले एक्जीक्यूटिव इन संस्थाओं से जुड़ी सेवाएं देंगे। इसी काउण्टर से पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिये जाने वाले लाभ भी लाभार्थी प्राप्त कर सकेंगे।
- तीसरे काउन्टर से ग्राम पंचायत अपने स्तर पर दी जा सकने वाली केन्द्र एवं राज्य शासन की समस्त जानकारियाँ मिलेंगी। इस काउण्टर से यह जानकारियाँ साफ्टवेयर के स्वरूप में दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त स्वयं की कर वसूली और अन्य जानकारियाँ भी इसी काउण्टर से मिलेंगी।

कम्प्यूटीकरण व्यवस्था में शामिल होंगे छः घटक :

भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश में ई-पंचायत (मिशन मोड प्रोजेक्ट) के लिये एम.पी. स्टेप्स ने भी पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था में छः घटकों को शामिल किया गया है।

1. सुशासन प्रणाली का अध्ययन -

पंचायतों में कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था के पहले प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सुशासन प्रणाली का अध्ययन किया जायेगा। भारत-सरकार द्वारा इस अध्ययन के लिये अधिकृत एजेन्सी 'विप्रो' के द्वारा शिवपुरी एवं सीधी जिले को प्रयोग के लिए चुनकर इन दोनों जिलों में अध्ययन कर आई.एस.एन.ए., ब्रीफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है।

2. कम्प्यूटरीकरण एवं अधोसंरचना की व्यवस्था -

मध्यप्रदेश में समस्त जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर पूर्व से ही भवन उपलब्ध हैं मगर प्रदेश में तीन हजार छः सौ छत्तीस पंचायतें अभी भी भवनविहीन हैं। अधोसंरचना विकास के लिए सबसे पहले तो इन भवनविहीन पंचायतों के लिये भवन बनाये जायेंगे और उन्तीस हजार तीन सौ अठहत्तर पंचायत भवनों में कम्प्यूटर के लिये अतिरिक्त कक्ष के निर्माण की आवश्यकता भी होगी। भवनविहीन पंचायतों में भवन निर्माण के लिए बी.आर.जी.एफ. एवं अन्य मदों से वित्त व्यवस्था की जावेगी। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के निर्णय अनुसार एक कन्सलटेन्ट की नियुक्ति की गई है। इस एक कन्सलटेन्ट के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण प्रणाली से जुड़ी सामग्री, कम्प्यूटर कनफिग्रेशन, दर एवं व्यय की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रस्तावित किये जाने की कार्यवाही की गई है। इसी कन्सलटेन्ट के जरिये कम्प्यूटरीकरण सामग्री की व्यवस्था की जा रही है।

3. ब्रॉड बैण्ड कनेक्टीविटी -

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जायेगी। कनेक्टिविटी की यह सुविधा बी.एस.एन.एल. के यू एस ओ एफ या अन्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी।

4. मानव संसाधन एवं क्षमता विकास -

ई-पंचायत के अन्तर्गत भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा निर्मित साफ्टवेयरों की जानकारी प्रविष्ट करने हेतु कम्प्यूटर आपरेटर-सह-सहायक का पद प्रावधानित किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम्प्यूटर-सह-सहायक का यह पद संविदा आधार पर भरा जायेगा। इसके साथ ही पदस्थ पंचायत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ई-पंचायत के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण के संबंध में कौशल उन्नयन की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।

5. प्रोजेक्ट एप्लीकेशन साफ्टवेयर की उपलब्धता -

ई-पंचायत के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा निर्मित वेब आधारित बारह साफ्टवेयर उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे ग्राम पंचायतों की

समस्त जानकारियाँ आम आदमी को प्रदान की जा सकती है। वर्तमान में ई-पंचायत के अंतर्गत प्लान प्लस, प्रिया साफ्ट, पी.आर.आई. प्रोफाईलर, पंचायत डायरेक्टरी, पंचायत पोर्टल और एक्शन प्लस विकसित किया गया है। इनके अलावा भी भारत सरकार कुछ साफ्टवेयर विकसित कर रहा है जो समय-समय पर पंचायतों को उपलब्ध करवाया जाएगा।

6. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था की जायेगी -

ई-पंचायत अर्थात् मिशन मोड प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट और ब्लॉक सपोर्ट ग्रुप भी गठित किया जाएगा।

इन छः घटकों के अनुसार ई-पंचायत - मिशन मोड प्रोजेक्ट कार्यक्रम का संचालन मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है। प्रथम चरण में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के सहयोग से पचास जिलों में दो हजार छः सौ छत्तीस गाँवों में ई-कनेक्टिविटी से ई-पंचायतें बन गई हैं।

ई-पंचायत का लक्ष्य ग्रामीणों तक बेहतर सुविधाएं देना है -

ई-पंचायत व्यवस्था पर पचमढ़ी में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने अपने उद्‌बोधन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर की क्षेत्रीय कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, दमन एवं दीव तथा दादर नागर हवेली के प्रतिनिधियों एवं भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा एन.आई.सी. एवं बी.एस.एन.एल. के विषय विशेषज्ञों का मध्यप्रदेश राज्य की विन्ध्याचल पर्वत श्रृंखला के महत्वपूर्ण स्थान पचमढ़ी में स्वागत किया। आपने कहा कि भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से आम आदमी को शासन द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं को पारदर्शी एवं समय-सीमा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-पंचायत की पहल की गई है।

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सुशासन की प्रमुख इकाई मानी जाकर मिशन मोड प्रोजेक्ट में सेवाएँ उपलब्ध कराने का कार्यक्रम नियत किया है, जिसमें केन्द्र शासन से संबंधित सेवाएं, राज्य शासन से संबंधित सेवाएं तथा संयुक्त रूप से संचालित सेवाओं का लाभ आम आदमी को मिल सके, इसके लिए ई-पंचायत को सशक्त बनाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के 50 जिला मुख्यालय के जिला पंचायत एवं 313 विकासखण्डों में जनपद पंचायत तथा 23010 ग्राम पंचायतों को इस योजना से जोड़े जाने हेतु कार्यवाही की गई है। योजना पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए एम.पी. स्टेप के नाम से समिति का गठन किया गया है और उसके माध्यम से निर्णय लिये जाकर ग्राम पंचायतों में भारत दूर संचार निगम लिमिटेड के सहयोग से ए.डी.एस.एल. ब्राड बैण्ड कनेक्शन एवं जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, बायमेक्स ब्राडबैंड कनेक्शन के माध्यम से ई-पंचायत को सशक्त बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

ई-पंचायत का महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं एवं शासन की जन कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना, ग्राम सभा एवं आम आदमी की सहभागिता को सुनिश्चित करना एवं उपलब्ध करायी गई सहायता की जानकारी सभी नागरिकों को हो सके इसके

पचमढ़ी में हुई राष्ट्रीय कार्यशाला

ग्राम पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी के लिए गत 15 फरवरी 2012 से पचमढ़ी में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्‌घाटन भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुशील कुमार और प्रदेश के आयुक्त, पंचायत राज विश्वमोहन उपाध्याय ने किया। इस कार्यशाला में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, दमण एवं दीव और नागर हवेली से आये सौ से भी अधिक प्रतिभागियों के साथ मध्यप्रदेश के भी प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में विषय विशेषज्ञों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में प्रदेश के विकास विभागों के अधिकारी एवं नेशनल इन्फारमेशन सेन्टर के अधिकारी भी उपस्थित थे।

लिये बेहतर सेवाएं देना मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश में प्रथम चरण में 2636 ग्राम पंचायतों को इसी वर्ष ब्राड बैंड कनेक्शन से जोड़कर ई कनेक्टीविटी उपलब्ध करायी जा रही है। योजना में शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग को मिलने वाली जानकारी, शासन से आम आदमी को मिलने वाली जानकारी एवं अन्य सभी सुविधाओं का लाभ ई-पंचायतों से प्राप्त हो रहा है।

ई-पंचायतों की सफलता से राज्य सूचना केन्द्र एवं राज्यव्यापी नेटवर्क और ज्यादा सशक्त होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाकर शासन एवं अन्य आदमी को इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा।

❑ राजा दुबे

छः महत्वपूर्ण साफ्टवेयरों का होगा उपयोग

प्रदेश में ई-पंचायत व्यवस्था के लिए बारह सॉफ्टवेयर विकसित किये गए हैं उन्हें पी.ई.एस. यानी पंचायत इन्टरप्राइज स्युईट के नाम से जाना जाता है। इन्हीं बारह पी.ई.एस. में से छः प्रमुख पी.ई.एस. के बारे में गत दिनों पचमढ़ी में तीन दिवसीय कार्यशाला हुई। इन छः पी.ई.एस. को हम मोटे तौर पर उनके उपयोग के आधार पर कैसे विवेचित कर सकते हैं यह समझाने का प्रयास इस कार्यशाला की रिपोर्ट के आधार पर किया जा सकता है।

लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी : इस साफ्टवेयर एल.सी.डी. का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकायों और पंचायतों संबंधी सारी जानकारियों को ऑनलाइन उपलब्ध करवाना है। इस एक साफ्टवेयर में स्थानीय निकायों और पंचायतों के सेट अप, हर संस्था का अपना एक यूनिक कोड, संस्थाओं की गतिविधियों से जुड़े सभी सरकारी आदेश व अधिसूचनाएं, सभी परिवर्द्धित अथवा परिवर्तित संस्करण, राजस्व अभिलेखों और अंचलवार पहचान, सम्मिलन का इतिहास, सम्पूर्ण डायरेक्टरी, मानचित्र, कांस्टीट्वेन्सी और वार्ड्स और उनसे जुड़ी सभी जानकारियाँ शामिल होंगी।

ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल : भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित इस साफ्टवेयर में स्थानीय निकायों और पंचायतों की प्रशिक्षण प्रबंध सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करना है। इस साफ्टवेयर में मुख्य रूप से इन संस्थाओं की प्रशिक्षण सम्बन्धी जरूरतों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बनाने, प्रशिक्षण के लिये संसाधन जुटाने, प्रशिक्षण के आमंत्रण-पत्र और प्रशिक्षण प्रतिभागिता प्रमाण-पत्र बनाने, प्रशिक्षण की प्रक्रिया, अनुश्रवण और प्रभाव के अध्ययन और जन जागरण की कोशिशों सहित प्रशिक्षण से जुड़ी सभी जानकारियाँ शामिल होंगी।

सर्विस प्लस : आम आदमी को अपने रहवास के स्थान पर सभी सरकारी सेवाएं जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिये यह साफ्टवेयर बेहद उपयोगी है। आम आदमी को सरकारी सेवाएं, उनकी जरूरतों के महत्व को देखते हुए वहनीय लागत पर देने और इन सरकारी सेवाओं की क्षमता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाये रखने का यत्न भी इस साफ्टवेयर के माध्यम से सम्भव होगा। इस साफ्टवेयर के माध्यम से लायसेन्स, परमिट जैसी नियामक सेवाओं, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों को जारी करने जैसी विधायी सेवाओं, मनरेगा-इन्दिरा आवास योजना और वृद्धावस्था पेन्शन जैसी योजना का लाभ दिलवाने जैसी विकास सेवाओं और बिलों के भुगतान तथा अन्य जनोपयोगी सेवाओं को उपभोक्ता सेवाओं का प्रदाय किया जाएगा। इस प्रकार ई-पंचायत के लिये सेवा प्रदाता के रूप में यह सबसे महत्वपूर्ण साफ्टवेयर है।

एरिया प्रोफाईलर : स्थानीय निकायों और पंचायतों द्वारा सामाजिक, आर्थिक सूचनाओं, जनांकिकीय सूचनाओं, सार्वजनिक अधोसंरचना और जनसुविधाओं की जानकारी देने और परिवार रजिस्टर सहित चुनाव और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जानकारी के लिए 'एरिया प्रोफाईलर' साफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। इनमें पंचायत प्रोफाईलर और बेसिक स्टेटिस्टिक्स फॉर विलेज लेवल डेवलपमेंट प्रमुख हैं। यह साफ्टवेयर वेब बेस्ड तैयार किया गया है और इसकी सेवाएं अहर्निश प्राप्त होंगी।

एक्शन सॉफ्ट : स्थानीय निकायों और पंचायतों द्वारा करवाये जा रहे कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति के दस्तावेजीकरण के लिये 'एक्शन सॉफ्ट' नाम का एक साफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। इस साफ्टवेयर में काम के शुरू किये जाने, कोष के आवण्टन, कार्य की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां दिये जाने, कार्य प्रगति की सूचनाएं मुहैया करवाने और उनसे जुड़ी दीगर जानकारियाँ दी जायेंगी।

नेशनल एसेट डायरेक्टरी : पंचायतों द्वारा जो परिसम्पत्तियाँ निर्मित की जाती हैं, जिन पर पंचायतों का नियंत्रण है अथवा जिन परिसम्पत्तियों का पंचायतें रख-रखाव करती हैं उन सभी परिसम्पत्तियों का विवरण इस नेशनल एसेट डायरेक्टरी नाम के साफ्टवेयर में उपलब्ध करवाया जायेगा। कोष एवं संसाधनों के अभाव की स्थिति में परिसम्पत्तियों का आकलन एक जरूरी उपाय है क्योंकि इसी से उपलब्ध धन और संसाधन का उपयुक्त इस्तेमाल हो सकता है।

मुख्यमंत्री से मिलीं नीदरलैंड की काउंसिल जनरल

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से गत दिनों राजधानी में नीदरलैंड की काउंसिल जनरल सुश्री मेरीजके ए.वान ड्रनेन लिटेल ने भेंटकर उनसे मध्यप्रदेश में कृषि उद्यानिकी के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मिशन कृषि को लाभ का धंधा बनाना है। कृषि को उन्नत बनाने के लिए नीदरलैंड की पालीहाउस तकनीक को अपनाया जायेगा। गत दिनों केरल की सुश्री लक्ष्मी एन. मेनन ने मुख्यमंत्री के समक्ष पानी और सूर्य के प्रकाश से दिन में अंधेरे स्थानों पर प्रकाश का मॉडल की जानकारी दी। डी.एफ.आई.डी. के पोषण आहार विशेषज्ञ डॉ. स्टीव्स कोलिन ने मुख्यमंत्री से उनके निवास पर भेंट की। गत दिनों तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने भोपाल में युवा वैज्ञानिक कांग्रेस कार्यक्रम के युवा वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया। यह जानकारी हमारे लिये श्री नवीन पुरोहित ने संकलित की है।

मुख्यमंत्री मिले काउंसिल जनरल से

मध्यप्रदेश में कृषि और उद्यानिकी के विकास, विस्तार तथा वैज्ञानीकरण में नीदरलैण्ड सहयोगी बनेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से गत दिनों नीदरलैण्ड की काउंसिल जनरल सुश्री मेरीजके ए.वान ड्रनेन लिटेल (Marijke A Van Drunen Littel) ने भेंट कर मध्यप्रदेश की कृषि उद्यानिकी के साथ अन्य औद्योगिक

क्षेत्रों में भी निवेश करने की उत्सुकता प्रकट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सुश्री लिटेल का स्वागत करते हुए कहा कि कृषि तथा उद्यानिकी में नीदरलैंड को मध्यप्रदेश का नॉलेज पार्टनर बनाया जायेगा। सुश्री लिटेल का कहना था कि कृषि तथा उद्यानिकी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के प्रयास सराहनीय हैं। यहाँ कृषि तथा उद्यानिकी में आगे बढ़ने के व्यापक अवसर हैं। साथ ही अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ाने का नीदरलैंड इच्छुक है। उन्होंने कहा कि यहाँ नीदरलैण्ड की कुछ कंपनियाँ अपना व्यवसाय कर रही हैं। उनका प्रदेश के बारे में बहुत अच्छा अनुभव है। इस चर्चा में नीदरलैण्ड की डीएचवी कंपनी समूह के प्रबंध संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जे.पी.एल. नारायण ने इस डच कंपनी को मिल रहे सहयोग को स्वीकार करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में कोई समस्या नहीं है। कंपनी जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन की पेयजल परियोजना तथा भोपाल विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दो वर्ष पहले की अपनी नीदरलैण्ड यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि वहाँ फल-फूल, सब्जी में उच्च तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरक्की हुई है। पाली हाउस तकनीक के बेहतर परिणाम नीदरलैण्ड को मिले हैं। उन्होंने बताया कि अपनी यात्रा के बाद मध्यप्रदेश में फल, सब्जी, फूल उत्पादकों को पालीहाउस तकनीक अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन खेती को लाभ का धंधा बनाना है। इसमें नीदरलैण्ड की खूबियों को भी शामिल किया जायेगा। उन्होंने अभी हाल ही के दिनों में वाणिज्य उद्योग तथा कृषि प्रसंस्करण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ नीदरलैण्ड गये प्रतिनिधि-मंडल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आगे भी प्रदेश के वैज्ञानिक, कृषक तथा अधिकारी नीदरलैण्ड भेजे जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने देखा सौर प्रकाश का मॉडल

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष केरल से आई

सुश्री लक्ष्मी एन. मेनन ने पानी और सूर्य के प्रकाश से दिन में अंधेरे स्थानों पर प्रकाश का मॉडल प्रस्तुत किया। मात्र 30 से 40 रुपए की लागत से बनने वाले इस सौर-बल्ब में अंधेरे कमरों में 25 वॉट के बल्ब के बराबर रोशनी बिना किसी खर्च के उपलब्ध हो जाएगी। इस अवसर पर मेपकॉस्ट के महानिदेशक श्री पी.के. वर्मा, श्री प्रवीण रामदास और सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री हरिरंजन राव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उपकरण की सराहना की। उन्होंने घनी बस्तियों और स्कूलों जहाँ पर दिन में भी अंधेरा रहता है में उपकरण के उपयोग की सम्भावनाओं का परीक्षण करने के निर्देश मेपकास्ट को दिए। सुश्री मेनन ने बताया कि उपकरण अनुपयोगी सामग्री से बनाया जा सकता है। प्लास्टिक की दो लीटर वाली सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में पानी भरकर उसे छत से बल्ब की भांति लगाया जाता है। बोतल का आधा भाग छत के बाहर और आधा अंदर रहता है। सूर्य की रोशनी मिलते ही छत के नीचे वाला भाग विद्युत बल्ब की भांति प्रकाशवान हो जाता है। उन्होंने बताया कि पानी 3-4 वर्ष तक बदलने की जरूरत नहीं पड़े, इसके लिए बोतल के पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस तकनीक का फिलीपीन्स और ब्राजील जैसे देशों में सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है।

मुख्यमंत्री से मिले पोषण आहार विशेषज्ञ

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से डी.एफ.आई.डी. (डिपार्टमेन्ट फॉर इन्टरनेशनल डेव्हलपमेन्ट) के पोषण आहार विशेषज्ञ डॉ. स्टीव्स कोलिन ने गत दिनों भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से गम्भीर

कुपोषण की समस्या के त्वरित समाधान प्रयासों पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि डी.एफ.आई.डी. द्वारा स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास विभाग को प्रदेश में तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री बी.आर. नायडू, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉ. मनोहर अगनानी, अटल बाल आरोग्य मिशन के संचालक श्री डी.डी. अग्रवाल, डी.एफ.आई.डी. के पोषण सलाहकार सुश्री एन. फिलफोट, मुख्य सलाहकार खाद्य सुरक्षा श्री विराज पटनायक, वरिष्ठ स्वास्थ्य सलाहकार डॉ. राजेश सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। गम्भीर कुपोषण को नियंत्रित करने के लिये अटल बाल आरोग्य मिशन का गठन किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि डी.एफ.आई.डी. से प्रदेश में कुपोषण खत्म करने के लिये पृथक से विस्तृत चर्चा कर उन्हें विशेषज्ञता का लाभ लिया जाय। उन्होंने कुपोषण नियंत्रण प्रयासों में एक दूसरे के साथ पारस्परिक सहयोग के निर्देश दिये।

युवा वैज्ञानिकों को प्रदान किये गये पुरस्कार

तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने गत दिनों विज्ञान भवन में मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित युवा वैज्ञानिक कांग्रेस में प्रदेश के युवा वैज्ञानिकों को पुरस्कार वितरित किये। श्री शर्मा ने कहा कि पुरस्कार से वैज्ञानिकों को शोध

कर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। परिषद ने प्रदेश में शोध कर रहे युवा वैज्ञानिकों का सम्मेलन कर उनकी प्रतिभा को सामने आने का मौका दिया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमें उन्हें तराशने की जरूरत है। उन्होंने शोध पर जोर देते हुए कहा कि सभी युवा वैज्ञानिकों को ऐसे अवसरों का लाभ लेकर निरन्तर आगे बढ़ने का काम जारी रखना चाहिये। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति के प्रयास किये जा रहे हैं। सम्मेलन में 161 शोध-पत्र रखे गये। परिषद के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार वर्मा ने संस्थान के उद्देश्यों और गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन भी दिया। डॉ. अम्बेडकर कॉलेज नई दिल्ली के प्रोफेसर बी.सी. दास ने भी युवा वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और शोधार्थी उपस्थित थे।

मनरेगा में ऑडिट एवं वित्तीय प्रबंधन पर कार्यशाला सम्पन्न

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत गत दिनों ऑडिट एवं वित्तीय प्रबंधन पर केन्द्रित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने किया। कार्यशाला में वर्तमान में ऑडिट एवं वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा एवं चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया।

प्रमुख सचिव श्रीमती शर्मा ने कहा कि ऑडिट एवं वित्तीय प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का भली-भाँति सामना करने के लिए उसकी अवधारणा को बेहतर तरीके से समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि योजना में किये जाने वाले व्यय को भली-भाँति पंजीबद्ध किया जाए। सभी देयकों एवं कार्यों की प्रविष्टियाँ अनिवार्य रूप से करें। एम.आई.एस. पर सभी प्रविष्टियाँ भली-भाँति सुनिश्चित हों। श्रीमती शर्मा ने प्रतिभागियों से बेहतर काम करने की अपेक्षा करते हुए कहा कि अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र व लेखा संबंधी उपयोगी पुस्तकें प्रदान कीं। मनरेगा आयुक्त श्री नीरज मंडलोई ने जिलों के लेखा परीक्षा संबंधी अधिकारियों को लेखा परीक्षा में तकनीकी परिवर्तनों का बेहतर तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में परिवर्तनों को अपनाया जाना अत्यावश्यक है। इससे लेखा एवं परीक्षा के उच्चतम मापदण्डों को स्थापित करने में सफलता प्राप्त हो सकेगी।

कार्यशाला में सभी जिलों के लेखाधिकारियों ने सहभागिता की। ऑडिट एवं वित्तीय प्रबंधन संबंधी 93 महत्वपूर्ण बिन्दुओं में समाहित जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को दी गयी। मनरेगा में संबंधित इंटरनल ऑडिट एवं मनरेगा से संबंधित ऑडिट एवं फायनेंशियल मैनेजमेंट साफ्टवेयर की संकल्पना एवं साफ्टवेयर का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यशाला में प्रिया साफ्टवेयर की बारीकियाँ भी बताई गयीं।

❑ देवेन्द्र जोशी

मनरेगा के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में चौथे क्रम पर

मध्यप्रदेश मनरेगा के क्रियान्वयन में देश में चौथे क्रम पर है। राज्य में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जरिये शुरुआत से अब तक बुनियादी विकास कार्यों और ग्रामीणों की बेहतरी के लिये 17 हजार 730 करोड़ 26 लाख की राशि खर्च की गई है। इससे 9 लाख 78 हजार से अधिक कार्य हुए हैं और ग्रामीण मजदूरों को 132 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। योजना के बेहतर क्रियान्वयन और सतत् पर्यवेक्षण से जहाँ ग्रामीण अँचलों के आर्थिक विकास को नई दिशा मिली है, वहीं रोजगार के अभाव में ग्रामीण श्रमिकों के पलायन को भी रोकने में कामयाबी मिली है। प्रदेश में महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी स्कीम के संबंध में समय-समय पर मिलने वाली शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। मनरेगा के संबंध में केन्द्र से प्रदेश को अब तक प्राप्त कुल 178 शिकायतों में से 108 की जाँच पूरी हो चुकी है। जाँच के बाद 61 शिकायतें निराधार पाई गईं। इसके अलावा 47 शिकायतें आंशिक रूप से सत्य होने पर उनमें प्रभावी कार्यवाही हुई है। वर्तमान में 70 शिकायतों की जाँच जारी है। मनरेगा के क्रियान्वयन में लापरवाही और गड़बड़ी के मामलों में प्रदेश में अब तक 2,143 शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। मनरेगा में मजदूर और सामग्री अनुपात में 60 और 40 का अनुपात सख्ती से लागू किया गया है। मनरेगा के जरिये प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास की कई अनूठी योजनाएँ प्रदेश में शुरू की गई हैं, वहीं हितग्राहीमूलक योजनाओं के अनूठेपन से अन्य राज्यों में भी उनका अनुसरण किया जा रहा है। आंतरिक-पथ नाम से शुरू की गई ऐसी ही एक उप-योजना में ग्रामों के आंतरिक मार्गों को बनाया जा रहा है। शांतिधाम उप-योजना में ग्रामीण अंचलों में श्मशान घाट और कब्रिस्तान की भूमि का विकास किया जा रहा है। कामधेनु उप योजना में गौ-शालाओं के पहुँच मार्ग, कूप, लघु तालाब, चारागाह विकास और खाद की आपूर्ति के लिये खंती का निर्माण कार्य करवाया जाता है।

होशंगाबाद जिले की पंचायतों में समग्र स्वच्छता अभियान का जोर

होशंगाबाद जिले की ग्राम पंचायतों में समग्र स्वच्छता अभियान जोर पकड़ रहा है। इस अभियान के तहत तैयार की गई 'शोले' दिखाई जा रही है। यह चर्चित फिल्म 'शोले' का रीमिक्स है। इसमें फिल्म के डुप्लीकेट कलाकार सफाई के प्रति ग्रामीणों को सजग कर रहे हैं। अभियान के साथ माडल ट्रेनिंग सेंटरों में जिले का ग्राम चिल्लई भी शामिल है। उधर जिले में पंच-परमेश्वर योजना का क्रियान्वयन असर दिखाने लगा है। इस योजना के तहत प्राप्त पहली किश्त को मार्च 2012 के अंत तक खर्च करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

होशंगाबाद जिला पंचायत के समग्र स्वच्छता अभियान में जागरूकता लाने के लिए सफाई चालीसा तैयार किया गया है। अभियान के परियोजना अधिकारी बताते हैं कि ग्रामीणों में सफाई के प्रति सजग बनाने के लिए 'शोले' फिल्म का रीमिक्स बनाया गया है। इसमें फिल्म के कलाकार अमिताभ बच्चन, धर्मेन्द्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, अमजद खान के डुप्लीकेट ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश देते दिखेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के आठ जिलों में से होशंगाबाद के ग्राम चिल्लई का चयन मॉडल ट्रेनिंग सेंटरों में किया गया है। अन्य जिलों में खरगोन का नादिया, बालाघाट का देवगांव, नरसिंहपुर का बधुवार, गुना का नलखेड़ा, उमरिया का दुगबार, उज्जैन का पालखंदा और पन्ना का कुंजवन शामिल हैं। होशंगाबाद जिले की कुल जमा 428 ग्राम पंचायतों में 62 में यह अभियान जोर पकड़ गया है। पंचायत विभाग के मुताबिक 70 ग्राम पंचायतों को निर्मल गांव बनाने के लिये प्रस्ताव शासन को भेज दिए गए हैं।

समग्र स्वच्छता अभियान में साफ सफाई के सात बिन्दु खासतौर पर शामिल हैं ये बिन्दु हैं - शुद्ध पीने के पानी का रखरखाव एवं उपयोग, मानव मल का सुरक्षित निपटान, गंदे पानी की निकासी, कूड़े-करकट को नष्ट करना, घरेलू और खाद्य पदार्थों की स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ-सफाई व सामुदायिक स्वच्छता।

पंच-परमेश्वर योजना के क्रियान्वयन का असर

पंच-परमेश्वर योजना के क्रियान्वयन का असर दिखने लगा है। होशंगाबाद जिले के पिपरिया विकासखण्ड में इस योजना की पहली किश्त की राशि का उपयोग मार्च 2012 के अंत तक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पंच परमेश्वर योजना और रोजगार गारंटी योजना के तहत संयुक्त राशि से 53 ग्राम पंचायतों में 125 सी सी रोड बनेंगी। पहले चरण में आठ ग्रामों में सड़क निर्माण के लिये तकनीकी मंजूरी मिल चुकी है। इन गांवों में शामिल हैं - सांडिया, खापरखेड़ा, खैरुआ, पचलावरा और रामपुर। सांडिया एवं खैरुआ में दो-दो सड़कें बनाई जाएंगी। पिपरिया जनपद पंचायत के साधारण सम्मेलन में उपर्युक्त स्वीकृतियाँ दी गई हैं। पिछले माह आयोजित इस सम्मेलन में सड़कों के निर्माण के अलावा रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 गाँवों में खेल मैदान बनाए जाने का भी निर्णय लिया गया। ये गांव हैं- पुनौर, खैरा, पौसेरा, रामपुर, मरकाढाना, धनाश्री, मुड़ियाखेड़ा, राईखेड़ी, पनारी, मोकलवाड़ा, लांझी, बीजनवाड़ा, खैरुआ, बोर, गुरारी, गाड़ाघाट सितारी आदि। क्षेत्रफल के अनुसार इन खेल मैदानों का बजट प्रस्तावित है। इन पर डेढ़ से दो लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इनके अलावा11 गांवों में शांतिधाम के निर्माण के कार्य भी मंजूर किए गए हैं। सम्मेलन में जनपद अध्यक्ष भारती पलिया ने क्षेत्र में पंच-परमेश्वर योजना और अन्य कार्यक्रमों की जानकारी ली। जनपद उपाध्यक्ष श्रीकांत चौधरी ने टेल क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। सम्मेलन में अन्य विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

❑ साकेत दुबे

मनरेगा में वनवासी संवर्धन से मिलेगा रोजगार

प्रदेश के वन अंचलों में रहने वाले ऐसे वनवासियों, जिन्हें वन अधिकार अधिनियम में पट्टे दिये गये हैं, की कृषि भूमि का विकास अब वनवासी संवर्धन उप-योजना से हो सकेगा। महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी स्कीम के माध्यम से वनक्षेत्रों में अधोसंरचना विकास की इस अनूठी उप-योजना से पट्टाधारी वनवासियों को रोजगार भी हासिल होगा। इस उप-योजना में वनवासियों की पट्टे की कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने के साथ ही भूमि विकास के कार्य करवाये जायेंगे। वन अधिकार अधिनियम के पट्टाधारियों को उनकी पट्टे की भूमि के विकास के साथ-साथ रोजगार दिलाने में यह उप-योजना मददगार होगी। साथ ही इन पट्टाधारियों को कृषि आधारित स्थाई आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिये मनरेगा की अन्य उप-योजनाओं से लाभान्वित करने के प्रयास भी किये जायेंगे। इस उप-योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला-पंचायतों को दी गई है। ग्राम-पंचायतवार परियोजनाएँ तैयार कर उन्हें सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिये त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। इन परियोजनाओं को ग्राम-पंचायत की वार्षिक कार्य-योजना में शामिल किया जायेगा। उप-योजना का क्रियान्वयन मनरेगा के दिशा-निर्देशों और प्रावधानों के अनुरूप होगा। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के तकनीकी अमले द्वारा उप-योजना में होने वाले कृषि भूमि के विकास कार्यों का तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा।

❑ मनोज दुबे

आजीविका परियोजना ने बदली किसानों की तकदीर

मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना मध्यप्रदेश के 10 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में कार्यरत है। परियोजना का उद्देश्य आम गरीब आदमी को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें मजबूत एवं स्थाई बनाते हुये, सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करना है।

इन जनजाति बाहुल्य जिलों में आय का प्रमुख साधन खेती और कृषि मजदूरी है। इसके अलावा ये परिवार अपनी आजीविका के लिये आसपास के शहरों में भी खेती एवं अन्य मजदूरी कार्यों के लिये जाते थे। अपने गांव से बाहर मजदूरी के लिये इन्हें अपने परिवार की जरूरतों एवं काम के आधार पर 2-3 महीनों से लेकर 4-5 महीनों तक रहना पड़ता था। इस पलायन से इन्हें अपने सालभर के परिवार के गुजारे एवं खर्च के लिये कमाई हो जाती थी, इसी से ये अपनी छोटी सी खेती के काम, शादी के काम, घर की मरम्मत सुधार, नया बनाने गाड़ी खरीदने, उधारी चुकाने आदि किया करते हैं, परन्तु नुकसान के तौर पर देखें तो इन्हें अपने घर परिवार से अलग रहना पड़ता था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती थी, आंगनवाड़ी जाने योग्य बच्चे आंगनवाड़ी नहीं जा पाते थे, उनकी समय पर स्वास्थ्य जांच नहीं हो पाती थी, टीकाकरण नहीं हो पाता था, बीमार होने पर समय पर सही इलाज नहीं हो पाता था, इस वजह से कुपोषण एवं बीमारी का प्रकोप बढ़ता था, वे बगैर पढ़े लिखे या 5वीं 8वीं कक्षा तक ही पढ़े लिखे रह जाते थे। कुल मिलाकर जीवन मुश्किल से कमाने और चलाने के संघर्ष में व्यतीत हो जाता था।

खेती को लाभ का धन्धा बनाने के लिये किये गये प्रयासः-

जानकारी जागरूकता : गांव-गांव किसानों की बैठकें करके उनसे खेती करने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई, खेती की प्रक्रिया परम्परा एवं तौर तरीके को जान समझकर उन्हें सभी आवश्यक सलाह दी गई। दी गई सलाह में बगैर पैसे के किये जाने वाले देशी परन्तु वैज्ञानिक तौर तरीके पर जोर दिया गया और कृषि की सस्ती तकनीक बताई गई। किसानों के साथ चर्चा करके अभी लागत क्या आती है और मुनाफा कितना होता है जाना गया। बगैर खर्च के या कम खर्च के कारगर उपाय अपनाने से उनका खर्च कैसे कम होगा, और मुनाफा कैसे बढ़ेगा, यह बात बारीकी से विश्लेषण करके बताई गई।

विभागीय समन्वय : खेती को लाभ का धन्धा बनाने के लिये यह जरूरी था कि उनके ज्ञान एवं क्षमताओं में वृद्धि की जावे परन्तु केवल इतने से ही पूरी बात बनने वाली नहीं थी, उन्हें यह बताना भी नितान्त आवश्यक था कि उन्हें शासन की कौन-कौन सी योजनाओं-कार्यक्रमों का लाभ कैसे मिल सकता है? अब बड़े पैमाने पर उन्हें न सिर्फ जानकारी उपलब्ध कराई गई बल्कि उनकी पात्रता अनुसार योजना कार्यक्रमों से लाभ दिलाया गया ताकि वे अपनी सामर्थ्य के अलावा भी अतिरिक्त साधन अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिये जुटा सकें।

- बड़े पैमाने पर एनआरईजीएस योजनाओं के साथ समन्वय कर मेढ़ बन्धान का कार्य कराया गया।
- कपिलधारा कुएं के प्रस्ताव बनाकर स्वीकृत कराये गये।
- कृषि विभाग से मिनीकिट, खाद बीज, दवाई उपलब्ध कराई गई।
- मिट्टी परीक्षण बड़े पैमाने पर कराया गया।
- वर्मीकम्पोस्ट एवं नाडेप खाद के टांके योजना के माध्यम से बनाये गये।
- गोबर गैस संयन्त्र स्थापित कराकर उसकी खाद को उपयोग कराया गया।
- पानी रोकने की संरचनाएं, कुओं का जीर्णोद्धार किया गया। नये कुओं का निर्माण कराया गया।
- डीजल पम्प, पाईप, मोटर उपलब्ध कराई गई।
- स्प्रिंकलर सेट तथा ड्रिप इर्रीगेशन सिस्टम उपलब्ध कराये गये।

प्रशिक्षण : किसानों को परम्परागत खेती में बदलाव लाकर लाभ कमाने के लिये लगातार रबी एवं खरीफ की फसलों के पहले प्रशिक्षण दिया गया।

शैक्षणिक भ्रमण : किसानों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी बढ़ाने एवं इससे किसानों के अनुभवों से सिखाने के लिये जिले में, प्रदेश में, और प्रदेश के बाहर शैक्षणिक भ्रमण कराये गये।

ग्रामसभा से ऋण की उपलब्धता : ग्राम सभाओं से लगातार कई सालों तक मिले खेती के छोटे-छोटे लोन एवं अनुदान ने उन्हें कर्ज और साहूकार के कुचक्र से बचाने में न केवल मदद की बल्कि कर्ज का नया बोझ भी उनके उपर नहीं आने दिया। इस काम ने किसानों के लिये संजीवनी बूटी के जैसा काम किया। कुल मिलाकर-सहयोग की पूरी प्रक्रिया ने उन्हें न केवल प्रेरित किया, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया। जिस खेती को वे भगवान और बरसात के भरोसे छोड़ जाते थे उसी खेती से सम्मान और रुपया दोनों कमाने लगे।

अन्य योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ दिलाना : उनके खर्चे कम करने और उनकी बचत बढ़ाने के लिये ग्राम सभा के माध्यम से, विभागों के साथ मिलकर पात्रतानुसार उन्हें विभिन्न कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ भी दिलाया गया।

पशु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन : जानवरों के लिये बड़े पैमाने पर प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाये गये जिसमें बीमारी की जांच और दवाई वितरण के साथ टीकाकरण किया गया।

परिणाम : खेती को लाभ का धन्धा बनाने के लिये किये गये प्रयासों के परिणाम यह बताते हैं कि किये गये प्रयास सार्थक सिद्ध हुये हैं।

1. किसानों के साथ किये सभी तरह के प्रयासों के परिणामस्वरूप खेती से उनकी आमदनी पहले की तुलना में बढ़ी है। कुल 55687 किसान ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 1500 से 3000 रुपये है, 35988 किसानों की मासिक आय 3000 से 5000 और 15822 किसानों की मासिक आय 5000 से ऊपर बढ़ी है।
2. किसानों को जैविक खाद बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। करीब 6000 बायोगैस संयन्त्र लगाने वाले परिवार अपनी खाद का उपयोग कर रहे हैं।
3. 7292 परिवारों के यहां वर्मी कम्पोस्ट एवं 14609 परिवारों के यहां कम्पोस्ट पिट बनाये गये हैं।
4. मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल एवं अनूपपुर जिले के बैगा कृषकों को खेती की नई वैज्ञानिक तकनीकी जानकारियों संसाधनों के साथ जोड़कर अधिक उत्पादन एवं ज्यादा लाभ के लिये प्रोत्साहित किया गया है। कुल मिलाकर 10086 बैगा परिवारों में से 9202 कृषक परिवारों को अभी तक सहयोग प्रदान किया जा सका है।
5. किसानों को सब्जी का उचित मूल्य दिलाने एवं ग्रामीण उत्पाद एवं विक्रय केन्द्र पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से 31 'आजीविका फ्रेश' केन्द्र खोले गये। जिनकी कुल बिक्री 1726864.00 रुपये और कुल मुनाफा1514416.00 रुपये है। इन केन्द्रों को किसानों के समूह स्वयं संचालित कर रहे हैं और उनकी योजना बैंकों से नाबार्ड से मदद लेकर अपने काम को और आगे बढ़ाने एवं मजबूत बनाने की है।
6. परियोजना क्षेत्र में सभी 2901 गांवों में किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने एवं तैयार कराने के प्रयास किये गये हैं। लगभग सभी गांवों में किसान उन्नत बीजों का उपयोग कर रहे हैं। निरन्तर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु 64 बीज उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण कराया जाकर उनकी क्षमतावृद्धि के प्रयास किये गये हैं। समितियों ने अपनी कार्ययोजना अनुसार अपना काम शुरू कर दिया है। बैंकों से सहयोग लेने हेतु प्रक्रिया जारी है।
7. जैविक खेती की मांग एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये इसको बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं। शहडोल, मण्डला, डिण्डोरी, अनूपपुर जिलों में 1418 कृषकों के साथ 17.69 हेक्टेयर में जैविक खेती को प्रोत्साहित एवं संरक्षित किया जा रहा है। भोपाल दिल्ली एवं देश के अन्य राज्यों में आयोजित होने वाले जैविक मेलों, हाटबाजारों में अपना कृषि उत्पाद ले जाकर इन किसानों ने नाम और मुनाफा दोनों कमाया है।
8. परियोजना क्षेत्र में लगभग71186 परिवारों द्वारा पलायन नहीं करना और लगभग 23620 परिवारों द्वारा मजदूरी बन्द कर देना अपने आप में यह बताता है कि उन्नत कृषि को किसानों ने स्वीकार कर लिया है और वे अपने खेत में अपनी माटी से अपनी आजीविका चलाना, मुनाफा कमाना सीख गये हैं।

(शेष पृष्ठ 28 पर)

आम के आम गुठलियों के दाम!

'आम के आम और गुठलियों के दाम!' यह कहावत हर आम-ओ-खास आदमी की जुबान पर हमेशा रहती है। यह जहाँ आम के लाभों को प्रदर्शित करती है तो वहीं हमारे व्यावहारिक जीवन में चौतरफा लाभ की स्थिति को भी इस कहावत के जरिये अभिव्यक्त किया जाता है। आम और उसका रस हमारे जीवन में इतना घुला-मिला है कि उसके बिना जीवन की कल्पना ही संभव नहीं लगती। भारतीय वाङ्गमय में 'आम' कितना सम्मान सूचक है इसका अंदाजा तो इसी तथ्य से लग जाता है कि इसे 'आदमी' के साथ जोड़कर आदमी को सम्मानित ही किया गया है - 'आम आदमी'। यह बिल्कुल श्री, श्रीमान.... श्रीमती ... जैसा सम्मानबोधक है। भारतीय साहित्य और जीवन में आम, उसके बौर और अमराई के बीच बसंत के संदेश के साथ उसके प्रतीकात्मक संदेशों को तो जमकर इस्तेमाल किया गया है। कालिदास ने तो महिलाओं के सौंदर्य को अभिव्यक्त करने के लिये आम का खूब सहारा लिया है। हालांकि आधुनिक युग के जीवन की आपाधापी में रमेश दुबे जैसे व्यंग्यकारों ने 'आम आदमी' को परिभाषित करते हुए लिखा है - 'आम आदमी', कुछ नहीं सिर्फ 'परिस्थितियों' का 'फल' है।

बहरहाल भारतीय मनीषी आम की महत्ता और उसके रहस्यों को बखूबी जानते थे इसलिए इसे उन्होंने जीवन के हर मांगलिक कामों में शामिल किया। इसकी वजह है - आम का पेड़, 'आक्सीजन' चौबीसों घंटे छोड़ता है और 'कार्बन डाई आक्साइड' को सोखता है। हमारे सार्वजनिक कार्यक्रमों में जहाँ भीड़ होती है वहाँ आम के पत्तों के वंदनवार इसलिए बांधे जाते हैं। ये पत्ते भीड़ के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाई आक्साइड को आसानी से सोख लेते हैं। विवाहों में मंडपाच्छादन आम के पत्तों से करने का मुख्य कारण भी यही है। यही नहीं हवन आदि में उसकी लकड़ी का प्रयोग भी इसी वजह से किया जाता है।

भारतीय आमों की प्रसिद्धि का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि आम के स्वाद, गुण, रूप और सुगंध की खासियतें सुनकर ईरान के बादशाह ने अपना एक प्रतिनिधि दल-बल के साथ आम लाने भारत भेजा था। यह दल कई किस्मों के आम के टोकने लेकर रवाना हुआ। लेकिन रास्ते में ही यह दल सारे आम हजम कर गया। बादशाह को केवल आम की तारीफ मिली आम नहीं। वह तरसता रह गया। पिछले दशक में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान स्वागत भोज में आमों की विभिन्न किस्मों का स्वाद उन्हें चखाया। क्लिंटन की पत्नी तो टोकनों से भरकर आम अपने साथ ले गईं। भारत में आमों की करीब 800 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उनके तत्वों और गुणों में थोड़ा बहुत अंतर होता है इसलिए इन किस्मों को अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में आम की विभिन्न किस्मों की विशाल प्रदर्शनी का आयोजन भी होता है। इसमें 700 प्रकार के आम प्रदर्शित किये जाते हैं।

वैज्ञानिकों ने आम में जो पाया है उसे यदि देख लें तो आम में विद्यमान तत्वों और गुणों का पता आसानी से मिल जाता है। इसमें आर्द्रता 81.0%, प्रोटीन 0.6%, वसा 0.4%, कार्बोहाइड्रेट्स 16.9%, रेशा (फाइबर) 0.7%, खनिज लवण 0.4%, कैल्सियम 14 मि.ग्रा., फास्फोरस 16 मि.ग्रा., लौह तत्व 1.3 मि.ग्राम, विटामिन सी 160 मि.ग्रा. और कैलोरीज 74 होती हैं। आम में पाए जाने वाले ये चिकित्सकीय पदार्थ विभिन्न रोगों में काम आते हैं। फलतः यह अनेक रोगों को सरलता से ठीक कर देता है। कच्चा आम पत्थरी को गला देता है। खूनी आँव, सूखा रोग मिटाने की तो यह अकसीर दवा है। इसकी चटनी ने केवल पाचक होती है बल्कि गैस्ट्रिक ट्रबल (गैस की समस्या) से भी निजात दिलाती है। आम के पत्तों की चूरन खाने से पत्थरी गलती है तो इसकी चाय श्वास फूलने, दमा या श्वास के अन्य रोगों के लिये अपूर्व औषधि है। दौड़ने वालों के लिए यह चाय दम साधक सिद्ध होती है। महिलाओं में कच्चे आम का शौक बहुत होता है। नवविवाहिता को इसकी तलफ लगती है तो माना जाता है घर-आंगन में किलकारियां गूंजने वाली हैं। यही नहीं पका आम और उसकी गुठलियां प्रदर रोगों, योनि संकुचन और रजोनिवृत्ति पर गर्भाशय का कैंसर, ट्यूमर और योनि द्वार के छालों को दूर करता है। आम की गुठलियों के चूरन को

खिलाने से बच्चों की मिट्टी खाने की आदत आसानी से छुड़ाई जा सकती है क्योंकि इसमें भरपूर कैल्सियम होता है। गर्मियों में होने वाले गरमीलों (अलाइयों, कुरूरू या चमड़ी पर उभर आने वाले राई जैसे सघन दाने), बड़ी फुंसियों, फोड़े (बाल तोड़) आदि पर इसकी गुठलियों को घिसकर लगाने से जल्द आराम मिल जाता है। कच्चे आम का पना लू-निवारक माना जाता है।

प्रति व्यक्ति को हर रोज करीब 5 हजार भारतीय मानक इकाई मात्रा के विटामिन-ए की आवश्यकता होती है और यह मात्रा पके आम के 100 ग्राम भार के रस से प्राप्त हो सकती है। नेत्र रोगों में रतौंधी, दूर या पास की दृष्टि में कमजोरी, आँखों की जलन आदि कष्टों से यह रस निजात दिलाता है। आम की पत्तियां चबाने और दाँतोन करने से मसूढ़ों से खून आना बंद हो जाता है और हिलने वाले दाँत जम जाते हैं। क्षय रोग, सूखी खाँसी, पीलिया को इसके सेवन से भगाया जा सकता है। बबासीर से पीड़ितों के लिये यह राम बाण है।

आम के रस को बढ़िया टॉनिक माना जाता है। दुबले-पतले शरीर वाले व्यक्ति यदि मोटे, सुंदर और पुष्ट बनना चाहते हैं तो प्रतिदिन योगासन के व्यायाम करने के बाद आम का100 ग्राम रस पीकर ऊपर से 200 ग्राम गुनगुना दूध पीलें तो तीन माह में भरपूर रक्त, सुगठित पेशियाँ, अच्छा स्वास्थ्य तथा भरपूर स्फूर्ति मिल सकती है। फेफड़ों के कैंसर और हृदय रोगियों के लिये तो यह वरदान है। हालांकि आम का अति उपयोग नुकसानदायक भी साबित होता है। इसलिए किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक की देख-रेख में आम के गुणों का लाभ उठाया जा सकता है। साँप, बिच्छू, ततैया आदि के विषैले दंशों को यह कुछ हद तक राहत का काम करता है। काटे गए स्थान पर पके आम की गुठली को तत्काल घिसकर लगा सकते हैं। साँप काटने के मामले में तो एलोपैथिक इलाज तत्काल लेना ही बेहतर होता है।

मध्यप्रदेश में होशंगाबाद और बैतूल जिले का आम श्रेष्ठ माना जाता है। होशंगाबाद जिले में फलों के उत्पादन के मामले में यह नंबर एक फसल है। लगभग एक हजार 691 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में सात टन आम के उत्पादन के मान से लगभग 11 हजार 838 टन उत्पादन होता है। जिले के बाबई कृषि फार्म में सर्वाधिक उत्कृष्ट किस्मों के आमों का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह पिपरिया, मटकुली, रामपुर और खापरखेड़ा सहित इटारसी-सिवनीमालवा विकासखण्डों में आमों की विभिन्न किस्में उगाई जाती हैं। इनमें प्रमुख रूप से बांबे ग्रीन, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, मल्लिका, आम्रपाली हिमसागर, पायरी, रत्ना सिंधू आदि किस्में शामिल हैं। चूसने वाला छोटा आम भी बहुतायत से पाया जाता है। अचार डालने के लिए होशंगाबाद जिले का कच्चा आम दूर-दूर तक भेजा जाता है।

जिले के पिपरिया विकासखण्ड की उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ग्राम सिलारी फार्म में कुल 550 आम के पेड़ हैं। ग्राम रामपुर स्थित सरकारी उद्यान में178 और खापरखेड़ा में28 आम के पेड़ हैं। बीते साल सिलारी में 95 क्विंटल, रामपुर में 29 क्विंटल और खापरखेड़ा में3.50 क्विंटल आमों का उत्पादन हुआ था। सिलारी उद्यान के पेड़ 1 लाख 11 हजार 102 रुपए में नीलाम हुए थे। रामपुर 91 हजार और खापरखेड़ा में साढ़े तीन हजार रुपए में नीलामी की बोली टूटी थी। सामान्य तौर पर एक आम का पेड़ पाँच सौ से साढ़े तीन हजार का मुनाफा देता है।

राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन की योजनाओं के अंतर्गत सामान्य अंतर पर आम की फसल लेने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर क्रमशः 9900, 3300 और 3300 का अनुदान पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में दिया जाता है। यह अनुदान जीवित पेड़ों पर देय है। हायडेन्सिटी पर यही अनुदान क्रमशः 24 हजार, 8-8 हजार रुपए होता है। मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग से कृषक को आम के उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का शासकीय/अर्द्धशासकीय नर्सरियों से क्रय करने पर पाँच साला अनुदान दिया जाता है। यह पाँच वर्षों में क्रमश 4350, 975, 975, 1150-1150 होता है। यह भी जीवित पौधों पर देय होता है। इस बार मध्यप्रदेश में आम के अच्छे उत्पादन की संभावना है। हालांकि ठंड के लंबे खिंच जाने के कारण आम में बौर (फूल) देर से आए हैं इस वजह से इसकी फसल में विलंब की आशंका है। हालांकि अप्रैल 2012 के पहले हफ्ते तक भरपूर आम मिलने लगेगा।

❑ साकेत दुबे

(पृष्ठ 26 का शेष)

9. धान का उत्पादन बढ़ाने एवं छोटी खेती वालों को ज्यादा आय के लिये एसआरआई पद्धति से खेती करने के तौर-तरीकों से न केवल परिचित कराया गया बल्कि उन्होंने इस पद्धति से खेती करके अधिक उत्पादन लिया और ज्यादा मुनाफा कमाया है। अलीराजपुर, बड़वानी, मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, अनूपपूर, सागर (गढ़ाकोटा) जिलों में कुल 50010 कृषकों के साथ 1266 गांवों में 17209 हेक्टेयर में इस पद्धति से धान का उत्पादन किया गया है।
10. जानकारी मिलने, समय पर सहयोग मिलने, पानी की पुरानी सुविधाएं ठीक होने, नई तैयार होने से कुल मिलाकर लगभग 76276 कृषक व्यवसायिक सब्जी उत्पादन का काम कर रहे हैं।

❑ अमित खरे

सामूहिक प्रयास से हरी-भरी हुई बंजर पहाड़ी

जबलपुर जिले की विकासखण्ड मझौली में पर्यावरण प्रेम, जीवटता और उद्यम की नई मिसाल देखने को मिली है। मझौली से 2 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत हटौली में ग्रामीण युवाओं ने हरियाली महोत्सव से मिली प्रेरणा से प्रकृति को सहेजने के लिये वीरान बंजर पहाड़ी को नया जीवन देते हुए पहाड़ी की पुरानी झाड़ियों को संरक्षित किया तथा नए पौधों का रोपण भी किया। चार साल पहले तक बंजर और काले पत्थर की ज्वालामुखी चट्टानों के रूप में पहचान रखने वाली उजाड़ पहाड़ी में युवाओं की इच्छा शक्ति रंग लाई और पौधों से वीरान हो चुकी इस उजाड़ पहाड़ी पर फिर से हरियाली इठलाने लगी। आज इस पहाड़ी में करीब 16 हजार सेजा, नीम, पलाश, फलदार और मिश्रित प्रजाति के पौधे लहलहा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य दिनेश चौरसिया ने बताया कि पहाड़ी में पौधों के संरक्षण व रोपण हेतु 35 युवाओं ने एक वन रक्षा समिति गठित की जिसके अध्यक्ष रूपचन्द्र कोष्टा हैं। समिति ने श्रमदान और सहयोग राशि एकत्रित कर पहाड़ी के चारों ओर बाड़ लगाई। क्षेत्र के डिप्टी रेंजर एस.के. तिवारी ने बताया कि वन रक्षा समिति ने काफी उत्कृष्ट कार्य किया है और वन विभाग द्वारा समिति की मांग पर पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। समिति के सदस्य मनोज कोष्टा ने कहा कि समिति के सभी सदस्य प्रतिदिन सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक स्वेच्छा से पौधों की देखभाल, साज संवार, पानी देने का काम करते हैं। वनरक्षा समिति के सदस्यों ने गर्मियों में पौधों की सिंचाई के लिए श्रमदान से पहाड़ी की तलहटी में करीब डेढ़ एकड़ जल भराव क्षमता वाले तालाब का निर्माण किया है। तालाब में जहाँ गर्मियों में पौधों की सिंचाई हो जाती है वहीं जल संरक्षण को लेकर लोग जागृत भी हुए हैं। समिति के सदस्य संजय सोनी कहते हैं कि हमने बचपन से ही पहाड़ी को हरा-भरा देखा है लेकिन कुछ सालों से पहाड़ी वीरान हो गई थी जिसे फिर से हरा-भरा बनाने के लिए लोग प्रतिदिन निःस्वार्थ भावना से श्रमदान करते हैं। समिति के अन्य सदस्य राजेश साहू बताते हैं कि कभी पेड़ पौधों की हरियाली से आबाद रही इस पहाड़ी को कुल्हाड़ी से तबाह होते हुए देखने वाले लोग आज भी आस-पास के गांव में मौजूद हैं। पहाड़ी के फिर से हरा-भरा हो जाने से गांव के लोग काफी खुश हैं। जंगलों को बचाने के लिये सभी जगह अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में यह प्रयास किसी उपलब्धि से कम नहीं है। हरी-भरी यह पहाड़ी पूरे प्रदेश में पर्यावरण को बचाने की दिशा में मिसाल बन गई है जिसे देखने के लिए दूरदराज की पंचायतों के लोग आ रहे हैं। कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसी को ध्यान में रखते हुए वन रक्षा समिति के सदस्यों ने पहाड़ी को हरा-भरा बनाने का बीड़ा उठाया था और आज उसके परिणाम दिखने भी लगे हैं। अब यह पहाड़ी पेड़-पौधों से पुष्पित और पल्लवित नजर आ रही है।

❑ मनोज श्रीवास्तव

कुएँ के निर्माण से खत्म हुई पानी की किल्लत

❑ प्रीति मजुमदार

देवास जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के द्वारा कई सृजनात्मक और विकासात्मक कार्य किये जा रहे हैं जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से हो रहा है, चाहे वह पीने के पानी की समस्या हो, खेती-बाड़ी के लिए सिंचाई की समस्या हो या आवागमन हेतु सड़क की समस्या हो सभी से लोगों को निजात मिल रही है। जिले की ग्राम पंचायत सन्नौद में भी विकास की किरण तेजी से फैल रही है। मनरेगा के तहत लोग सरपंच के माध्यम से अपनी समस्याएँ सरकार को बता रहे हैं औ उनका समाधान पा रहे हैं। इसी गांव में महिला कृषक सुगनबाई का परिवार भी पानी की समस्या से जूझ रहा था उनके घर की आर्थिक स्थिति भी इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि वे स्वयं अपना कुआँ खुदवा सकें। लेकिन शासन की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की उपयोजना कपिलधारा के तहत उन्हें कुआँ बनाकर दिया गया। सुगनबाई ने बताया कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा स्वयं का कुआँ होगा। एक तो कमजोर आर्थिक स्थिति और दूसरा कुएँ निर्माण का खर्च हमारे बस की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारी जिन्दगी यूँ ही चल रही थी कि हमें लोगों से शासन की हितग्राही योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई। हमने भी कुआँ निर्माण के लिए आवेदन ग्राम पंचायत में दिया और मनरेगा के तहत हमारे यहाँ भी कुएँ का निर्माण कराया गया। सुगनबाई ने कहा कि अब कुएँ से सिंचाई काफी आसान हो गई है और पानी की समस्या भी खत्म हो गई है।

मेढ़ बंधान हो जाने से पैदावार हुई भरपूर

जबलपुर जिले के ग्राम पंचायत मातनपुर के ग्राम गोकला में ज्यादातर खेत ऊबड़-खाबड़ थे जिन पर मेढ़ बंधान नहीं होने से उत्पादन औसत ही हुआ करता था। ऊबड़-खाबड़ होने से इन खेतों पर ट्रेक्टर या अन्य उपकरणों से जुताई या बुवाई नहीं हो पाती थी जिससे इन कामों में श्रम और समय अधिक लगता था। मेढ़ बंधान न होने से खेतों में सिंचाई का पानी बह जाता था जिससे पूरे खेत को आवश्यक नमी नहीं मिल पाती थी और उससे उत्पादन भी प्रभावित होता था। लेकिन अब गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की उपयोजना भूमि शिल्प के तहत ऊबड़-खाबड़ खेतों को समतल किया गया है और मेढ़ बंधान का कार्य कराया गया है। ग्राम के किसान सूरज चौधरी का कहना है कि हमारे ऊबड़-खाबड़ खेतों को मनरेगा के तहत समतल किया गया है इससे हम सभी काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमने वर्षों से यह सपना संजोया था कि अपने ऊबड़-खाबड़ खेतों को समतल करवायेंगे लेकिन धन की कमी के कारण नहीं करवा सके हमने तो इसकी आशा करना ही छोड़ दी थी लेकिन शासन की महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने हमारे सपने को सच कर दिया है। पहले जिन खेतों पर उपज काफी कम होती थी। आज वह खेत भरपूर फसल से लहलहा रहे हैं।

ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती धन्ती बाई मेहरा ने बताया कि योजना के तहत गांव के किसान नरेन्द्र, सूरज चौधरी, नन्हे लाल, पीतम, संतोष, तीरथ, मुडिया बाई, कीरत, जुगराज, लाखन, गणेश, भीकम, भागचंद, इमरत के ऊबड़-खाबड़ खेतों को समतल किया गया एवं इन खेतों पर मेढ़ बंधान का भी कार्य किया गया है। इस कार्य में स्थानीय ग्रामीण को रोजगार भी मिला है। पंचायत सचिव निशा दिगरधा ने कहा कि ग्राम गोकला में मनरेगा की योजना से विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इसके तहत ऊबड़-खाबड़ खेत समतल किये गये हैं जिनसे फसलों की पैदावार भी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत सूरज चौधरी 18 हजार, नरेन्द्र 11 हजार, नन्हेलाल 11 हजार, परसादी 19 हजार, विजय 16 हजार, संतोष 19 हजार, मुडिया बाई 19 हजार, लाखन 11 हजार, भीकम 22 हजार रुपये की राशि से खेतों में मेढ़ बंधान का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के प्रावधानों के अनुरूप यह सभी छोटे किसान हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। खेत समतल होने से अब पैदावार में वृद्धि होने से इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है। गांव के पूर्व सरपंच तोफान सिंह ने बताया कि जब से गांव में रोजगार गारंटी योजना आई है तब से गांव में खुशहाली आ गई है। शासन की इस योजना का लाभ समाज के हर तबके को मिल रहा है।

❑ ऋषिराज चढार

कपिलधारा से बदली कृषक की जिन्दगी

देवास जिले के खातेगांव विकासखण्ड की ग्राम पंचायत जियागांव में रहने वाले ग्रामीणों की जिन्दगी में काफी सुधार आया है, जो किसान कभी पानी की कमी के कारण अपेक्षित फसल नहीं ले पाते थे, सिंचाई के लिए अक्सर बरसात पर ही आश्रित रहते थे वहीं किसान अब पानी की समस्या से दूर होने से अब पानी की समस्या दूर होने से अच्छी फसल लेने की स्थिति में आ गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कपिलधारा कुओं की संख्या में इजाफा होने से लोगों की पानी की समस्या काफी हद तक कम हुई है। इसी कड़ी में जियागांव के प्रकाश पुत्र रामेश्वर के यहाँ भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की उपयोजना कपिलधारा के तहत कुएं का निर्माण कराया गया है। कपिल बताते हैं कि गांव में किसानों के पास खेती ही एकमात्र जीविका का साधन होता है। पानी की समस्या इतनी बढ़ गई थी कि फसल ले पाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में यदि फसल सूख जाए तो आर्थिक स्थिति चौपट हो जाती है। प्रकाश बताते हैं कि उसके यहाँ शासन की कपिलधारा योजना के द्वारा एक लाख दो हजार रुपये से कुएँ का निर्माण करवाया गया। कुएं से खुदाई के दौरान ही पानी आने लगा। अब यह कुआं सालभर पानी से लबालब रहा है। कुएँ से जहां पीने के लिए पानी मिला वहीं फसलें भी लहलहा उठीं। प्रकाश ने शासन का आभार मानते हुए कहा कि इससे उसकी जिन्दगी में नयी रोशनी आ गई है।

❑ नवीन पुरोहित

अनीता ने जगाई गांव में स्वच्छता की अलख

बैतूल जिले के भीमपुर विकासखण्ड का गांव जीतूढाना एक आदिवासी बहुल गांव है। शहरों की चकाचौंध से दूर इस गांव में बुनियादी सुविधाएं कम ही थीं। गांव में शौचालय नहीं होने से ग्रामीणजन शौच के लिये बाहर जंगल में जाते थे लेकिन जीतूढाना गांव की महिला अनीता के कारण गांव चर्चा में आ गया। शौचालय उपयोग करने की आदत ने अनीता को पूरे जिले में स्वच्छता का पर्याय बना दिया है।

चिचोली की रहने वाली अनीता की शादी जीतूढाना निवासी शिवराम के साथ हुई। शादी के बाद जब अनीता पहली बार अपने ससुराल आयी तो उसने देखा कि घर में शौचालय न होने के कारण घर के सभी सदस्य शौच के लिये जंगल में जाते हैं। अनीता का मायका ऐसी जगह था जहाँ हर घर में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाए गए थे एवं कोई भी शौच के लिये बाहर नहीं जाता था। अनीता कभी भी घर के बाहर शौच के लिए नहीं गयी थी। जब अनीता ने घर के सदस्यों को शौच के लिए बाहर जाते देखा तो उसने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि घर में शौचालय होना चाहिए लेकिन जब स्वयं अनीता को मजबूरीवश बाहर जाना पड़ा तो उसने निश्चय किया कि जब तक घर में शौचालय नहीं बनेगा तब तक वह मायके से ससुराल नहीं आयेगी और शौचालय बनवाकर ही रहेगी। अगले दिन जब अनीता अपने मायके पहुँची तो उसने इस घटना के बारे में मायके वालों को बताया। जब अनीता का पति शिवराम अनीता को ससुराल ले जाने के लिए आया तो अनीता ने शौचालय के अभाव में साथ चलने से मना कर दिया। यह सुनकर शिवराम के होश उड़ गए। शिवराम जब अपने गाँव वापस आया तो घर वालों को सारी बात बतायी और शौचालय बनवाने का प्रयास करने लगा। गरीब तबके का होने के कारण शिवराम गरीबी और तंगहाली में जीवन बसर करता था उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे शौचालय बन सके। शिवराम ने ग्राम पंचायत से मदद माँगी।

ग्राम पंचायत ने शिवराम को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की उपयोजना निर्मल वाटिका से सोखता गड्ढा निर्माण एवं समग्र स्वच्छता अभियान से तीन हजार दो सौ रुपये की सहायता की जानकारी मिली। शिवराम ने दोनों योजनाओं के लिए आवेदन दिया। योजनाओं के तहत शिवराम के घर शौचालय बनाया गया। शौचालय बनवाकर शिवराम अपनी पत्नी अनीता को लेने उसके घर पहुँचा। अनीता जब ससुराल पहुँची तो पूरे गांव ने अनीता के साहस की प्रशंसा कर उसका स्वागत किया। ससुराल में शौचालय देख अनीता की खुशी का ठिकाना न रहा। अनीता के इस साहस और स्वच्छता के प्रति लगाव देखकर स्वच्छता के लिये काम करने वाली स्वायत्तशासी संस्था ने अनीता को पाँच लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की। अनीता के एक फैसले ने न सिर्फ गांव में शौचालय उपयोग करने के लिये लोगों को जागृत किया वहीं पूरे प्रदेश में समग्र स्वच्छता अभियान को भी बल प्रदान किया है।

❑ अनिल गुप्ता

जैविक खेती ने बदली महिला कृषक की जिन्दगी

शिवपुरी जिले के ग्राम नरवर में कृषि विभाग द्वारा संचालित 'मापवा' योजना के तहत जैविक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त कर महिला कृषक रामश्री कुशवाह ने कम लागत में अधिक उत्पादन लेकर जिले में एक मिसाल पेश की है। गेहूं की फसल में जैविक खेती से जहां पैदावार बढ़ी है वहीं उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। रामश्री के पास 0.5 हेक्टेयर जमीन है जिसमें वे परम्परागत तरीके से खेती कर केवल धान व गेहूं की फसल ही कर पाते थे जिससे उन्हें मेहनत अनुसार उत्पादन व लाभ नहीं मिल पाता था। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित 'मापवा' योजना के तहत आधुनिक व उन्नत तकनीकी तथा जैविक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसी के अनुसार अपने घर में वर्मी पिट गोबर गैस, नाडेप टंकी का निर्माण करवाया जिससे निकलने वाली जैविक खाद गेहूं की फसल में डाली जिससे गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 40 से 45 क्विंटल हो गया जो कि पहले प्रति हेक्टेयर 8 से 10 क्विंटल तक ही हो पाता था। रामश्री कुशवाह ने अपने खेतों में फलों के पौधे भी लगाए जिसमें उन्होंने जैविक खाद का उपयोग किया। गोबर गैस टंकी से प्राप्त कम्पोस्ट खाद को खेतों में उपयोग कर शेष बची खाद को बेचने से उन्हें अतिरिक्त आय भी प्राप्त हुई।

पंच परमेश्वर योजना से आया बदलाव

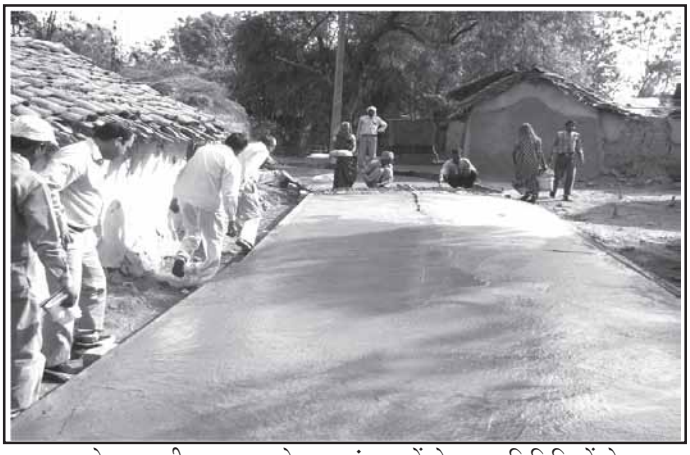

ग्रामीण विकास की दिशा तय करने में पंचायतें अब और अधिक प्रभावशाली और सक्षम तरीके से विकास कार्यों को करने हेतु कृत संकल्पित हुई हैं। शासन द्वारा एकीकृत बजट सहायता के अंतर्गत प्रारंभ की गई पंच परमेश्वर योजना ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के अंतर्गत गांव की तस्वीर बदलने में मील का पत्थर साबित हो रही है। पंच परमेश्वर योजना में जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध करायी गई सहायता, जिसमें 2000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को पांच लाख, 5000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत को आठ लाख, 10000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत को दस लाख एवं 10000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को पन्द्रह लाख रुपये तक की सहायता से ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनवरी माह में आयोजित ग्राम सभा में तैयार की गई कार्य योजना जिसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी से कराने के उपरांत गांवों में आंतरिक मार्ग एवं नाली निर्माण के कार्य प्रारंभ किये गये हैं, इन कार्यों में मनरेगा योजना से श्रम संबंधी कार्य को सम्पन्न कराने की प्रशासकीय स्वीकृति अभिशरण के माध्यम से जिला कलेक्टरों ने दी है।

प्रदेश का रीवा जिला पंच परमेश्वर योजना में अग्रणी भूमिका रखते हुए ग्राम पंचायतों में 820 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें मनरेगा योजना से 1218.48 लाख एवं पंच परमेश्वर योजना में एकीकृत बजट से 2779.30 लाख से ली जाकर कुल 3997.78 लाख के कार्य प्रारंभ किये गये हैं। जनपद पंचायत सिरमौर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मऊ एवं राजगढ़, जनपद पंचायत गंगेव, की ग्राम पंचायत कियोटी एवं पूर्वा, जनपद पंचायत त्यौंथर की ग्राम पंचायत नेगुरा, परासिया, एवं कांकर में सीसी रोड नाली निर्माण का कार्य कराया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में चल रहे कार्यों से जहां ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिलने के साथ-साथ उनके ग्राम की आंतरिक सड़क सीमेंट कांक्रीट की बन जाने से ग्रामों में खुशी एवं उल्लास का वातावरण व्याप्त है। रीवा जिले में 680 निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहे हैं, 24 निर्माण कार्य पूरे हो गये हैं। गांवों में आई इस खुशहाली से पंचायतें विकास की एक नई इबारत ग्रामीणजनों के सहयोग से लिख रही हैं और शासन की महत्वपूर्ण पंच परमेश्वर योजना का लाभ ग्रामीण बसाहटों को मिल रहा है।

❑ हरिओम गुप्ता

प्रेमवती बनी गाँव की लड़कियों के लिये आदर्श

मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना अंतर्गत संकुल बिजहा के ग्राम छूदा में माइक्रोप्लान बनाने के दौरान परियोजना के सदस्यों की मुलाकात ग्राम की महिला सोहगीबाई से हुई। सोहगीबाई ग्राम में देशी खपड़े बनाने व मवेशी चराने का कार्य करती थी व अपनी लड़की प्रेमवती के साथ रहती थी। चर्चा के दौरान पता चला कि सोहगीबाई के पति भोला बैगा ने उन्हें छोड़ दिया था, इस कारण वह अपने मायके ग्राम छूदा में रहने लगी थी। चर्चा में यह भी पता चला कि सोहगीबाई की लड़की प्रेमवती जिसकी शादी पास के गांव में हुई थी, उसे भी केवल इस कारण छोड़ दिया गया था कि ससुराल वाले पढ़ाई नहीं करवाना चाहते थे, परंतु प्रेमवती पढ़ाई करना चाहती थी। मां की गरीबी व पति के दबाव के आगे बी.ए. द्वितीय वर्ष में पढ़ रही प्रेमवती, पढ़ाई छोड़ने का मन बना रही थी, परंतु परियोजना सहायता दल के ढांढ़स बंधाने, मदद करने के आश्वासन से मां बेटी में विश्वास जागा व अंततः प्रेमवती ने बी.ए. उत्तीर्ण कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना में परियोजना सहायता दल सदस्य व शासकीय माध्यमिक शाला जैतपुर में अधीक्षिका की भर्ती निकली।

परियोजना सहायता दल के सहयोग से प्रेमवती ने दोनों जगहों पर आवेदन किया व दोनों जगह उसके आवेदन भी स्वीकार भी हुआ। जब प्रेमवती का चयन माध्यमिक शाला जैतपुर में अधीक्षिका के पद पर हुआ तो मां बेटी की खुशी का ठिकाना न रहा। आज प्रेमवती की ससुराल के लोग भी उनके साथ वापस जुड़ गये हैं परंतु प्रेमवती मां के देखरेख की संपूर्ण जिम्मेदारी आज भी उठाती हैं। आज प्रेमवती ग्राम की अन्य लड़कियों के लिए पढ़ाई कर आगे बढ़ने के लिए आदर्श बनी हुई हैं साथ ही समाज की अन्य महिलाएं सोहगीबाई से भी प्रेरणा लेकर लड़कियों को शिक्षित कर रही हैं।

❑ गजेन्द्र द्विवेदी

जनपद पंचायत की स्थाई समितियाँ

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में स्पष्ट किया गया है कि पंचायतें अपने कामकाज के प्रभावी संचालन एवं नियंत्रण के लिए स्थायी समितियों का गठन कर सकती हैं। ये समितियाँ पंचायत के कामकाज और सदस्यों के बीच आपसी सहमति बनाने का काम करती हैं। इसी के तहत जनपद पंचायत स्तर पर भी स्थाई समितियाँ बनाई जाती हैं।

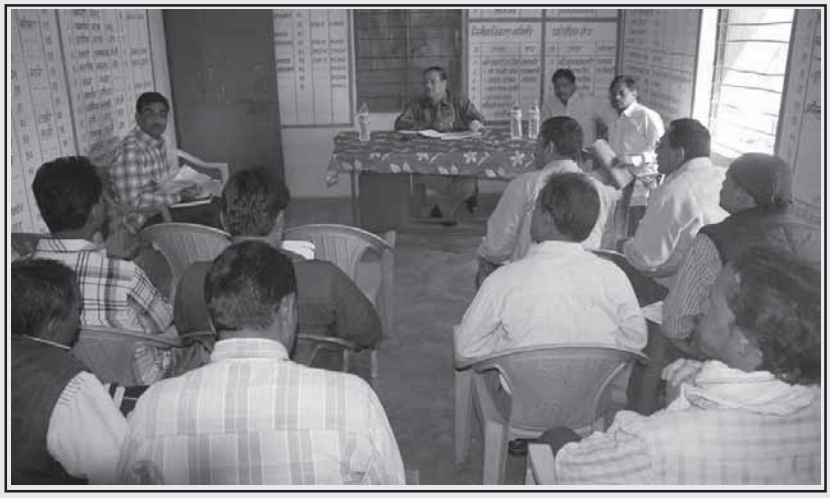

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 47 में यह स्पष्ट किया गया है कि हर स्तर की पंचायतें अपने काम-काज के प्रभावी संचालन के लिए स्थायी समितियों का गठन कर सकती हैं। ये स्थायी समितियाँ जनपद पंचायत के अधीनस्थ अभिकरण (जनपद पंचायत के नियंत्रण में काम करने वाली संस्था) के रूप में काम करेंगी। इन समितियों का बनाने का उद्देश्य है कि -

- जनपद पंचायत के काम-काज में जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा अन्य निर्वाचित सदस्य भी सक्रिय भूमिका निभाएँ।
- जनपद पंचायत के काम-काज का बंटवारा, जनपद पंचायत के सदस्यों के बीच इस प्रकार से हो कि सभी सदस्य अपनी रुचि के विषय पर काम कर सकें।

अधिनियम की धारा 47 के अनुसार जनपद पंचायत के स्तर पर कम से कम पाँच स्थायी समितियों का गठन होगा।

1. सामान्य प्रशासन समिति
2. कृषि समिति
3. शिक्षा समिति
4. सहकारिता एवं उद्योग स्वास्थ्य
5. संचार तथा संकर्म समिति
6. महिला एवं बाल कल्याण समिति
7. वन समिति

उपरोक्त समितियों में से प्रथम पाँच समिति अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत गठित की गई हैं एवं क्रमांक 6 एवं 7 पर अंकित समिति राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 2128/22/पं.2/94/1565 दिनांक 28.9.1994 के अनुसार विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से गठित की जा सकती हैं।

- सामान्य प्रशासन समिति में सभी स्थाई समितियों के सभापति सदस्य होंगे।
- बाकी सभी समितियों में कम से कम पाँच सदस्य चुने जाएंगे। इन पाँच सदस्यों का चुनाव जनपद पंचायत के सदस्य अपने में से करेंगे।
- इन समितियों में दो ऐसे लोगों को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है जो समिति को सौंपे गये विषय पर काफी अनुभव और ज्ञान रखते हों। इन सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

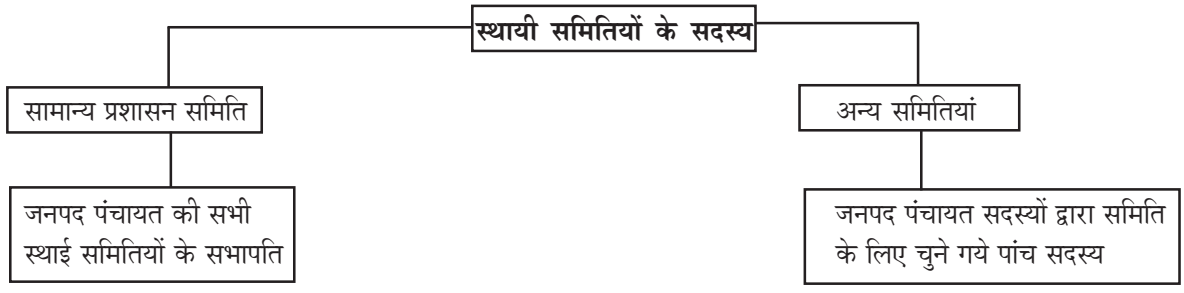

स्थायी समितियों का सदस्य कौन होगा -

- सामान्य प्रशासन समिति में सभी स्थाई समितियों के सभापति सदस्य होंगे।
- बाकी सभी समितियों में कम से कम पाँच सदस्य चुने जाएंगे। इन पाँच सदस्यों का चुनाव जनपद पंचायत के सदस्य अपने में से करेंगे। अधिकतम सदस्य संख्या दस होगी।
- इन समितियों में दो ऐसे लोगों को सदस्य के रूप में चुना जा सकता है जो समिति को सौंपे गये विषय पर काफी अनुभव और ज्ञान रखते हों इन सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- विधान सभा सदस्य जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं, भी जनपद पंचायत की प्रत्येक समितियों में सदस्य होंगे।
- शिक्षा समिति के सदस्यों में एक पद महिला के लिये आरक्षित है। एक पद पर अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को चुना जाएगा।
- जनपद पंचायत का कोई भी सदस्य एक बार में तीन से ज्यादा समितियों का सदस्य नहीं हो सकता।

समितियों के सभापति -

स्थायी समितियों के सभापतियों की व्यवस्था नीचे प्रवाह चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की गई है।

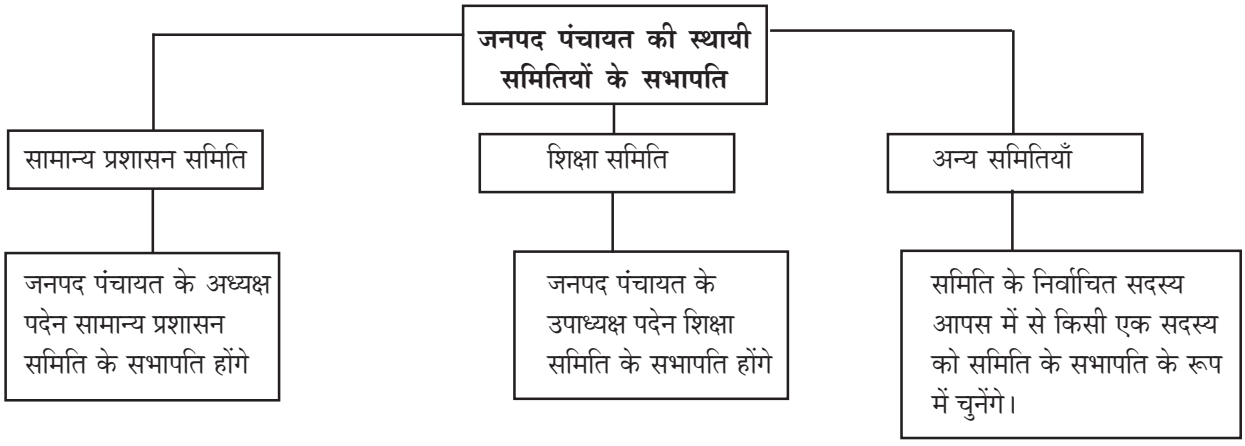

- जनपद पंचायत के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सभापति होंगे।
- जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, पदेन, शिक्षा समिति के सभापति होंगे।
- जनपद पंचायत के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति के अलावा किसी अन्य समिति के सभापति नहीं होंगे।
- जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष शिक्षा समिति के अलावा किसी अन्य समिति के सभापति नहीं होंगे।
- सामान्य प्रशासन समिति के सभापति किसी दूसरी समिति के सदस्य नहीं होंगे।
- शिक्षा समिति के सभापति भी किसी दूसरी समिति के सदस्य नहीं होंगे।
- सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति को छोड़कर हर समिति अपने चुने गए सदस्यों में से सभापति का चुनाव तय प्रक्रिया अनुसार करेगी।

समितियों के काम और जिम्मेदारियाँ -

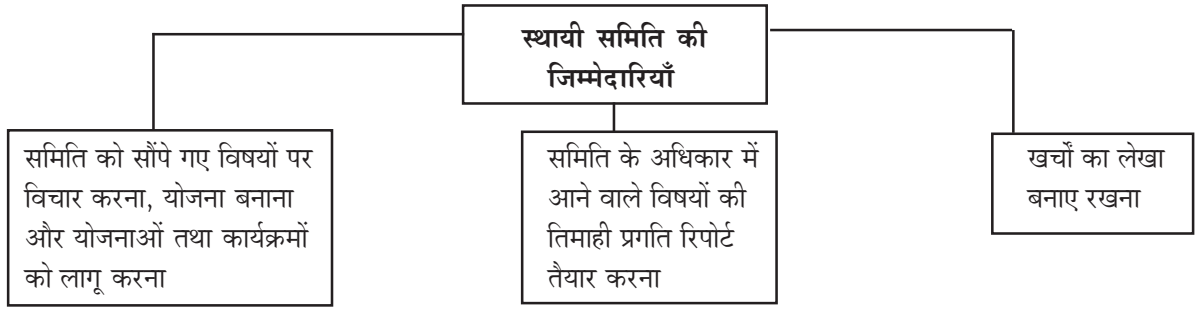

पंचायत समन्वय अधिकारी के दायित्व निर्धारित

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम पंचायतों के कार्यों और दायित्वों में कसावट लाने के लिए पंचायत समन्वय अधिकारी को सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त कुछ और कार्य सौंपे गए हैं। पंचायत समन्वय अधिकारी अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर बैठने का एक दिन नियत करेगा तथा उस दिन वहाँ अनिवार्यतः जाकर कार्य करेगा। इस संबंध में जारी आदेश पंचायिका के पाठकों के लिये यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक-23/आर-04/2012/22/पं-2 **भोपाल, दिनांक 06 जनवरी 2012**

प्रति,
1. कलेक्टर, समस्त
मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय - पंचायत समन्वय अधिकारी के कृत्य एवं दायित्व।

संदर्भ - म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक-1053/22/पं.-1/07/दिनांक 31.8.2007.

पंचायत समन्वय अधिकारी के कृत्य एवं दायित्व का निर्धारण विभाग के सन्दर्भित पत्र द्वारा पूर्व में किया गया है। इसके साथ ही समय-समय पर निर्देश जारी किए गये हैं। ग्राम पंचायतों में दिनों दिन बढ़ते दायित्वों एवं कार्य में कसावट लाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि पूर्व में पंचायत समन्वय अधिकारी को सौंपे गये कार्यों के अतिरिक्त उन्हें कुछ और कार्य सौंपे जायें।

(1) जनपद पंचायत की सभी ग्राम पंचायतों को पंचायत समन्वय अधिकारी की संख्या से विभाजित कर उतने समूह बना दिये जायें तथा एक मुख्यालय नियत कर वहां उनके बैठने का स्थान नियत किया जाये।

(2) मुख्यालय की ग्राम पंचायत में एक कमरा पंचायत समन्वय अधिकारी को दिया जाये। जहाँ यह हाजिरी रजिस्टर हो जिसमें प्रतिदिन पंचायत समन्वय अधिकारी अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर करेगा।

(3) इस हाजिरी रजिस्टर में पंचायत सचिव भी हस्ताक्षर करेगा तथा वहाँ आने वाला प्रत्येक शासकीय ग्रामीण कर्मचारी भी इसमें जिनका उस ग्राम पंचायत में उपस्थित होने का नियत दिन है अपने उपस्थिति के हस्ताक्षर करेगा। उदाहरणार्थ पटवारी प्रति सप्ताह यदि सोमवार को आता है, वह अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर करेगा इस प्रकार पंचायत समन्वय अधिकारी का कार्यालय कार्यालयीन समय में खुला रहेगा एवं वहाँ निर्धारित दिवस में आने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था होगी।

(4) पंचायत समन्वय अधिकारी अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर बैठने का एक दिन नियत करेगा तथा वह उस दिन वहाँ अनिवार्यतः जाकर कार्य करेगा।

(5) पंचायत समन्वय अधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह प्रतिदिन डायरी लिखे तथा प्रत्येक माह की 16 से अगले माह की 15 तारीख तक की डायरी पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक के मार्फत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को दो प्रतियों में 20 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करे। जनपद पंचायत कार्यालय में डायरी की एक प्रति वेतन पत्रक की कार्यालयीन प्रति के साथ लगायी जायेगी।

(7) ग्राम सभा/ग्राम पंचायतों की बैठक निर्धारित समय पर हो यह सरपंच/सचिव से समन्वय कर सुनिश्चित कराना।

(8) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77-क की अनुसूची 1-क ग्राम सभा द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर, एवं 2-क ग्राम सभा द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अन्य वैकल्पिक कर, फीस आदि में दर्शाये अनुसार करारोपण करायेंगे।

(9) जिन ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्व में धारा 77-क की अनुसूची 1-क एवं 2-क अनुसार करारोपण किया गया है उन ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों द्वारा की गई करों की वसूली की समीक्षा प्रत्येक त्रैमास में करेंगे।

(10) ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट एवं वार्षिक प्रतिवेदन बनाने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन देंगे वार्षिक लेखाओं का समय पर तैयार कराने में ग्राम पंचायत सचिव को मार्गदर्शन देंगे, ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की रोकड़बही का भरा जाना, प्रति सप्ताह सुनिश्चित करना, साथ ही वसूली गई राशियों का रोकड़बही में प्रतिदिन इन्द्राज सुनिश्चित कराना।

(11) ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की संपरीक्षा रिपोर्ट की कंडिकाओं में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक के मार्फत मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रतिवेदित करना। जहाँ कंडिकाओं का निराकरण हो सकता हो वहां ग्राम पंचायत को निराकरण में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

(12) ग्राम सभा के आयोजन में ग्राम सभा के सदस्यों विशेष कर महिलाओं की उपस्थिति कैसे बढ़े इसके निरन्तर प्रयास करना। शासकीय योजनाओं के संबंध में ग्राम सभा के सदस्यों को जानकारी उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक ग्राम सभ ा में सोशल आडिट हो यह सुनिश्चित करना।

(13) ग्राम सभा अन्तर्गत आवासहीनों की पहचान कराने में पटवारी से समन्वय कर ग्राम पंचायत सचिव को आवश्यक मार्गदर्शन देना।

(14) ग्राम सभा की आगामी दस वर्षों में प्राप्त होने वाली अनुमानित निधि का मूल्यांकन कर और विशेषज्ञों की सहायता से ग्राम विकास के लिये दस वर्षीय दीर्घकालिक योजना तैयार करवाने में मार्गदर्शन देंगे।

(15) ग्राम पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले लेखों एवं अभिलेखों को ग्राम पंचायत सचिव द्वारा समय पर एवं व्यवस्थित संधारण हो यह सुनिश्चित करना। सचिव से लेखों का कम्प्यूटरीकरण कराना जो सचिव यह कार्य करने में असफल रहे उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करना।

(16) ग्राम पंचायत द्वारा संचालित जनकल्याणकारी (विकास एवं हितग्राहीमूलक) योजनाओं की मासिक, भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेजना सुनिश्चित कराना।

(17) ग्राम पंचायत की कैशबुक का नियमित लिखा जाना ग्राम पंचायत सचिव से सुनिश्चित किया जाना। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत सचिव को द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे कार्य की समीक्षा करेंगे।

(18) ग्राम पंचायत के खातों से संबंधित चेक बुक तथा पास बुक प्राधिकृत व्यक्ति की अभिरक्षा में है या नहीं राशि का आहरण प्राधिकृत द्वारा ही किया जा रहा या नहीं इसकी जानकारी रखना व ऐसा न पाये जाने पर वरिष्ठ कार्यालय को यथा समय सूचित करना।

(19) ग्राम पंचायत द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सामग्री क्रय नियमों के अंतर्गत क्रय की जा रही है इसका पालन सुनिश्चित करना।

(20) ग्राम पंचायत/ग्राम सभा बैंक खातों का रिकंसिलेशन कर जमा राशि ग्राम पंचायत के पास अग्रिम तथा वास्तविक व्यय के वाऊचर का व्यवस्थित संधारण सुनिश्चित करना।

(21) ग्राम सभा की बैठक में निर्माण कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण कराना एवं उसका प्रतिवेदन समय पर वरिष्ठ को प्रेषित करना।

(22) राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली राशि से कराये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना तैयार कराने में ग्राम पंचायत सचिव को मार्गदर्शन देना।

(23) राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि का उपयोग नियमानुसार हो रहा है इसकी जानकारी से अवगत कराना।

(24) तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि से कराये जा रहे कार्य एवं राशि के उपयोग के संबंध में वरिष्ठ कार्यालयों को ग्राम पंचायत सचिव द्वारा भेजी जाने वाली जानकारी समय पर भेजी जावे यह सुनिश्चित करना।

(25) अधिनियम की धारा 7 के प्रावधान अनुसार ग्राम सभा का वार्षिक सम्मिलन, आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम तीन माह पूर्व किया जाएगा को आयोजित कराने में ग्राम पंचायत सचिव को आवश्यक मार्गदर्शन देना।

(26) वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर ग्राम पंचायत के आय-व्यय के वास्तविक आंकड़े लेकर वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट समय सीमा में तैयार कराने में आवश्यक मार्गदर्शन देना।

(27) ग्राम सभा/ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट अधिनियम/नियम के प्रावधान के अंतर्गत समय पर तैयार कराने में ग्राम पंचायत

सचिव को आवश्यक मार्गदर्शन देना व बजट शासन द्वारा तय समय सीमा में तैयार होकर पारित हो यह सुनिश्चित करना।

(28) अधिनियम की धारा 37 एवं 38 के तहत ग्राम पंचायत में रिक्त होने वाले पदों की जानकारी यथासमय वरिष्ठ कार्यालय को भेजने हेतु ग्राम पंचायत सचिव को आवश्यक मार्गदर्शन देना।

(29) ग्राम पंचायत को धारा-49 के तहत सौंपे गये सभी कृत्यों के पालन कराने में ग्राम पंचायत सचिव को आवश्यक मार्गदर्शन देना।

(30) ग्राम सभा/ग्राम पंचायत को अधिकारों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन करने में आवश्यक मार्गदर्शन देना।

(31) ग्राम स्तर पर राज्य/केन्द्र शासन द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी, ग्रामीणों तक पहुँचान

(32) ग्राम पंचायत स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रमण के समय उपस्थित रहना एवं उनके क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्हें आवश्यक सहयोग करना।

(33) ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविरों में उपस्थित रहकर प्रशिक्षण संचालन में सहयोग करना।

(34) शासन की योजनाओं का ग्राम स्तर पंचायत स्तर पर लागू कराने में सहयोग करना एवं आने वाली कठिनाईयों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराना।

(35) शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना।

सामाजिक सहायता कार्यक्रमों से संबंधित दायित्व -

(1) सामाजिक सहायता कार्यक्रमों जैसे - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधी समस्त कार्यक्रमों के अंतर्गत हितग्राहियों का समयबद्ध चिन्हांकन, स्वीकृति तथा राशि का वितरण सुनिश्चित कराना।

(2) प्रत्येक माह कम से कम 20 हितग्राहियों को प्राप्त होने वाली राशि का स्वतः सत्यापन करना।

(3) आम आदमी बीमा योजना तथा जनश्री बीमा योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों का पंजीयन करना तथा दावा प्रकरण तैयार कर बीमा कम्पनी को प्रेषित करना तथा बीमा कम्पनी से सतत संपर्क कर हितग्राहियों को राशि प्रदाय कराना।

(4) मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों का पंजीयन कर, राशि स्वीकृति तथा राशि प्रदाय किया जाना सुनिश्चित कराना।

(5) मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत कन्याओं के आवेदन प्राप्त कर जांच कराना तथा पात्र कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजन सुनिश्चित करना।

(6) 6 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से अविकसित बहुविकलांग को रु. 500/- आर्थिक सहायता प्रदाय करने हेतु चिन्हांकन कर आवेदन प्राप्त कर अनुशंसा सहित संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित करना।

(7) निःशक्त छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित करना।

(8) स्पर्श अभियान का क्रियान्वयन/निशक्तजनों के लिये शिविरों का आयोजन करना तथा कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण एवं अन्य सहायता प्रदान करना।

(9) सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों की मासिक एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में सक्षम कार्यालय को प्रेषित किया जाना।

(10) विभागीय स्वयंसेवी संस्थाओं का निर्देशानुसार निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।

(हीरालाल त्रिवेदी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विकासखण्ड अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व सुनिश्चित

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने विकासखण्ड अधिकारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण किया है जिसके तहत विकासखण्ड अधिकारी जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्यों में सहयोग देंगे एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके सामान्य दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस संबंध में जारी परिपत्र हम पाठकों के लिये यथावत प्रकाशित कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 15754/22/वि-2/स्था/एफ.185/11 **भोपाल, दिनांक 03.11.2011**

प्रति,

1. कलेक्टर, समस्त
मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त
जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय - विकास खण्ड अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व।

संदर्भ - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 3102/22/वि-2/स्था/05 भोपाल दिनांक 07.03.05।

उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया था। ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के स्वरूप में परिवर्तन होने से जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के कार्यों में सहयोग एवं विकास खण्ड अधिकारी के संवर्ग के अमले की सेवाओं के समुचित उपयोग हेतु उनके कर्तव्य एवं दायित्वों का पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

अतः विकासखण्ड अधिकारी के निम्नानुसार कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाते हैं :-

1. जनपद पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधी दायित्व -

1.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अवकाश आदि के कारण अनुपस्थित में उसके सामान्य दायित्वों का निर्वहन।

1.2 विभिन्न आजीविका एवं रोजगार विषयक योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित वार्षिक कार्य योजना/सेल्फ आफ प्रोजेक्ट तैयार कराना एवं सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति के पूर्व परीक्षण कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना।

1.3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में जनपद पंचायत की साधारण सभा तथा सामान्य प्रशासन समिति की बैठक कराना। बैठकों का कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन तैयार कराकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करना।

2. आजीविका संबंधी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित दायित्व -

2.1 ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों की सूची के सर्वेक्षण एवं सत्यापन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सहयोग करना।

2.2 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डीपीआईपी, एमपीआरएलपी के अंतर्गत संचालित स्वरोजगार योजनाओं का लक्ष्य अनुसार उपलब्धि सुनिश्चित करना।

2.3 स्व-सहायता समूहों का माइक्रो क्रेडिट प्लान एवं स्वरोजगारियों के प्रकरण तैयार कर बनाने में मार्गदर्शन देना, समूहों की ग्राम/उच्च स्तरीय फेडरेशन का गठन। स्व-सहायता समूहों को शासन के विभिन्न विभागों से समन्वय कर लाभ दिलवाने के प्रयास करना।

2.4 लाभान्वित हितग्राहियों की मॉनीटरिंग हेतु आवश्यक अभिलेख तैयार कराना, विकास पुस्तिका तैयार कराना।

2.5 कमजोर इकाईयों की पुनर्स्थापना बाबत कार्यवाही, एवं बैंकों से संपर्क कर लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करना एवं ऋण की वसूली हेतु बैंकों की मदद करना।

2.6 लाभान्वित हितग्राहियों की आस्तियों का भौतिक सत्यापन कराकर आवश्यक प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करना।

2.7 योजनान्तर्गत लाभान्वित हितग्राहियों एवं पशुओं का मास्टर पालिसी के अनुसार बीमा करवाना तथा उनके क्लेम दिलवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।

2.8 प्रत्येक माह कम से कम10 स्व-सहायता समूहों का स्वतः निरीक्षण कर अभिलेखों एवं आस्तियों का सत्यापन तथा स्व-सहायता समूहों को मार्गदर्शन प्रदान करना।

2.9 मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में सक्षम कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करना।

2.10 विकास विस्तार अधिकारी एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन किया जा रहा है अथवा नहीं, का पर्यवेक्षण करना।

3. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन एवं आवास योजनाएँ -

3.1 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन एवं इंदिरा आवास योजना (नवीन आवास) एवं होम स्टेट तथा मुख्यमंत्री आवास योजना एवं अपना घर योजना का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं समन्वय सुनिश्चित करना एवं इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना।

3.2 प्रत्येक माह कम से कम 20 आवासों का स्वतः निरीक्षण करना।

3.3 मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में सक्षम कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करना।

4. सामाजिक सहायता कार्यक्रमों संबंधित दायित्व -

4.1 सामाजिक सहायता कार्यक्रमों जैसे - सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, निःशक्त कल्याण संबंधी समस्त कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत हितग्राहियों का समयबद्ध चिन्हांकन, स्वीकृति तथा राशि का वितरण सुनिश्चित कराना।

4.2 प्रत्येक माह कम से कम 20 हितग्राहियों को प्राप्त होने वाली राशि का स्वतः सत्यापन करना।

4.3 मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में सक्षम कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करना।

5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं संबंधी दायित्व -

5.1 प्रत्येक माह कम से कम 10 ग्रामों में टीएससी एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के संचालन का स्वतः सत्यापन करना।

5.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी की अनुपस्थिति/पदस्थ न होने पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन।

6. कार्यालयीन व्यवस्था संबंधी दायित्व -

6.1 कार्यालय प्रमुख के द्वारा सौंपे गये समस्त दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना।

6.2 विकास विस्तार अधिकारी एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारियों के मासिक भ्रमण कार्यक्रम का मुख्य कार्यपालन अधिकारी से अनुमोदन कराना।

6.3 स्वयं का मासिक भ्रमण कार्यक्रम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से अनुमोदित कराना तथा तदनुसार कार्यवाही करना।

6.4 स्थापना प्रभारी की हैसियत से जनपद पंचायत में पदस्थ समस्त नियमित प्रतिनियुक्ति पर तथा संविदा कर्मचारियों के स्थापना एवं स्वत्वों संबंधी समस्त नस्तियां निर्णय हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करना।

7. अन्य कार्य -

7.1 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना, प्राकृतिक विपदाओं तथा जनहित के अन्य कार्यों के प्रति जागरूकता रखकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करना।

उपरोक्त कृत्यों एवं दायित्वों के सम्यक निर्वहन की दृष्टि से निम्नानुसार कार्यवाही की जावे -

1. विकास खण्ड अधिकारी प्रत्येक सप्ताह, मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार को मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। शेष कार्य दिवस में फील्ड भ्रमण पर रहेंगे। फील्ड भ्रमण का कार्यक्रम इस प्रकार बनावें कि 30 दिवस में कम से कम 1 बार ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उनकी विजिट सुनिश्चित हो सके।

2. अपने भ्रमण के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पाई गई त्रुटियों/अनियमितताओं के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे तथा प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत को देंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत प्रत्येक माह की गई कार्यवाही का समेकित प्रतिवेदन संबंधित योजना/कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विकास खण्ड अधिकारी का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखते समय उनके द्वारा वर्ष में किये गये भ्रमण तथा कार्यों के विवरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे।

हस्ता/-
(विकास अवस्थी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 15755/22/वि-2/स्था/एफ.185/11 **भोपाल, दिनांक 03.11.2011**

प्रतिलिपि -

1. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन एवं म.प्र.ग्रा.स. विकास प्राधिकरण।
3. संचालक, ग्रामीण रोजगार, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
4. परियोजना समन्वयक, डीपीआईपी एवं परियोजना प्रशासक आई.एल.पी. भोपाल।
5. परियोजना समन्वयक, ग्रामीण आजीविका परियोजना म.प्र. भोपाल।
6. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, आधारताल जबलपुर म.प्र.।

हस्ता/-
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

तालाबों ने चमकाई आदिवासी किसानों की किस्मत

बरसाती फसल उपजाने वाली तकरीबन 50 एकड़ भूमि आज सालाना दो फसलें दे रही है जिससे खाने की जुगाड़ के लिये मशक्कत करने वाले लघु किसान अब राशन की चिंता से बेफ्रिक नजर आते हैं। सागर जिले के जनपद शाहगढ़ के चौकी हीरापुर के घने जंगलों में 25 हजार 40 घरों के आदिवासी यादव जाति के किसानों के लिये यह संभव हुआ। तालाबों की बदौलत ये तालाब मनरेगा से 3 लाख 16 हजार की लागत से बनवाया गया है यह क्षेत्र पूर्णतः आदिवासी बाहुल्य है। जो चारों तरफ घने जंगल में स्थित है। इसके पहले यहां पर इतना बड़ा पानी का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था। लेकिन इस वर्ष वर्षा अधिक होने से चारों ओर पहाड़ियों से बहकर जाने वाला पानी तालाब में जमा हो गये हैं और वरदान बन गया है। तालाब के निर्माण से गांव के करीब 40 आदिवासी किसानों को सिंचाई का पुख्ता इंतजाम होने के साथ-साथ निस्तार और मवेशियों के लिये भरपूर पानी मिल गया है। जहां इस तालाब के निर्माण से मनरेगा के जॉबकार्डधारियों को रोजगार मिला वहीं दुरग आदिवासी एवं भूरे यादव को बुन्देलखण्ड पैकेज से पंप भी मिल गया है जिससे सिंचाई कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब से गेहूं, चना, सरसों आदि की फसल लेते हैं। भ्रमण के दौरान आर.जी. अहिरवार जनपद पंचायत सीईओ तथा एपीओ जोगेन्द्र निगम के नेतृत्व में मीडिया अधिकारी, को मवेशी चराने वाले बड़े भाई यादव बताते हैं कि तालाब के बन जाने से मवेशियों को भरपूर पानी हो गया है और मेरे पास 40 भैंसे पाले हुये हैं जिससे दूध का उत्पादन अधिक होने से शाहगढ़ जाकर बेचते हैं और मुनाफा होता है।

❑ आर.पी. राय

मुख्यमंत्री पेयजल योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा पानी

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न विभागों के जरिये कई हितग्राहीमूलक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ विभिन्न वर्ग के लोग ले रहे हैं। इस कॉलम के अंतर्गत हम आम जनता के हित के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रकाशित करते हैं। इस अंक में हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिये लाई गई मुख्यमंत्री पेयजल योजना की जानकारी दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री पेयजल योजना

उद्देश्य : मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत पन्द्रह सौ गांवों में पांच करोड़ रुपये की लागत से बारह सौ से अधिक पेयजल स्रोत विकसित करना।

स्वरूप : एक हजार से कम और पांच सौ आबादी वाले गांवों में जहां पेयजल की कोई सुविधा नहीं है, ऐसे तेरह हजार 714 गांवों में सतही पेयजल योजनाएं बनाई जायेंगी। प्रत्येक वर्ष एक हजार ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सिस्टर्न लगाकर जल प्रदाय किया जायेगा। दो हजार से पांच हजार लीटर तक की भू-स्तरीय टंकी नलकूपों तथा कुओं पर आबादी के आधार पर आधारित होंगी। इनमें विद्युत पंप स्थापित किए जायेंगे। प्रत्येक सिस्टर्न को जोड़ने के लिये स्थानीय परिस्थिति के अनुसार जीआई या पीव्हीसी पाइप जोड़े जायेंगे। इनमें आठ से दस नल टोंटियां लगाई जाएंगी ताकि लोग आसानी से पानी भर सकें। आवश्यकतानुसार इन गांवों में पशुओं के लिये भी पानी की होदी बनवाई जायेगी। जिन शाला भवनों, छात्रावासों या आश्रमों में जल स्रोत नहीं हैं उन्हें भी इन योजनाओं से जोड़ा जायेगा। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के क्रियान्वयन की दिशा में सभी पचास जिलों में 1482 गांवों के लिये लक्ष्य से दौ सौ अधिक, 1207 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिन पर क्रियान्वयन भी प्रारंभ हो गया है।

इंदिरा आवास योजना

उद्देश्य- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाना।

योजना का स्वरूप- योजना केन्द्र प्रवर्तित है जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जिलेवार राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आवासों का निर्माण स्वयं हितग्राही ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध राशि से किया जाता है। आवास का कुर्सी क्षेत्र (कारपेट क्षेत्र) 20 वर्गमीटर होना आवश्यक है। योजना के संसाधनों का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग और 3 प्रतिशत का निःशक्तजनों के आवासों के लिए उपयोग करने का प्रावधान है। इंदिरा आवास योजना में प्राथमिकता महिला तथा विकल्प के तौर पर संयुक्त पति-पत्नी के नाम आवास के साथ स्वच्छ शौचालय और धुआँ रहित चूल्हे का निर्माण भी अनिवार्य है।

पात्र हितग्राही- ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले आवासहीन परिवार।

हितग्राही चयन प्रक्रिया- योजना के तहत हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। मुक्त बंधुआ मजदूर अजा/अजजा परिवार, युद्ध में मारे गए सैनिक/अर्द्ध सैनिक बलों की विधवाओं, विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, एक्स सर्विस मेन एवं अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकास परियोजना के विस्थापित परिवार प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, आग आदि से पीड़ित परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी।

संपर्क- स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के सरपंच और जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

उद्देश्य- गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के स्व-सहायता समूहों में संगठित कर स्वरोजगार के लिए ऋण और अनुदान उपलब्ध करवाकर उपयुक्त अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर लाना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र- योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू।

पात्र हितग्राही- गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले चयनित परिवार इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं।

हितग्राही चयन- ग्राम सभा द्वारा।

कृषि

एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज)

उद्देश्य व कार्यक्षेत्र- प्रदेश में गेहूं, ज्वार, चावल और अन्य मोटे अनाजों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है।

पात्र हितग्राही- अनुसूचित जाति, जनजाति के लघु और सीमांत श्रेणी तथा सामान्य वर्ग के कृषक।

हितग्राही चयन प्रक्रिया- कृषकों का चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। फील्ड प्रदर्शन (प्रौद्योगिकी प्रदर्शन) के लिये अधिकतम 1000 रु. प्रति प्रदर्शन प्रति एकड़ (0.405 हैक्टर)। धान की मेडागास्कर पद्धति प्रदर्शन के लिए 1000 रु. प्रति एकड़ अनुदान तथा कृषकों को धान की मेडागास्कर पद्धति के प्रशिक्षण के लिए 10000 रु. प्रति प्रशिक्षण। आधार बीज उत्पादन पर 200 रु. प्रति क्विटंल के मान से सहायता। आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादन पर 200 रु. प्रति क्विंटल के मान से सहायता।

आधार बीज वितरण- 10 वर्ष के अंदर अधिसूचित उन्नत किस्मों के गेहूं, जौ, धान, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी बीज पर 200 रु. प्रति क्विंटल अनुदान।

सम्पर्क - स्थानीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी।

तिलहन, दलहन एवं मक्का की एकीकृत योजना (आईसोपाम)

उद्देश्य- प्रदेश में दलहन, तिलहन और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना। योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमान्त श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी के कृषक हितग्राही का चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है।

योजना- (1) बीज मिनीकिट- 0.1 से 0.2 हेक्टर क्षेत्र के लिए वास्तविक मूल्य के 100 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को बीज मिनीकिट का वितरण। **(2) प्रमाणित/आधार बीज उत्पादन-** 300 रु. प्रति क्विंटल अनुदान। **(3) प्रमाणित बीज वितरण-** कुल कीमत का 30 प्रतिशत या 300 रु. प्रति क्विंटल जो भी कम हो अनुदान। **(4) ब्लाक प्रदर्शन के लिये** इनपुट की कीमत का 50ऽ या **दलहनी फसलों पर** 2000 से 2500 रु. तक व **तिलहनी फसलों पर** 1500 से 4000 रु. तक और **मक्का पर** अधिकतम 4000 रुपये का अनुदान देय है। **(5) आई.पी.एम. प्रदर्शन सरसों-** ट्राईकोडर्मा, नीम 1500, क्राई सोपर्ला नीम 1500 अधिकतम 930 रु. प्रति हेक्टर। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, चना, अदरक, सूरजमुखी, मक्का आदि के ट्राईकोडर्मा, क्राइसोपार्ला, एन पी.व्ही-एस.एल. ट्रेपअल्योर, नीम 1500, एन.पी.व्ही. एस.एल. ल्योर, बी.टी. पर 428 रु. से अधिकतम 1627.50 रु. प्रति हेक्टर अनुदान देय होगा। **(6) पौध संरक्षण औषधि** की कीमत का 50 प्रतिशत या 500 रु. जो भी कम हो, अनुदान देय है **(7) हस्त चलित पौध संरक्षण यंत्र के लिये** कीमत का 50 प्रतिशत या 800 रु. प्रति यंत्र जो भी कम हो और **शक्ति चलित यंत्र के लिये -** कीमत का 50% या 2000 रु. प्रति यंत्र जो भी कम हो, अनुदान देय है। **(8) कृषि यंत्र-** (1) बैल चलित बीज/उर्वरक बुवाई यंत्र, (2) ग्रेन क्लीनर (दाना शोधक), (3) साइकल व्हील हेंड हो, (4) बीज/उर्वरक नींदानाशक (दाना) पर कीमत का 50 प्रतिशत या क्रमशः (1) 2200 रु., (2) 6221 रु., (3) 235 रु., (4) 750 रु. जो भी कम हो, का अनुदान देय है। **(9) नींदानाशक दवा के लिये-** कीमत का 50% या 500 रु. प्रति हैक्टर जो भी कम हो, अनुदान देय है। **(10) राइजोबियम कल्चर के लिये-** कीमत का 50% या 50 रु. प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो अनुदान देय है **(11) पी.एस.बी. न्यूक्लियर पॉलीहिड्रोसिस वायरस (एन.पी.व्ही.)-** कीमत का 50% या 250 रु. प्रति हैक्टर, अनुदान देय है। **(12) जिप्सम/पायराइट/डोलोमट-** कीमत का 50% (सामग्री तथा परिवहन सहित) या 500 रु. प्रति हैक्टर जो भी कम हो, अनुदान देय है। **(13) कृषक प्रशिक्षण-** 50 कृषकों के समूह को दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु 15000 रु. प्रति प्रशिक्षण। **(14) सिंचाई स्त्रोत से खेत तक पानी की सुविधा के लिए पाइप लाइन लाने हेतु-** अनुसूचित जाति/जनजाति/लघु सीमांत महिला कृषक को कीमत का 50 प्रतिशत या 7200 रु. एवं सामान्य श्रेणी के कृषक को कीमत का 33 प्रतिशत या 4800 रु. अनुदान देय है। **(15) स्प्रिंकलर सेट के लिये-** अनुसूचित जाति/जनजाति/लघु सीमांत महिला कृषक को कीमत का 50 प्रतिशत या 5500 रु. जो भी कम हो तथा अन्य कृषकों को कीमत का 33 प्रतिशत या 3630 रु. जो भी कम हो, अनुदान देय होगा **(16) माइक्रोन्यूट्रीयेन्ट** की कीमत का 50% या 500 रु. प्रति हेक्टर जो भी कम हो अनुदान देय होगा। **(17) रज़/फेरो कल्टीवेशन के लिये -** इकाई लागत क 50% या 1000 रु. प्रति हेक्टर जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

सम्पर्क- स्थानीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी।

(स्रोत : आगे आयें लाभ उठायें नवम्बर 11)

ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाजारों तथा मेलों का आयोजन

❑ जी.पी. अग्रवाल

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 58 के अनुसार ग्राम पंचायतें, अपने क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए बाजार एवं मेलों का आयोजन कर सकती हैं। ग्राम पंचायत बाजार एवं मेले के लिए स्थान आवंटित कर सकती है ग्राम पंचायत किसी विशेष बाजार या मेला के लिए ग्राम पंचायत सरपंच, उपसरपंच या किसी पंच को बाजार या मेला अधीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है।

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 58 एवं उनके संगत मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर बाजारों तथा मेलों का विनियमन) नियम, 1994 बनाए गए हैं। ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर, लोगों की सुविधा के लिए उपयुक्त स्थानों पर, बाजार या बाजारों की स्थापना कर सकती है और उन्हें बनाए रख सकती है, और मेलों के लिए क्षेत्र भी इंगित कर सकती है।

ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले मेलों और बाजारों की सीमाएँ और मेलों के लिए इंगित स्थान, सीमा पत्थरों द्वारा या ऐसी अन्य रीति में जैसे ग्राम पंचायत उचित समझे, अंकित कर तय कर सकेगी, बाजारों की सीमाएँ हमेशा सड़क के किसी भी किनारे से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर होंगी और कभी भी सड़क के दोनों बाजू से नहीं होंगी। ग्राम पंचायत बाजारों और मेलों की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए सक्षम है।

ग्राम पंचायत, किसी बाजार को विस्थापित करने के अपने आशय की घोषणा, आदेश में नियत तारीख से कम से कम 45 दिन पूर्व ग्राम पंचायत के सूचना फलक पर और ग्राम पंचायत की अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्र में सहजदृश्य स्थानों पर सूचना चिपका करके करेगी। प्रत्येक ऐसी घोषणा में विस्थापित किये जाने के लिये अनुमानित बाजार की सीमाओं को सुस्पष्ट करेगी। ऐसी किसी घोषणा से प्रभावित कोई भी व्यक्ति घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर सरपंच को लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा और ग्राम पंचायत उक्त आपत्ति पर निर्णय करने के पूर्व उस आपत्ति पर विचार करेगी। आपत्ति आमंत्रित करने के लिये तय समयावधि की समाप्ति के पश्चात् तथा उन आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो कि नियत तिथि के पूर्व प्राप्त की गई हों, विचार करने के पश्चात् तथा आवेदकों की सुनवाई यदि जरूरी हो, करने के पश्चात् ग्राम पंचायत, अपने कार्यालय के सूचना फलक पर सूचना चिपकाकर, बाजार का विस्थापन कर सकेगी।

कोई भी व्यक्ति, ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वयं के व्यवसाय के लिए आवंटित दुकान, कमरा, स्टाल, चबूतरा, स्थल को छोड़कर बाजार में कोई धन्धा नहीं करेगा या विक्रय के लिये माल प्रदर्शित नहीं करेगा। बाजार या मेला क्षेत्र से कोई भी व्यवसाय ग्राम पंचायत द्वारा नियत किये गये कार्यकारी घंटों के दौरान तथा नियत दिनों में ही किया जाएगा इसके अलावा नहीं। किसी व्यक्ति से जो बाजार में या मेला क्षेत्र में व्यवसाय करने या विक्रय के लिये माल प्रस्तुत करने या प्रदर्शन करने की इच्छा रखता है, ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी फीस जैसी कि वह उचित समझे, लगा सकेगी। बाजार अथवा मेले में कोई भी व्यक्ति, जो संक्रामक या छूत जैसे रोग से पीड़ित है, जिसे पहले से स्वीकृति प्राप्त की गई लिखित आज्ञा और ऐसी शर्तों की अनुसार जैसी कि ग्राम पंचायत ऐसी आज्ञा देते समय आरोपित करे, के बिना किसी बाजार या मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

मेला क्षेत्र में कोई भी वाहन, बैलगाड़ी या पशु बाजार और मेला क्षेत्र में उतने से अधिक समय तक खड़े रहने के लिये इजाजत नहीं दी जाएगी जैसा कि ऐसे वाहन के अंदर जाने और बाहर आने के लिये या बैलगाड़ी या पशु पर भार लादने या उतारने के लिये

आवश्यक हो। किसी भी बैलगाड़ी या पशु या वाहन को किसी भी ऐसे बाजार या मेला क्षेत्र में ऐसे स्थान जिसे पशुओं को रखने के उद्देश्य के लिये ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित किया जाए, ऐसे स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर ठहराया नहीं जायेगा।

ग्राम पंचायत, किसी विशेष बाजार या मेला के लिये ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच या किसी पंच को बाजार तथा मेला अधीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी। बाजार तथा मेला अधीक्षक ग्राम पंचायत द्वारा लगाई गई फीस का भुगतान करने के किसी व्यक्ति के दायित्व एवं उससे संबंधित किसी विवाद का निराकरण करने जैसे कि वह व्यक्ति किस वर्ग का व्यापारी है। ऐसे कोई व्यक्ति जो उपद्रवी गतिविधियों का या उच्छृंखल आचरण की मंशा रखता हो को बाजार से हटाने का आदेश दे सकेगा इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी संक्रामक या छुआछूत के रोग से पीड़ित है, मेला अधीक्षक की लिखित अनुमति के बिना, बाजार या मेला में प्रवेश नहीं कर सकेगा। वह व्यक्ति जो किसी देय फीस या पथकर का, भुगतान करने से इंकार करता है। बाजार या मेले में मेला अधीक्षक की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं कर सकेगा।

मेला अधीक्षक ग्राम पंचायत के आदेशों का ध्यान रखते हुए, दुकानों का या स्टालों के निर्माण के लिये स्थान आवंटित कर सकेगा। किसी धन्धा करने वाले की ऐसी सामग्री जो जनता के उपयोग के लिये अनुपयोगी है ऐसी खाद्य या पेय वस्तु को बाजार से हटाने के लिये आदेश दे सकेगा।

मेला अधीक्षक का यह भी दायित्व होगा कि वह बाजार या मेला क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखे और पर्याप्त साफ सफाई का भी ध्यान रखे। व्यापारियों द्वारा उनकी विशेष वस्तुओं के विक्रय के लिये पृथक रखे गये क्षेत्र में ही रखकर बेचने का ध्यान रखे। बाजार अथवा मेले में मानक बांट या दोषपूर्ण मापने वाले बांटों या मापों को उपयोग में लाने वाले किसी व्यापारी को बाजार या मेला से हट जाने के लिए आदेशित कर सकेगा।

ग्राम पंचायत, स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित पक्षकार के आवेदन पर, बाजार और मेला अधीक्षक के किसी आदेश या निर्देश को वापस या उसमें संशोधन कर सकेगी। ग्राम पंचायत या सहकारिता और उद्योग से संबंधित स्थायी समिति, किसी बाजार को क्षेत्रों में बाँट सकेगी और किसी स्थान पर विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं के विक्रय पर रोक लगा सकेगी। कोई व्यापार जो किसी विशिष्ट माल या सामान का विक्रय करा रहा हो, जिस पर रोक लगाई गई हो, किसी ऐसे क्षेत्र में विक्रय की मंशा से नहीं जाएगा जो उस वस्तु के विक्रय के लिये पृथक रखा है। मेला अधीक्षक द्वारा जिस सामग्री के बेचने पर रोक लगाई गयी हो या जो बाजार या मेले में दोष पूर्ण बांट या तराजू का उपयोग करते हुए बाजार या मेला क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिये या स्वच्छता रखने के लिये दिये गये आदेश का पालन करने से इंकार करता है ऐसे व्यक्ति को जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा जो पचास रुपये तक का हो सकेगा। पचास रुपये तक के जुर्माने से दण्डित होने पर भी कोई व्यक्ति द्वारा आदेशों को निरन्तर पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक वह आदेश का पालन नहीं करता है जुर्माने से जो पचास रुपये से पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जा सकेगा।

सेवानिवृत शिक्षक निःशुल्क शिक्षा दे रहा है वर्षों से

शिवपुरी नगर के एक शिक्षक ने शिक्षा का अलख जगाने के लिये कोई अवसर नहीं छोड़ा है। वे एक मिशन के रूप में कई वर्षों से गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दान का कार्य कर रहे हैं। आज उनके पढ़ाये हुये छात्र विभिन्न पदों पर देश-विदेश में सेवाएं दे रहे हैं।

शिक्षा के व्यवसायीकरण की दौड़ में शिवपुरी के एक सेवानिवृत शिक्षक श्री मधुसूदन चौबे विगत 23 वर्षों से वर्तमान में स्थानीय वीर सावरकर उद्यान में शहर के सभी वर्गों के निर्धन छात्र-छात्राओं को लगातार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का एक पुण्य का कार्य कर ज्ञान के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के परिवेश में अन्य शिक्षकों को श्री चौबे से प्रेरणा लेने की आवश्यकता हैं। सेवानिवृत शिक्षक श्री मधुसूदन चौबे ने बताया कि वे प्रतिदिन निर्धन बच्चों को निरन्तर अपरान्ह 4 से 7 बजे तक निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। उनके पढ़ाये हुये छात्र आज देश-विदेश में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिला कलेक्टर श्री जॉन किंग्सली ने गत दिनों वीर सावरकर उद्यान में पहुँचकर श्री मधुसूदन चौबे द्वारा छात्र-छात्राओं को दी जा रही निःशुल्क शिक्षा देने के पुण्य कार्य की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं है। श्री मधुसूदन द्वारा जो निस्वार्थ भाव से गरीब बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। वह एक सराहनीय कदम है। इनके इस कार्य से अन्य शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। श्री मधुसूदन चौबे ने बताया कि वे 2006 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्र. 01 शिवपुरी के प्राचार्य पद से सेवानिवृत हुये। इसके पूर्व वर्ष 1988 से शिक्षादान का पुण्य का कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि वे गरीब बच्चों के लिये संविदा शिक्षक की प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी अतिरिक्त कक्षाएँ लगाकर बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। शीघ्र ही वे पटवारी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिये कक्षाएं आयोजित करेंगे। उनके इस पुण्य कार्य में सामान्य ज्ञान की शिक्षा देने हेतु श्री पवन शर्मा भी सहयोग देंगे।

❑ अनूप सिंह भारतीय

समय पर करें कीटनाशकों का प्रयोग

फरवरी माह में रबी फसलें बढ़वार अवस्था में होती हैं। इस मौसम में पाले के कारण फसलों में कीट एवं इल्लियों का प्रकोप बढ़ जाता है जिससे फसलों को काफी क्षति पहुँचती है। ऐसे समय में फसलों में कीटनाशकों का छिड़काव करना जरूरी है और छिड़काव के बाद सिंचाई अवश्य करें। इस मौसम में फलदार पौधे एवं सब्जी की फसलें बोई जाती हैं। अभी रोपे गये पौधों का विकास तीव्र गति से होता है।

पंचों, इस समय आपके खेतों में गेहूं, चना, मसूर, अलसी इत्यादि रबी फसलें अपने बढ़वार की अवस्था में हैं, मसूर एवं अलसी की फसलें फूल की अवस्था में हैं। खरीफ में बोई गई अरहर की फसल में फल्लियाँ लग चुकी हैं। पाले की वजह से कहीं-कहीं अरहर की फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है, अरहर की फसल का समय-समय पर निरीक्षण करते रहें। इस अवस्था में फल्ली छेदक इल्लियों के प्रकोप की संभावना भी बनी रहती है। फल्लियों में इल्लियों से नुकसान दिखाई दें, तो आगे सुझाये गये पौध संरक्षण उपाय अपनायें, इसके अलावा उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत आपकी बाड़ियों में फूलगोभी, पत्तागोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्च इत्यादि सब्जी फसलें फलन-फूलन की अवस्था में हैं। जायद की सब्जियाँ जैसे भिण्डी, लौकी, करेला, कुम्हड़ा, खरबूज, तरबूज इत्यादि के बीज बोने का यह उपयुक्त समय है। सिंचाई एवं जानवरों से यदि सुरक्षा व्यवस्था हो, तो जायद की सब्जियाँ अच्छा मुनाफा देती हैं। आज की चौपाल में हम इस समय किये जाने वाले महत्वपूर्ण कृषि कार्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

कृषि फसलें :-

गेहूं - क्रांतिक अवस्थाओं में फसल की सिंचाई करें। इस समय अधिकतर फसल कल्ले फूटने एवं गाँठ बनने की अवस्था में हैं, सिंचाई के समय यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। भारी भूमियों में सिंचाई के पूर्व एवं हल्की भूमियों में सिंचाई के बाद यूरिया का प्रयोग करें। सामान्यतया गेहूं की खड़ी फसल में, प्रारंभिक दोनों सिंचाइयों में यूरिया प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। दोनों बार मिलाकर प्रति एकड़ 75 किलो यूरिया बौनी किस्मों में एवं लगभग 40 किलो यूरिया ऊंची शरबती किस्मों के लिये पर्याप्त है। गेहूं की फसल को खरपतवारों से बड़ा नुकसान होता है। खरपतवारों से पैदावार में कमी तो आती ही है, उपज की गुणवत्ता भी खराब होती है। ज्यादातर नुकसान चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुवा, अंकडी, जंगली पालक इत्यादि से होता है। नियंत्रण के लिये 2-4 डी या मेटासल्फ्यूरॉन नींदानाशक का छिड़काव फसल की 25 से 40 दिनों की अवस्था के बीच करें। संकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे जंगली जई, गेहूं का मामा या गुल्ली डण्डा, इत्यादि के नियंत्रण के लिये आइसोप्रोट्यूरॉन या सल्फोसल्फ्यूरॉन नींदा नाशक का छिड़काव करें रसायनों से नींदा नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है कि छिड़काव के समय मिट्टी में नमी होना आवश्यक है। गेहूं की खड़ी फसल में यदि दीमक का नुकसान दिखाई दे, तो हींग से उपचारित, जल से फसल की सिंचाई करें।

चना एवं अरहर : इस समय चना फूल आने एवं अरहर फल्लियों में दाने भरने की अवस्था में हैं इस अवस्था में इल्लियों से फसल को विशेष नुकसान होता है। चने की फसल में बीच-बीच में टी (T) आकार की खूंटियाँ गाड़ें। इन खूंटियों पर पक्षी आकर बैठते हैं और इल्लियाँ इनका प्रिय भोजन होती हैं। हल्के-फुल्के प्रकोप में यह प्राकृतिक नियंत्रण पर्याप्त है। ज्यादा प्रकोप होने पर चना एवं अरहर फसलों में ट्राइजोफॉस 40 प्रतिशत ई.सी., 30 मि.ली. प्रति स्प्रेयर (15 लीटर) घोल बनाकर छिड़काव करें। मिथाइल पैराथियान या क्विनॉलफॉस डस्ट भी इल्लियों के नियंत्रण के लिये भुरकाव

किया जा सकता है। भुरकाव डस्टर मशीन से करें, डस्टर न हो तो, प्याज की खाली झिरीदार बोरी में डस्ट पावडर की पोटली बनाकर, फसल के ऊपर हिलाते चलें, भुरकाव का सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। इस समय भुरकाव करने पर ओस के कारण कीटनाशक पावडर पत्तियों पर अच्छी तरह चिपक जाता है। अरहर की फसल ऊंची होने के कारण भुरकाव में अड़चन होती है। इसलिये छिड़काव ज्यादा उपयुक्त होगा, चने की फसल में फल्लियों में दाने भरने के समय सिंचाई करने से दाने पुष्ट भरेंगे और पैदावार में बढ़ोत्तरी होगी ।

रबी फसलों में जल प्रबंधन :- गेहूँ की फसल में लगभग तीन-चार सिंचाईयाँ आप कर चुके हैं। बालियाँ निकलने, फूल आने, एवं दूध भरने की अवस्था में सिंचाई करें। विशेषकर दूध भरने की

अवस्था में सिंचाई अवश्य करें। इसी तरह चना, मसूर, अलसी, सरसों में दाना भरने की अवस्था में मिट्टी में नमी बनाये रखें।

अलसी :- देर से बोई गई फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप होता है। जिसमें पत्तियों एवं पौधों के अन्य भागों पर राख जैसे जम जाती है। अलसी की फसल का यह प्रमुख रोग है एवं इससे पैदावार में भारी गिरावट आती है। रोग के लक्षण दिखाई पड़ते ही सल्फेक्स 80 प्रतिशत घुलनशील पावडर 30 ग्राम प्रति स्प्रेयर (15 लीटर) घोल बनाकर छिड़काव करें। सल्फेक्स का छिड़काव तेज धूप में नहीं करना चाहिये।

मसूर :- मसूर की फसल में कहीं-कहीं रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप, विशेषकर बदली के मौसम में होता है। नियंत्रण के लिये इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एस.एल. या थायोमेथाक्जाम 5 ग्राम कीटनाशक प्रति स्प्रेयर (15 लीटर पानी) में घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में माहों कीट के प्रकोप में भी यही उपचार लागू होगा।

गन्ना :- गन्ना फसल की कटाई करें एवं बसंतकालीन गन्ने की बोवाई करें। भूमिगत कीटों से सुरक्षा के लिये कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 20 प्रतिशत ई.सी. 3 मि.ली. प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बीज उपचारित करने के बाद बोनी करें। आधार खाद के रूप में कूँड़ों में डी.ए.पी. पोटाश एवं जिंक सल्फेट उर्वरकों का प्रयोग करें।

उद्यानिकी फसलें :-

सब्जी फसलें :- भिण्डी एवं बेल वाली सब्जी फसलें जैसे- लौकी, कुम्हड़ा, करेला, रेरूवा, बरबटी, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, की बोनी का यही समय है। संकर प्रजाति के भिण्डी के बीज कतारों में डेढ़ बीता, बीज से बीज एवं कतार से कतार डेढ़ हाथ का फासला रखें। सनग्रो की नं.18 एवं नं. 405, सिंजेन्टा की नं. 152 एवं नं. 016 इत्यादि बेहतर संकर किस्में हैं। सब्जी फसलों की खेती में अच्छी तरह पकी हुई गोबर की खाद की भरपूर मात्रा का प्रयोग करें। बेल वाली सब्जी फसलें थालों में बोई जाती हैं। थालों का आकार लगभग डेढ़ बीता व्यास एवं उनकी गहराई लगभग एक हाथ रहे। थालों में गोबर खाद के साथ 50 ग्राम डी.ए.पी. एवं 25 ग्राम पोटाश तथा 25 ग्राम जिंक सल्फेट प्रयोग करें। इसी मिश्रण में 50 ग्राम दीमक नाशक पावडर प्रति थाला प्रयोग करें। बेल वाली सब्जी फसलों में प्रारंभिक बढ़वार की अवस्था में लाल कीड़ों (रेड पंपकिन बीटल) का प्रकोप बहुतायत से होता है। यह कीट पत्तों को खाकर उनमें छेद कर देता है। कभी-कभी तो पूरी की पूरी फसल, इस कीट के प्रकोप से प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट हो जाती है। नियंत्रण के लिये सेंविन (कारब्रिल 50 प्रतिशत घुलनशील पावडर) 15 ग्राम प्रति स्प्रेयर घोल बनाकर छिड़काव करें।

फलदार पौधे :- इस समय आप कलमीं आंवले, आम इत्यादि पौधों का रोपण कर सकते हैं। अभी रोपे गये पौधों का विकास तीव्र गति से होता है। दो-चार पौधे लगाना हो तो अलग बात है। ज्यादा संख्या में पौधे लगाना हो तो समुचित ले-आउट (रेखांकन) के पश्चात् ही पौधरोपण करें। रेखांकन हेतु उद्यान विभाग के कार्यकर्ताओं की सलाह अवश्य लें। बड़े आकार में बढ़ने एवं विकसित होने वाले पौधे जैसे आम, आंवला में पौधा से पौधा एवं कतार से कतार दस मीटर का फासला रखें।

वानिकी पौधों की नर्सरी तैयार करने का यह उपयुक्त समय है। नीलगिरी, आंवला, सीताफल, रतनजोत इत्यादि की पौध तैयार करें। स्वसहायता समूह या सहकारी समितियां गठित कर ये पौधे तैयार करें। संस्थाओं के माध्यम से पौध तैयार करने में, उनके विक्रय में आसानी होती है। हर वर्ष बारिश के मौसम में हरियाली महोत्सव के अंतर्गत, शासकीय विभागों द्वारा लाखों पौधे क्रय किये जाते हैं। नर्सरी कार्य से अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है।

❑ भानुप्रताप सिंह

मनरेगा की उपलब्धियाँ व उपयोजनाएं भी छापें

मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया करवाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसी योजना पर हमने पिछले दिनों जो एक आलेख श्रृंखला 'मनरेगा अद्यतन' छापी थी हमारे एक पाठक नान्द्रा के सुरेश तेनगुरिया ने अपने पत्र में प्रशंसा की है और कुछ सुझाव भी दिये हैं। इसी प्रकार डिण्डौरी के गणपत उइके ने हमारे स्थाई स्तम्भ दृश्य परिदृश्य का आकार बढ़ाकर कुछ और मंत्रियों के फोटो कवरेज छापने की जरूरत भी अपने पत्र में दर्शाई है। आपके पास भी पंचायिका के विभिन्न स्तम्भों के बारे में आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य लिखें। हम आपके पत्रों पर अमल की पूरी कोशिश करेंगे।

मनरेगा के बारे में विस्तृत जानकारी दें

सम्पादक जी! पंचायिका में पिछले दिनों मनरेगा योजना के बारे में काफी उपयोगी जानकारी छापी गई जो प्रशंसनीय है मगर मेरा सुझाव है कि मनरेगा की उपलब्धियों और उपयोजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दें। मुख्य रूप से 'वन सम्वर्धन' जैसी मनरेगा की उपयोजना पर जिसमें वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के पट्टे दिए गए हैं उन भूमियों पर कार्य की व्यवस्था हो सकेगी।

सुरेश तेनगुरिया
अधिवक्ता ग्राम-नान्द्रा (जिला खरगोन)

'दृश्य-परिदृश्य' का आकार बढ़ायें

सम्पादक जी! पंचायिका का स्थाई स्तम्भ 'दृश्य-परिदृश्य' काफी आकर्षक सचित्र जानकारी देता है मगर केवल दो पृष्ठ के कारण माननीय मुख्यमंत्रीजी और महामहिम राज्यपाल के सचित्र आयोजन में ही ये पृष्ठ पूरे हो जाते हैं। सम्पादक मण्डल को चाहिये कि वो इस स्तम्भ के कम से कम दो पृष्ठ और बढ़ायें ताकि प्रदेश के मंत्रीगण के भी महत्वपूर्ण समाचार इस स्तम्भ में स्थान पा सकें।

गणपत उईके
कृषक, डिण्डौरी (जिला डिण्डौरी)

धुआंरहित चूल्हे वाले मामले हल करें

सम्पादक जी! मध्यप्रदेश राष्ट्रीय आजीविका परियोजना के तहत प्रदेश के दस अनुसूचित जनजाति बहुल विकासखण्डों में आदिवासी महिलाओं के किचन में धुआँरहित चूल्हे लगवाने वाले अभियान की खबर पढ़कर अच्छा लगा मगर इस मामले को हल करने में अब तेजी लाना चाहिए। लगभग साढ़े चार दशक पहले सामुदायिक विकासखण्डों के जमाने से इस दिशा में सतत कोशिश की जा रही हैं मगर आजादी के इतने सालों बाद भी चूल्हों के धुएं से आदिवासी महिलाओं का त्रस्त होना चौंकाता है।

जया आर्य
तिलक नगर, इन्दौर

चिट्ठी चर्चा

पंच परमेश्वर योजना में खर्च की मानीटरिंग हो

इस माह हमें 'पंच परमेश्वर' योजना से जुड़ी चिट्ठियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। खण्डवा जिले के गाँव सिंघाना से सेवानिवृत्त ग्रामसेवक शत्रुघ्न शुक्ला ने इस योजना के कारण गाँवों के विकास में तेजी आने की ताईद की है मगर पंचायतों को जब विकास के लिए इतना पैसा एकजाई मिलेगा तो खर्च की मानीटरिंग भी बेहद जरूरी है। शत्रुघ्नजी ने अपनी चिट्ठी में ग्रामसभा की सक्रियता की जरूरत भी बताई ताकि इतनी बड़ी राशि गाँव के विकास में खर्च करते समय गाँव वालों को भी विश्वास में लिया जा सके। बड़वाली जिले के सुदूरवर्ती गाँव कुँजरी जिरभान सिंह ने अपनी चिट्ठी में यह संदेह व्यक्त किया है कि पंच परमेश्वर योजना से गाँवों में विकास की होड़ की जो स्थिति बनेगी उसमें यह नियम है कि पहले जो धनराशि खर्च हो जायेगी उसके बाद ही उस पंचायत को अतिरिक्त धनराशि मिल पायेगी, इस नियम के कारण शहरों से जुड़ी पंचायतों की तुलना में दूर बसी पंचायतें खर्च में पिछड़ सकती हैं। सेन्धवा से हमारी नियमित पाठक मेघना गुजराती ने अपनी चिट्ठी में इसी वर्ष अप्रैल से आरम्भ होने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के लिए बड़वानी जैसे जनजातीय आबादी बहुल जिले के चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जनजातीय अंचलों में महिला किसान, पुरुष किसान की तुलना में ज्यादा मेहनत करती हैं मगर खेती-किसानी से होने वाली आमदनी से उसे मामूली राशि ही हाथ लगती थी। इस परियोजना के आरम्भ होने से जब महिला किसानों के स्व-सहायता समूह गठित किये जायेंगे तो इन उपेक्षित महिला किसानों को भी आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सकेगी। छिन्दवाड़ा जिले के सौंसर से लोकनाथ चौरे ने मध्यप्रदेश पंचायिका में छपने वाले नियमित स्तम्भ 'खेती किसानी' की प्रशंसा की है मगर साथ ही यह शिकायत भी की है कि इस स्तम्भ में प्रदेश की गैर-खाद्यान्न फसल कपास के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। चौरे जी का कहना है कि अफीम, मूसली अथवा अश्वगंधा जैसी गैर पारम्परिक फसलों के बारे में यदि जानकारी न छापी जाये तो काम चल सकता है मगर कपास तो दक्षिण-पश्चिम मध्यप्रदेश और नर्मदा किनारे की काली मिट्टी में आज भी प्रमुख फसल कपास है अतः इस स्तम्भ में कृपया कपास फसल के बारे में भी कुछ जानकारी जरूरछापें।

❑ शरद श्रीवास्तव

बात पते की -

ई-उपार्जन

ई-उपार्जन से सबको हो गई आसानी।
उचित मूल्य पर बिकवाली सरकार ने ठानी।।
अब किसान गेहूँ बेचेंगे उचित दाम पर -
नहीं चलेगी अब बिचौलियों की मनमानी।।

– व्यंकटेश शारदा

माह का पत्र

अब केवल संकल्प नाकाफी है

सम्पादक जी! सामाजिक न्याय विभाग पिछले कई सालों से तीस जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मद्य निषेध के लिए संकल्प दिवस मनाता है और बड़ी संख्या में लोग मद्यपान त्यागने का संकल्प भी लेते हैं मगर अब मद्य निषेध के मामले में केवल संकल्प नाकाफी है। जिस प्रकार अखिल विश्व गायत्री परिवार वाले मद्य निषेध का संकल्प दिलवाने के बाद अनुश्रवण की कार्यवाही करते हैं सामाजिक न्याय विभाग को भी वैसी ही व्यवस्था करनी होगी तभी मद्य निषेध संभव हो पायेगा।

चन्द्रभूषण शुक्ला

कृपया बताएं

प्रिय सरपंच जी, जैसा कि आप जानते ही हैं 'कृपया बताएं' कॉलम में हम आपको हर माह किसी एक योजना का नाम सुझाते हैं। आप उस योजना के बारे में पंचायतों द्वारा क्या किया गया है तथा क्या और किया जा सकता है उस बारे में स्वतंत्र टिप्पणी लिख सकेंगे। उस टिप्पणी के नीचे अपना नाम, पदनाम, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत का नाम, जिला पंचायत का नाम तथा भेजने की तारीख अवश्य लिखें। इस स्तम्भ में हमें पाठकों से बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ मिलने की उम्मीद रहती है। पंचायत राज संस्थायें अधिकांश सरकारी योजनाओं के संचालन में नोडल एजेंसी का कार्य करती हैं। इस दृष्टि से किसी भी सरकारी योजना के क्रियान्वयन में सबसे प्रभावी टिप्पणी पंचायत राज संस्था की होती है। उम्मीद है इस विषय में हमारे पाठक एवं पंचायत प्रतिनिधि आगे बढ़कर सहयोग देंगे।

फरवरी 2012 के लिए इस बार विषय है -

क्या आपकी ग्राम पंचायत में पंच-परमेश्वर योजना की राशि प्राप्त हो चुकी है?

माह की कविता

ग्राम विकास के दोहे

शहरों जैसा होएगा,
गाँवों का भी विकास।
खुशहाली देहरी चढ़ी-
बढ़ी गाँव की आस।।

एकजाई राशि मिली,
निश्चित हुआ विकास।
पंच परमेश्वर योजना,
लाई नया प्रकाश।।

धर्म-जाति बन्धन नहीं,
बेटी का हो ब्याह।
पहले 'कन्यादान' था,
अब होने लगा निकाह।।

'मनरेगा' में मिल गया,
सौ दिन का रोजगार।
ग्राम विकास का बन गया-
एक पुख्ता आधार।।

गाँवों में भी होगा अब,
हर ग्रामीण का घर।
मुख्यमंत्रीजी ने मिशन बनाया,
आसाँ हुई बसर।।

पंचायतों में बन रहे,
ई-कम्प्यूटर कक्ष।
ई-शिक्षण में हो रहे,
गाँव गाँव सब दक्ष।।

- अनुभा आचार्य

हमारा पता

सम्पादक
'मध्यप्रदेश पंचायिका'
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल,
भोपाल - 462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने दो सौ रुपये के ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मुद्रण : मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल